लोक-सभा वाद-विवाद

मंगलवार,
२० दिसम्बर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]

अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५–३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०–६४

दैनिक संक्षेपिका ३७६५–७०

अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . ३७७१–३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका ३८४७–५०

अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से ११९, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८–३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४–१२

दैनिक संक्षेपिका ३९१३–१६

अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९३ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका ३९७९–८०

अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका ४०५९–६४

अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५४ और २६८ . . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका ४१२७–३०

अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ४१९७–४२००

अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका ४२९९–४३०६

अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका ४३७५–८०

अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . ४३८१–४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६–६०

दैनिक संक्षेपिका ४४६१–६६

अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७–४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३–५२

दैनिक संक्षेपिका ४५५३–५८

अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९–४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२–२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९–३४

अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका ४८०५–१०

अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका ४८७१–७४

अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका ४९३६–४०

अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका ५०३३–४०

अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका ५१०७–१०

अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४१ से ८४३, ८४९, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ९९८ और १७३ . . ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका ५१९७–५२०२

अंक २०--शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका ५३१३–२०

अंक २१--शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका ५३२५-२६

अंक २२--सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५ . . . . ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७३, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६] . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका ५३९९–५४०२

अंक २३--मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ . ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका ५५०३–१०

अंक २४--बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

अंक २५--गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

अंक २६—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५. ५७८९–५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७. ५८३४–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७. . . ५८३८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२–५९०२

दैनिक संक्षेपिका ५९०३–१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

लोक-सभा

मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ग्राम सेवक

†*९८०. **श्री श्रीनारायण दास:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामूहिक योजनाओं में, सामूहिक विकास योजनाओं में और राष्ट्रीय विस्तार खंडों में, जिन का कार्य इस समय तेजी से हो रहा है, विभिन्न राज्यों द्वारा अब तक काम में लगाये गये प्रशिक्षित ग्रामसेवकों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में प्रथम पंच वर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न राज्यों के लिये निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिये व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ग) किन किन राज्यों ने उक्त सभी योजनाओं को संघटित कर उन के सभी स्तरों पर योग्य कर्मचारी नियुक्त किये हैं ?

†योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) (क) ३१-१०-१९५५ को १२३७६

(ख) जी हां ।

(ग) ३०-६-१९५५ को प्रत्येक राज्य में नियुक्त कर्मचारी और उन के अभाव को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १]**

†श्री श्रीनारायण दास : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि उक्त योजनाओं की अवधि बढ़ाई जा रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में ऐसे अफसरों की कितनी आवश्यकता होगी, क्या उस का कुछ निर्धारण किया गया है ?

†श्री एस० एन० मिश्र : जी, हां । देश भर में ५,००० खंड होने जा रहे हैं, हम ने उसी आधार पर अपनी गणना की है और प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये हमारा लक्ष्य १५,००० ग्राम सेवक है ।

†श्री श्रीनारायण दास : भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि भविष्य में की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्री एस० एन० मिश्र : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य का संकेत प्रशिक्षण के कार्यक्रम से है । जहां तक कृषि विस्तार कार्यों का सम्बन्ध है, ग्रामसेवकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम खाद्य और कृषि मंत्रालय को सौंपा गया है । स्वास्थ्य सम्बन्धी कर्मचारियों के बारे में प्रस्तावित कार्य केन्द्र स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपा जा रहा है । इस बारे में वे आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं

---

†मूल अंग्रेजी में

के प्रशिक्षण के लिये चुनाव किस प्रकार किया जाता है, और क्या सरकार को यह पता चला है कि इस किस्म के चुनावों के बारे में बहुत ज्यादा फेविरिटिज्म (पक्षपात) की शिकायत है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी नहीं, इस की तो हम लोगों को सूचना नहीं है । मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही आधार पर चुनाव हो रहे हैं ।

†**श्री के० के० बसु** : ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद क्या उन की पदावधि किसी स्थायी प्रकार की होती है ? क्या किसी राष्ट्रीय विस्तार खंड में कार्य समाप्त होते ही ग्रामसेवक काम करना बन्द कर देते हैं अथवा क्या उन का कार्य स्थायी है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : मेरा ख्याल है कि राष्ट्रीय विस्तार योजना का यह कार्यक्रम स्थायी रूप से होने जा रहा है और इसलिये अधिकांश कर्मचारी उस में रख लिये जायेंगे । जहाँ तक द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि और उस के बाद का भी संबंध है, उन्हें अपनी नौकरी खोने की आशंका न होनी चाहिये और न यह प्रश्न उत्पन्न होता है ।

भाखड़ा बांध

*९८१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बांध से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को ३४ एकड़ के कैटल फार्म (पशुक्षेत्र) देने में पंजाब सरकार की असमर्थता को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की है ;

(ख) क्या यह सच है कि जो ६००० परिवार शीघ्र ही भाखड़ा बांध के कारण विस्थापित किये जाने वाले हैं, वे हिमाचल प्रदेश में बसने के लिये तैयार नहीं हैं और वे केवल पंजाब में ही भूमि चाहते हैं ; और

(ग) इन विस्थापितों को बसाने के लिये सरकार क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) भाखड़ा बांध से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को बसाने के लिये कैटल फार्म (पशुक्षेत्र) हिसार से भूमि देने में पंजाब की असमर्थता के कारण हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बिलासपुर के आर० एल० (जलाशय की सतह) १२८० के नीचे वाले विस्थापितों को हिमाचल प्रदेश में ही बसाने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया है । बाकी लोगों को हिसार जिले के सिरसा, फतेहाबाद और हिसार तहसीलों के गांवों में बसाने का प्रबन्ध कर दिया गया है ।

(ख) जी नहीं । बिलासपुर जिले के केवल ५० परिवार जो आर० एल० (जलाशय की सतह) १२८० तक ग्रस्त हुए हैं और जो हिमाचल प्रदेश में नहीं बसना चाहते पंजाब में जमीन चाहते हैं । दरअसल वे हिमाचल प्रदेश या पंजाब में एक ही स्थान पर सारी जमीन (कमपैक्ट ब्लाक) चाहते हैं । इसी तरह आर० एल० (जलाशय की सतह) १२८० के नीचे कांगड़ा जिले के २२० परिवारों ने हिसार के गांवों में बसने की इच्छा प्रकट की है ।

(ग) जो विस्थापित जमीन के स्थान पर जमीन नहीं चाहते उन को नक़द मुआवजा दिया जा रहा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : नांगल भाखड़ा से सम्बन्धित विस्थापितों का प्रश्न बहुत अर्से से हमारे सामने है । मैं जानना चाहता हूं कि उन को फिर से बसाने में इतना विलम्ब क्यों लग रहा है । और क्या मंत्री महोदय बतला सकते हैं कि इन ६०० परिवारों में

†मूल अंग्रेजी में

से कितनों को बसाया जा चुका है और कितने बाकी हैं और किन किन राज्यों में ?

श्री हाथी : इन ६०० विस्थापित परिवारों को बसाने में इसलिये देर हुई कि हिसार कैटिल फार्म में जमीन नहीं मिल सकी । लेकिन उन को दूसरे जिलों में जमीन दे दी गई है । केवल ५० परिवार ऐसे हैं जोकि हिसार कैटिल फार्म में ही जाना चाहते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन विस्थापितों को दूसरे स्थानों पर बसाया जा रहा है उन को सरकार मकान बना कर देगी या वे स्वयं मकान बनायेंगे । यदि वे स्वयं मकान बनायेंगे तो क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि उन को किस हिसाब से मकानों का मुआवजा दिया जायेगा ?

श्री हाथी : उन को अलग अलग दर से कैश कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है ।

विद्युत शक्ति का विकास

†*९८२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत शक्ति के विकास के लिये आवश्यक चीनी मिट्टी के और कांच के सामानों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ख) इन आवश्यकताओं की पूर्ति, देश में बने माल से हो, इस के लिये क्या कार्यक्रम है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) ऐसा अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में, आवश्यक चीनी मिट्टी के और कांच के सामानों का मूल्य लगभग ६५० लाख रुपया होगा ।

(ख) उद्योग (विकास और नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत, सरकार ने विद्युत सम्बन्धी चीनी मिट्टी की सामग्री के प्रतिवर्ष ३१८० टन के अतिरिक्त उत्पादन के लिये पहले ही अनुज्ञप्तियां दे दी गई हैं । विद्युत सम्बन्धी चीनी मिट्टी की सामग्री के उत्पादन के बारे में अन्य योजनाओं को, उन के गुण-दोषों की यथोचित जांच के बाद, प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

†**श्री वी० पी० नायर** : मुझे ज्ञात हुआ है कि अगली पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित विद्युत शक्ति के विकास के लिये अकेले त्रावनकोर-कोचीन राज्य को लगभग ३०–४० लाख रुपयों के मूल्य के चीनी मिट्टी के उपकरणों की आवश्यकता होगी । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार त्रावनकोर-कोचीन राज्य को, कंडारा स्थित उन की फैक्टरी के विकास के लिये किसी प्रकार की सहायता देने का विचार रखती है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : यह बिलकुल सही है कि चीनी मिट्टी के उपकरणों की मांग काफी बढ़ने वाली है किन्तु त्रावनकोर-कोचीन फैक्टरी को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी ।

†**श्री वी० पी० नायर** : माननीय मंत्री ने कतिपय कारखानों को अनुज्ञप्तियां दिये जाने का उल्लेख किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे कारखाने उन स्थानों में स्थित होंगे जहां सर्वोत्तम चीनी मिट्टी का अत्यधिक अच्छा संभरण प्राप्त किया जा सकता है और जहां यातायात की पर्याप्त सुविधायें हैं अथवा वे किन्हीं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित होंगे ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : अनुज्ञप्तियां देते समय उक्त सभी बातों पर विचार किया जाता है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : बलगाम जिले जैसे क्षत्रों में, जहां चीनी मिट्टी बहुत मिलती है पर काम में नहीं लाई जाती, इन संसाधनों

†मूल अंग्रेजी में

को काम में लाने के लिये आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** बेलगांव जिले में एक प्रायोगिक स्टेशन मौजूद है ।

†**श्री वी० पी० नायर :** चूंकि अब अनुज्ञा-पत्र दिये जा चुके हैं, तो क्या मैं उन स्थानों के नाम जान सकता हूं जहां नये कारखाने अधिष्ठापित होंगे ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** श्रीमान्, मैं इस प्रश्न को समझ नहीं सका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उन क्षेत्रों में जहां अनुज्ञप्तियां दी गई हैं, किन स्थानों में कारखाने अधिष्ठापित होंगे ।

†**श्री एस० एन० मिश्र:** मैं आशा करता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने जिन बातों का उल्लेख किया है, उन पर विचार किया गया है और अनुज्ञापत्र देने की यही सामान्य प्रक्रिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कारखाने जिन स्थानों में अधिष्ठापित होंगे उन के नाम माननीय सदस्य चाहते हैं । यदि माननीय मंत्री तद्विषयक जानकारी रखते हैं तो दे दें ।

†**श्री एस० एन० मिश्र :** जी हां । (१) मैसूर पोर्सिलीन फैक्टरी (२) दी उड़ीसा इंडस्ट्रीज़, बा ंग (३) गवर्नमेंट सिरेमिक फैक्टरी, गुडूर, आंध्र ।

मध्य-भारत में आदिवासी

*९८३. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य भारत के भूमिहीन आदिवासियों में बढ़ती हुई बेरोजगा ी को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार किन्हीं योजनाओं पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसी कोई योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जायेगी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) जी, हां । मध्य भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १०८.६१ लाख रुपये की योजनाओं को शामिल करने का सुझाव दिया है । इन योजनाओं में अनुसूचित, भूतपूर्व आपराधिक (एक्स क्रिमिनल) और अन्य पिछड़ी हुई आदिवासी जातियों का कल्याण शामिल है । खेती और देहात का विकास, ज़मीन को खेती लायक बनाना, सहकारिता के आधार पर वनजातियों का उपनिवेश कायम करना, कुटीर उद्योगों का विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि पर विशेष ज़ोर देने से उन वर्गों की बेरोज़गारी की समस्या भी बहुत कुछ कम होने की सम्भावना है । विशेष कर भूमि उपनिवेशन (लैंड कोलोनाईज़ेशन) योजनाओं में भूमि-हीन व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जायेगा ।

श्री अमर सिंह डामर : मैं यह जानना चाहता हूं कि मध्य भारत में कितने भूमिहीन आदिवासी हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : भूमिहीन आदिवासियों की संख्या देना मुश्किल है । यों तो मैं ने आदिवासियों की संख्या की जांच पड़ताल करवाई है और उन की संख्या उपलब्ध है, लेकिन भूमिहीनों की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री तिम्मय्या :** क्या मैं जान सकता हूं कि इन भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि देने में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** यह एक वृहतर प्रश्न है जिसका सम्बन्ध सभी राज्यों से है किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि भूमिहीन व्यक्तियों को बसाने के बारे में प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमा पास कुछ कार्यक्रम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय श्रम सेना

†*९८४. **डा० सत्यवादी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने एक श्रम सेना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो प्रपोजल्स हैं इनकी क्या गाइडलाइंस हैं और उनके तय होने में कितनी देर लग जायेगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह प्रस्ताव अर्थ शास्त्रियों की विशिष्ट समिति न कुछ दिनों पहले दिया था और उनके जो सुझाव आये हैं, वे उनके मेमोरेंडम में दिये गये हैं । मैं समझता हूं कि उनकी तफसील में जाने में समय लगेगा और माननीय मेम्बरान उस को देखने की कृपा करेंगें जो हमने उनके हाथ में रख दिया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री ने इन प्रपोजल्स को विचारार्थ भेजने के पेश्तर इस बात पर विचार किया है कि लेबर फोर्स को क़ायम करने में कितने धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ेगी, यदि हां, तो उनका क्या अनुमान है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैंने कहा कि ये सारी बातें अभी विचाराधीन हैं ।

श्री भक्त दर्शन : अभी तक जो प्रान्तों में स्वेच्छा श्रमदान का आन्दोलन चल रहा है, क्या इस पर भी विचार किया गया है कि उसकी सहायता से यह जो लेबर फ़ोर्स का प्रश्न है, उसको किसी तरह हल किया जा सकता है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी हां, यह तो ज़ाहिर है कि श्रमदान से बहुत काम हो सकता है लेकिन श्रमदान से श्रमिकों की समस्या कहां तक हल होगी, यह मैं नहीं कह सकता हूं ।

कनाडा में भारतीय

†*९८६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी : :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा में बसे हुए भारतीयों को , उस देश के सभी भागों में संधानीय मताधिकार प्राप्त हैं ; और

(ख) कनाड़ा में रहने वाले भारतीयों की कुल संख्या क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). केवल कनाडा के निवासी संधानीय मताधिकार के लिये अर्ह हैं । इसलिये केवल अधिवास कोई अर्हता नहीं है । भारतीय उद्भव के कोई ३,००० व्यक्ति कनाडा के नागरिक हैं और वे कनाडा के सभी भागों में संधानीय मताधिकार का उपभोग करते हैं । वहां लगभग ७५० भारतीय हैं, जिन में से ५०० व्यक्तियों का देशीयकरण किया जा रहा है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या मैं जान सकता हूं कि कनाडा में संधानीय मताधिकार की पात्रता की शर्तें क्या हैं ?

†**श्री सादत अली खां :** संधानीय मताधिकार की पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं :—

(१) मतदाता कनाडा का नागरिक होना चाहिये ; (२) मतदाता की आयु पूर्ण २१ वर्ष हो या निर्वाचन की तिथि से पूर्व उस की आयु इतनी हो और (३) निर्वाचन तिथि से पूर्व १२ महीनों तक मतदाता कनाडा का निवासी रहा हो ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीयों के लिये जो शर्तें हैं, क्या उनमें १९४८ के बाद कोई परिवर्तन हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां :** इस सम्बन्ध में, १९४८ के उपरांत, भारतीय उद्भव के कनाडा के सभी नागरिकों ने कनाडा के सभी भागों में संघानीय मताधिकार का उपभोग किया है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या मैं जान सकता हूं कि मताधिकार की सुविधाओं के उपभोग के बारे में, भारतीयों को आस्ट्रेलिया में अधिक सुविधायें प्राप्त हैं अथवा कनाडा में ?

†**श्री सादत अली खां :** यह तो अपनी अपनी राय की बात है ।

सुधार कर

†*९८७. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों से इस आशय की सिफारिश की गई है कि भूमिधारियों द्वारा सुधार कर का भुगतान भूमि के रूप में हो सके, इस के लिये वे विधान बनायें ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या अभिप्राय है और संबंधित राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २]**

†**श्री एल० एन० मिश्र :** क्या मैं जान सकता हूं कि सुधार कर किस विशिष्ट आधार पर निर्धारित किया जाये इस बारे में क्या योजना आयोग या भारत सरकार ने राज्य सरकारों का कुछ मार्ग दर्शन किया है और यदि हां, तो क्या मैं वे उपबन्ध जान सकता ?

†**श्री हाथी :** सामान्यतया योजना आयोग उन्हें परामर्श देता है कि सुधार कर भूमि के मूल्य पर वसूल किया जाये । इस के अतिरिक्त मूल्य भूमि की सिंचाई, संबंधित राज्यों में मौजूद भू धृति प्रणाली पर और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है ।

†**श्री एल० एन० मिश्र :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कतिपय नदी घाटी योजनाओं में सुधार कर एक जैसी दर पर आधारित किया गया है तथा कतिपय अन्य योजनाओं में वह मूल्यानुसार प्रणाली पर आधारित किया गया है और यदि ऐसा है तो क्या सरकार यह सोचती है कि इन दोनों तरीकों में अनियमितता है ?

†**श्री हाथी :** प्रत्येक विधेयक, इस से पूर्व कि वह प्रस्तुत किया जाये, योजना आयोग के समक्ष आता है और योजना आयोग विधेयक की जांच करता है और उस के अनुसार संबंधित राज्यों को परामर्श देता है ।

†**श्री एल० एन० मिश्र :** क्या मैं जान सकता हूं कि इस सुधार कर के अन्तर्गत कितनी धनराशि एकत्रित की गई है और क्या वह अनुमानों के अनुसार है या उन से कम है ?

†**श्री हाथी :** ये आंकड़े देना मेरे लिये एक कठिन बात होगी । यह प्रश्न विशुद्धतः सम्बन्धित राज्यों से सम्बन्ध रखता है ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर भी सुधार कर वसूल किये जाने के लिये आदेश जारी किये गये हैं ?

†**श्री हाथी :** अभी नहीं ।

†**श्री सारंगधर दास :** मैं जान सकता हूं कि पिछले ५ या १० वर्षों में भूमि के मूल्य बढ़ने के बजाय घटे हैं तो ऐसी स्थिति में सुधार कर किस प्रकार आधारित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री हाथी** : यह एक सामान्य प्रश्न है। यदि भूमि का मूल्य घटा हो तो यह स्वाभाविक है कि सिंचाई के बाद वह बढ़ेगा।

सड़क परिवहन निगम

***९८८. श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले योजना आयोग ने यह सिफारिश की थी कि समस्त राज्यों में सड़क परिवहन निगम बनाये जाने चाहियें जिन में व्यक्तिगत मोटर चालकों के भी पर्याप्त अंश हों ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों में यह सिफारिश क्रियान्वित की गई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी, हां। जो राज्य सरकारें पंचवर्षीय योजना में सड़क परिवहन (रोड ट्रांसपोर्ट) योजनाओं को शामिल करना चाहती थीं, उन्हें योजना कमीशन ने सड़क परिवहन निगम (रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन) कानून, १९५० के अधीन ऐसे सड़क परिवहन निगम बनाने की सलाह दी थी जिन में राज्य सरकारें, रेलवे और निजी तौर पर इस धन्धे में लगे व्यक्ति भी शामिल हो सकें।

(ख) योजना कमीशन की इस सिफारिश पर सम्बन्धित राज्य सरकारें विचार कर रही हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि कुछ राज्यों ने उदाहरणस्वरूप उत्तर प्रदेश ने पहले ही से वहां अपना शत प्रतिशत राजकीय यातायात प्रारम्भ कर दिया है, ऐसी दशा में क्या प्लानिंग कमिशन ने यह विचार किया है कि किस प्रकार से उस में परिवर्तन किया जायेगा और क्या वहां भी राज्य सरकारों को आदेश दिये जा रहे हैं कि जो प्राइवेट मोटर आपरेटर्स हैं उन को लेना अनिवार्य कर दिया जाय ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी हां, योजन कमिशन ने सारी परिस्थिति पर विचार किया है और कुछ इस तरह के केस हैं जिन में अपवाद किया गया है, उन में उत्तर प्रदेश नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ ऐतराज़ात अपने उस के निस्बत पेश किये हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जहां इस तरह के कारपोरेशन या निगम बनाये जायें, वहां जो पहले के मोटर आपरेटर्स और उन के कर्मचारी हैं, वे किसी तरह बेरोज़गार न होने पायें और उन्हें भी उन में ज़रूर स्थान दिया जाय और क्या इस सम्बन्ध में कोई आदेश दिया जा रहा है ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस तरह की कोई खास हिदायत है इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या परिवहन मंत्रालय इन राज्यों के परिवहन निगमों को वित्तीय अर्थ सहायता देता रहा है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : मैं ऐसा नहीं समझता।

फार्म स्टोर, कलकत्ता

†***९९०. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार फ़ार्म स्टोर, कलकत्ता में भीड़ भाड़ को कम करने और फार्म मांगने वाले अधिकारियों को फार्म शीघ्र दिये जायें इस की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) कितने मामलों में फ़ार्म प्रेस में छपे फार्म प्रेस से सीधे विभिन्न सरकारी फार्म मंगवाने वाले अधिकारियों को भेजे गये थे ; और

(ग) क्या स्टोर में छपे फार्मों के अत्यधिक ढेरों का जमा होना रोका जा सकता है ?

---

*मूल अंग्रेजी में।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) फार्म स्टोर कलकत्ता, में भीड़भाड़ को कम करने के लिये एक नवीन कई मंज़िली इमारत का निर्माण किया जा रहा है और निर्माण काल के लिये फार्म स्टोर के सैनिक पार्श्व को, अस्थायी समय के लिये, सांतरगाची डिपो, कलकत्ता स्थानान्तरित किया जा रहा है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से जब कभी फार्म मंगवाने वाले विभिन्न अधिकारियों को, फार्मों की आवश्यकता होगी तो उन्हें फार्म भेजने में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाने की संभावना है।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या सरकार को फार्मों के बारे में गैर-सरकारी प्रेसों की भी सहायता लेनी पड़ती है और यदि हां, तो क्या वह काम उसी स्थान पर कराया जाता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सच है कि कभी कभी, आपातकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिये गैर-सरकारी प्रेसों की भी सहायता लेनी पड़ती है। इस कठिनाई से छुटकारा पाने के लिये आगामी पंच-वर्षीय योजना काल के अन्दर सरकारी प्रेसों की क्षमता को बढ़ाने के प्रयत्न किये जायेंगे।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या प्रादेशिक स्टोर भी हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं स्मरण के भरोसे कह रहा हूं कि दिल्ली में भी एक प्रेस स्थापित करने का विचार है।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : प्राक्कलन समिति ने क्या सुझाव दिया था और उस पर क्या किया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे इस के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या डाक सम्बन्धी फार्म देने के लिये सरकार ने कुछ कार्यवाही की है क्योंकि पश्चिम बंगाल के बहुत से डाकघरों में उन की बड़ी कमी है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि इस मामले को अभी प्राथमिकता दी गई है और डाक सम्बन्धी फार्मों के लिये एक पृथक फार्म प्रेस है।

†**श्रीमती इला पाल चौधरी**: सांतरगाची डिपो को जो कर्मचारी भेजे जा रहे हैं उन को पुनः कलकत्ता में वापिस लाने में कितना समय लगेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: ज्यों ही नई इमारत तैयार हो जायगी।

उल्हासनगर बस्ती

†*९९१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री उल्हासनगर बस्ती के निर्माण की मूल लागत बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ३]**

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या सरकार ने इस बस्ती के भविष्य के लिये कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो सरकार इस पर क्या खर्च करने वाली है ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : यह बस्ती ९१,००० जनसंख्या का एक बड़ा नगर है और इस के लिये कोई योजना बनाने का कोई प्रश्न नहीं है। योजना पहले से ही बनी हुई है। इस पर एक करोड़ और १९,३४,००० रुपये और खर्च करने का विचार कर रहे हैं।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि इस बस्ती के लोग अधिक सुवि-

†मूल अंग्रेजी में

धाओं के लिये ज्ञापन देते रहे हैं और यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : हम ने जल-संभरण योजना के लिये २० लाख रुपये, विद्युत् संभरण योजनाओं के लिये ९.७३ लाख रुपये, सड़कों के निर्माण के लिये १३ लाख रुपये और सीवेज तथा नालियों के लिये ६ लाख रुपया पहले से निश्चित कर रखा है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : कुछ समय पहले कहा गया था कि इस बस्ती के निवासियों के लिये कारोबार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं। क्या इस नगर को कारोबार के मामले में न्यूनाधिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिये कुछ किया गया है ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : बम्बई शहर के केवल ३५ मील दूर होने के कारण कल्याण के लगभग १०,००० विस्थापित व्यक्ति वहां अपनी रोजी कमाते हैं । शेष व्यक्तियों के बारे में, हम ने लगभग ४० लाख रुपये की योजनाओं की मंजूरी दे दी है और दुर्भाग्यवश उस विशिष्ट नगर में अधिक लोग उद्योग आरम्भ करने के लिये आगे नहीं आते । धन उपलब्ध है और हम यथासंभव अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि कुछ उद्योगपति उद्योग आरम्भ करने को तैयार हुए थे किन्तु कुछ शर्तें या रुकावटें ऐसी हैं जिन को पूरा करना कठिन है ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : मैं नहीं समझता कि यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देश के अन्य स्थानों पर, अर्थात् फरीदाबाद में और पूर्वी प्रदेश में, उद्योगपति न्यूनाधिक उन्हीं शर्तों पर, उद्योग स्थापित करने को तैयार हो गये हैं, जो उद्योगपतियों के लिये उल्हास-नगर में दी गई हैं ।

छोटे पैमाने के उद्योग

*९९२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में बिहार सरकार को, बिहार राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये कितना ऋण दिया गया ; और

(ख) यह राशि किस ब्याज की दर पर दी गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) दो लाख रुपये ।

(ख) पौने चार प्रतिशत प्रतिवर्ष ।

श्री विभूति मिश्र : क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास विभिन्न छोटे छोटे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ (छोटे पैमाने के उद्योगों) के बारे में लिख कर भेजा था कि उस को रुपया दिया जाय, या कम से कम लोन दिया जाय ?

श्री कानूनगो : यह जो दो लाख रुपया उस की मांग के अनुसार दिया गया था उस को वह अपनी स्कीम के अनुसार दे सकती है ।

श्री विभूति मिश्र: क्या सरकार को मालूम है कि बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ वाले ३¹/₄ फी सदी सूद पर कर्ज़ नहीं ले सकते ? और क्या सरकार इस सूद की दर को घटायेगी ?

श्री कानूनगो : बिहार सरकार ने ज्यादा रुपया मांगा है और वह मंजूर भी हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : सूद के दर की बात है ।

श्री कानूनगो : बिहार सरकार अपनी तरफ से सूद दे सकती है, लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट जो कुछ देती है उस का सूद नहीं घटाया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बताया कि बिहार सरकार ने रुपया मांगा है, मैं जानना चाहता हूं कि किन किन कामों के लिये यह रुपया मांगा गया है और बिहार सरकार ने क्या कोई सूची भेजी है ।

श्री कानूनगो : उस की फेहरिस्त देने की जरूरत नहीं है । उस का अपना कारपोरेशन है और अपनी इच्छानुसार वह रुपया दे सकती है ।

†श्री भागवत झा आजाद : बिहार सरकार कुल कितनी रकम मांग रही है ? क्या बिहार सरकार ने इन छोटे पैमाने के उद्योगों में रोज़गार बढ़ जाने के सम्बन्ध में कोई संकेत दिया है ?

†श्री कानूनगो : मैं कह सकता हूं कि बिहार सरकार ने ऋण के रूप में बांटने के लिये ७,५०,००० रुपये की मांग की है और वह उन योजनाओं को कार्यान्वित करेगी । निस्सन्देह, उस से वर्तमान की अपेक्षा रोजगार बढ़ जायेगा ।

कोयला

†*९९३. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका विश्व कोयला बाजार पर छाया हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो विश्व बाजार में कोयला निर्यातक के रूप में भारत का क्या स्थान है ?

†उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : (क) विश्व कोयला बाजार में छा जाने के लिये अमरीका के प्रयत्नों के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है । तथापि अनौपचारिक रूप से पता चला है कि अमरीका का कोयला यूरोप के देशों को और एशिया में जापान तथा कोरिया को भेजा जाता है ।

(ख) समीपवर्ती देशों में, अर्थात् लंका, बर्मा, पाकिस्तान और सिंगापुर में, जिन्हें भारत का प्राकृतिक बाजार समझा जा सकता है, भारत का कोयला लाभ के साथ बिकता है । इन क्षेत्रों में अमरीका के कोयले के आने की कोई संभावना नहीं है ।

†श्री रघुनाथ सिंह : लगभग पांच वर्ष पूर्व हम ने जापान को कितना कोयला निर्यात किया था और इस समय हमारा निर्यात कितना है ?

†श्री सतीशचन्द्र : यह बहुत गिर गया है । केवल कोरियाई युद्ध के दिनों में जापान को कोयला भेजा गया था । उस से पहले जापान हमारे कोयले का मुख्य ग्राहक नहीं था और न अब है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इन्डोनेशिया को कितना कोयला निर्यात किया जाता है ?

†श्री सतीशचन्द्र : इन्डोनेशिया को कुछ भी कोयला नहीं भेजा जाता ।

†श्री एन० बी० चौधरी : जापान, पाकिस्तान, बर्मा आदि में अमरीकी कोयले की तुलना में भारतीय कोयले का मूल्य कैसा है ?

†श्री सतीशचन्द्र : मैं ने बताया है कि भारतीय कोयला पड़ोसी देशों अर्थात् लंका, बर्मा, मलाया आदि में और हांगकांग तक बहुत अच्छी तरह प्रतियोगिता कर सकता है । जहां तक जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का सम्बन्ध है, उन्हें अमरीकी सहायता कार्यक्रम के रूप में कोयला मिल रहा है । उन देशों को पौण्ड पावना विनिमय प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव होती है ।

†श्री चट्टोपाध्याय : क्या कोयला निर्यात का विचार रखते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ६ करोड़ टन

† मूल अंग्रेजी में ।

कोयले का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन कितना कोयला निर्यात करने की संभावना है ?

†**श्री सतीशचन्द्र :** मैं सहसा आंकड़े बताने में असमर्थ हूं । ६ करोड़ टन का लक्ष्य निर्धारित करने में इन सब बातों का ध्यान रखा गया है । निर्यात, हमारी निर्यात करने की इच्छा मात्र पर ही निर्भर नहीं है, किन्तु यह विदेशी बाजारों की मांग पर भी निर्भर है ।

मध्य-आय-वर्ग आवास योजना

†*९९४. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १ सितम्बर १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १३०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य-आय-वर्ग आवास योजना की कार्यान्विति में कोई अग्रेतर प्रगति की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** अब पत्र व्यवहार हो रहा है और शीघ्र ही योजना के कार्यान्वित होने की आशा की जाती है ।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या बीमा समवायों से प्राप्त होने वाले उत्तरों का परीक्षण किया जा चुका है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी हां । बीमा समवायों से प्राप्त उत्तर परीक्षणाधीन हैं ।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या योजना की कार्यान्विति के लिये नियम बनाये जा चुके हैं ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी हां । बीमा समवायों के परामर्श से नियम बनाये जा रहे हैं ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या योजना राज्य सरकारों के द्वारा कार्यान्वित की जायगी या सीधे केन्द्रीय सरकार के द्वारा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं माननीय सदस्य से तब तक प्रतीक्षा करने को कहूंगा जब तक इस पर अन्तिम रूप में निर्णय न हो जाये ।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या मैं जान सकता हू कि इस योजना में जो मिड्ल इनकम ग्रुप के शब्द रक्खे गये हैं उस की परिभाषा क्या है, अर्थात् कौन सी मासिक आय इस में सम्मिलित की जायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इस स्कीम के मातहत २५,००० रुपया तक कर्ज दिया जा सकेगा, अभी यह नियत नहीं किया गया है कि किस हद तक की आमदनी वालों को यह कर्जा दिया जा सकेगा ।

शक्ति मद्यसार

†*९९५. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या मद्रास राज्य सरकार ने शक्ति मद्यसार बनाने की कोई योजना, योजना आयोग के पास भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या योजना आयोग ने कोई निर्णय कर लिया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** (क) जी, हां । मद्रास सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के लिये तंजोर में शक्ति मद्यसार फैक्टरी की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है ।

(ख) (१) वार्षिक उत्पादन क्षमता—१० लाख गैलन शक्ति मद्य सार ।

†मूल अंग्रेजी में ।

(२) योजना की लागत---अनावर्त्तक ३० लाख रुपये और आवर्त्तक ६ लाख रुपये ।

(ग) राज्य सरकार को मंत्रणा दी गई है कि वह इस को सरकारी क्षेत्र में लेने की बजाय किसी गैर-सरकारी दल को इस योजना में दिलचस्पी लेने को प्रेरित करे ।

†**श्री के० के० बसु :** योजना का अनुमानित उत्पादन क्या होगा और यह किस मात्रा तक हमारे देश की ईंधन स्थिति में कुछ सहायता कर सकेगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैंने आंकड़े दे दिये हैं । वार्षिक उत्पादन क्षमता १० लाख गैलन शक्ति मद्यसार होगी ।

†**श्री वीरस्वामी :** मद्रास सरकार द्वारा इस योजना को सरकारी क्षे में न लेन और गैर-सरकारी क्षेत्र में लेने के क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह मंत्रणा दी गई है । मद्रास सरकार इसे सरकारी क्षेत्र म लेना चाहती थी किन्तु उन्हें यह मंत्रणा दी गई है कि वह इसे गैर-सरकारी क्षेत्र पर छोड़ दे ।

†**श्री दामोदर मेनन :** वह इस के कारण जानना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो कारण भारत सरकार के लिये होंगे, मद्रास सरकार के लिये नहीं ।

†**श्री एस० एन० मिश्र :** कारण यह है कि शक्ति मद्यसार उद्योग का गैर-सरकारी क्षेत्र में सफलतापूर्वक विकास हुआ है इसलिय यह मं णा दी गई थी ।

भारतीय विद्युत् अधिनियम

९९६. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या **सिंचाई और विद्यु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विद्युत् अधिनियम १९१० के अन्तर्गत बनाये गए १९३७ वाले नियमों को पुनः प्रारूपित किया जायगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नियमों को दोहराने का कार्य समाप्त किया जा चुका है ;

(ग) यदि हां, तो कौन कौन से मुख्य परिवर्तन किये जायेंगे ; और

(घ) ये किस सीमा तक सार्वजनिक महत्व के हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां ।

(ख) भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१०, के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड ही नियम बनाने वाला प्राधिकारी है । बोर्ड ने जनता की आलोचना जानने के लिये पुनरीक्षित प्रारूप नियम जुलाई, १९५४ में प्रकाशित कर दिय थे । राज्य सरकारों, विद्युत् प्रदाय उद्योग और जनता से मिली टीकाओं, पर बोर्ड ने अक्तूबर १९५५ की अपनी बैठक में विचार किया था । बोर्ड ने स बैठक में जो निर्णय किये थे, उन के आधार पर इन नियमों को पुनः प्रारूपित किया जा रहा है ।

(ग) भारतीय विद्युत् नियम, १९३७ में किये गये मुख्य परिवर्तन दिखाने वाला एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४]**

(घ) इन नियमों में परिवर्तन से विद्युत् प्रदाय लाइनों के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में जान-माल की सुरक्षा और आर्थिक बचत की व्यवस्था की जा सकेगी ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या भारतीय विद्युत् अधिनियम और इस अधिनियम के उपबन्धों का विभिन्न राज्यों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है ; यदि नहीं, तो क्या उन्होंने स अधिनियम के कुछ विशेष नियमों अथवा विशेष उपबन्धों का अतिक्रमण किया है और इस के क्या कारण हैं ?

मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बड़ा ही व्यापक प्रश्न है ; सभी राज्यों से सूचना एकत्र करनी पड़ेगी । माननीय सदस्य को ऐसा स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहिये, जो भारत सरकार की जानकारी के क्षे के भीतर का हो ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या यह सच है कि राज्यों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत विद्युत-बोर्डों की स्थापना करनी है , और यदि ऐसा हो, तो क्या भारतीय संघ के सभी राज्यों ने इस अधिनियम के अन्तर्गत विद्युत बोर्ड स्थापित करने के लिये कार्यवाही की है ?

†**श्री हाथी :** यह १९१० के अधिनियम से नहीं, १९४८ के अधिनियम से उत्पन्न होता है । समय समय पर राज्यों के लिए अवधि बढ़ाई गई है और अन्तिम बार बढ़ाई गई अवधि मार्च १९५६ में समाप्त होगी । अतः यह प्रश्न नहीं है कि किसी राज्य ने अधिनियम का उल्लंघन किया है ।

†**श्री मेघनाद साहा :** क्या सरकार निजी समवायों के सम्बन्ध में भी इस आशय का खण्ड रखने वाली है कि उनको एक निश्चित अधिकतम सीमा से अधिक मूल्य नहीं लेना चाहिये ?

†**श्री हाथी :** यह अभी विचाराधीन है । वास्तव में, उसमें 'पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं' का उपबन्ध है ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में विधि और व्यवस्था

†*९९७. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** उत्तर पूर्वी सीमान्त अधिकरण क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था सम्बन्धी नवीनतम स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने की कृपा करेंगे ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका) :** उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के ६ डिवीज़नों में से ५ में शान्ति है । तुएनसांग के छठें डिवीज़न की स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया है । लगभग एक मास से अधिकारियों और सशस्त्र जत्थों के बीच संघर्ष नहीं हुआ है । उन सब गांवों के निवासियों ने, जिनमें हिंसात्मक विस्फोट हुए थे, अपने अवैध शस्त्रास्त्रों का समर्पण कर दिया है । लगभग एक दर्जन सरगने अब भी फरार हैं, परन्तु वे छिपे हुए हैं । इन लोगों को पकड़ने में गाँव वाले स्वयं अधिकारियों के साथ सहयोग दे रहे हैं । वह सब ग्रामीण, जो इन सशस्त्र गिरोहों के कार्यों में के कारण भाग खड़े हुये थे, अब अपने गाँवों में लौट कर फिर से बस गये हैं और सड़क निर्माण और अन्य रचनात्मक कार्यों के लिये उन्हों ने अधिकारियों को अपनी सेवायें स्वतः समर्पित कर दी हैं । फसलों की कटाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है और गाँव वाले अब नयी जुताई के लिये तैयारियाँ कर रहे हैं ।

परन्तु गश्त करने और बचे हुये सरगनों के छिपने के स्थानों की तलाश करने के लिये सना का अभी कुछ और समय तक इस क्षेत्र में रहना आवश्यक होगा ।

श्रीमती इला पालचौधरी : वहां सेना तैनात होने के बाद से कितने असैनिक कर्मचारी हताहत हुये हैं ?

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** माननीय सदस्या उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के निवासियों के सम्बन्ध में पूछ रही हैं, अथवा सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछ रही हैं ?

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** पिछले लोगों के बारे में, सरकार असैनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में ।

†**श्री जे० एन० हजारिका :** पिछले तीन महीनों, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर में

मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप संख्या बता दीजिये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे सहयोगी विरोधी पक्ष के विद्रोहियों के हताहतों की संख्या बताने जा रहे थे : यदि माननीय सदस्या चाहें तो वे आंकड़े हमारे पास हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे पास अपनी सेना अथवा अपनी ओर के असैनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना है। यदि वे चाहें तो लिख सकती हैं ।

†**श्री जे० एन० हजारिका** : वह मेरे पास हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आप के पास हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आप हताहतों की संख्या ही बता दीजिये ।

†**श्री जे० एन० हजारिका** : उभय पक्षों की ओर हताहतों की कुल संख्या के आंकड़े हैं : मरे २५८ और घायल ६८ ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि सरकार को ज्ञात है कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में कुछ तनातनी है, क्या सरकार ने भारत से कुछ शिक्षा सम्बन्धी दल और सांस्कृतिक दल आदि भेजने के औचित्य पर विचार किया है ? जिससे तनातनी में कुछ कमी की जा सके ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यहाँ से वहाँ सांस्कृतिक दल भेजना उचित हो सकता है । वह उस क्षेत्र से काफ़ी सीख सकते हैं ।

श्री धुलेकर : क्या उस क्षेत्र म विधि और व्यवस्था बनाये रखने का काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी बाहर से भर्ती किये जाते हैं या इसी स्थान के कोई एजेंट भी इस कार्य में लग हुये हैं ?

†**श्री जे० एन० हजारिका** : इन क्षे ों के लिये भर्त्ती किये गये अधिकारी समस्त देश के होते हैं और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कुछ अधिकारी उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्र के भी होते हैं ।

बिहार के लिये बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†*९९८. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने केन्द्रीय जल और विद्युत् शक्ति आयोग द्वारा पड़ताल के लिये जो योजनाएं प्रस्तुत की थीं, उनकी संख्या और स्वरूप क्या है ;

(ख) केन्द्रीय जल और विद्युत शक्ति आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाओं की संख्या और स्वरूप क्या है ; और

(ग) कितनी सहायता मांगी और प्रदान की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) मांगी गयी सूचना के साथ एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, उपबन्ध संख्या ५]**

(ग) १९५४–५५ में ३५ लाख रुपयों का एक ऋण मंजूर किया गया था । चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये२३४ लाख रुपये के अग्रेतर ऋण के लिये एक आवेदन पत्र हाल ही में राज्य सरकार के पास से आया है । मांगे गये ऋण की मंजूरी के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : बाढ़ नियंत्रण की इन योजनाओं में से कितनी आपाती स्वरूप की हैं और क्या सरकार ने बिहार सरकार को उन योजनाओं को अगली बाढ़ से पूर्व

†मूल अंग्रेज़ी में ।

पूरा करने के लिये कोई निदेश दिया है जो आपाती प्रकार की हों ?

†**श्री हाथी** : साधारणतया आपाती प्रकार की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है । आयोग इन योजनाओं की छान-बीन करता है और आपाती योजनाओं के लिये तत्काल मंजूरी दे दी जाती है ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह**: इन में से कितनी योजनायें अब भी विचाराधीन हैं, और केन्द्रीय जल और विद्युत् शक्ति आयोग बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बाकी योजनाओं की पड़ताल कर उनको कब तक मंजूर कर लेगा ?

†**श्री हाथी** : लगभग सत्रह योजनाओं की पड़ताल की जा चुकी है और दूसरी योजनाओं की पड़ताल में कुछ समय लगेगा । अगली बाढ़ के मौसम में, निश्चय ही इन्हें हाथ में ले लिया जायगा, और बची हुई योजनाओं की तत्काल पड़ताल की जायेगी ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी**: क्या सरकार ने यह पूछताछ की है कि क्या उस भूमि के लिये कुछ क्षतिपूर्ति दी गयी है, जो कुछ बांधों के निर्माण के लिये ले ली गयी है ?

†**श्री हाथी** : दस लाख रुपयों से कम लागत वाली योजनाओं की पड़ताल केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती । केवल दस लाख से ऊपर वाली योजनायें ही प्राविधिक छानबीन के लिये यहां आती हैं । हम केवल कार्य के प्राविधिक पहलू की ही ओर देखते हैं ।

भाखड़ा नंगल परियोजना में विद्युत शक्ति इकाइयां

†*१०००. **सरदार इकबाल सिंह**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा और नंगल बांध में विद्युत्-शक्ति इकाइयों की स्थिति के सम्बन्ध में कोई अन्तिम योजना पंजाब सरकार के पास से केन्द्रीय सरकार के पास आयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विशेष बातें क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) आरम्भ में, भाखड़ा में ९०-९० हजार किलोवाट वाली पांच इकाइयां रहेंगी । जब भी भार बढ़ेगा तो ९०-९० हजार किलोवाट वाले चार जेनेरेटिंग सेट और स्थापित कर दिये जायेंगे । नंगल में, गंगुवाल और कोटला के दोनों बिजली घरों में से प्रत्येक में २४–२४ हजार किलोवाट की तीन इकाइयां रहेंगी ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : किन कारणों से सरकार को भाखड़ा की विद्युत्-शक्ति इकाइयों में परिवर्तन करने के लिये बाध्य किया है ?

†**श्री हाथी** : यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य दस के स्थान पर नौ सेटों की स्थापना से है, तो उसका कारण यह है कि हम एक खाद का कारखाना स्थापित करने जा रहे हैं, जिसकी भार-सामर्थ्य शत प्रतिशत होगी । वर्तमान भार-सामर्थ्य साठ प्रतिशत आंकी गयी थी । इसलिये दस के स्थान पर नौ सेटों की स्थापना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होगी ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस भार से पंजाब, पेप्सू और अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों को कितनी विद्युत् शक्ति दी जा सकेगी ?

†**श्री हाथी**: हम सभी क्षेत्रों अर्थात्, राजस्थान, पेप्सू और पंजाब का भार-सर्वेक्षण कर चुके हैं । यदि माननीय सदस्य वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि कृषि तथा अन्य कार्यों के लिये कितने प्रतिशत विद्युत् शक्ति का उपयोग किया जायेगा, तो मुझे इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

दामोदर घाटी निगम

†*१००२. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में हुगली जिले के आराम बाग परगने का कौन सा भाग दामोदर घाटी निगम से लाभान्वित होगा ; और

(ख) क्या इस योजना के फलस्वरूप खनकुल थाने के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों के लिये कोई खतरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६]**

†**श्री एन० बी० चौधरी :** पहले के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय उपमंत्री ने बताया था कि ऊपरी प्रदेश में बनाये गये बांधों और बांधों के फलस्वरूप दामोदर का २५ प्रतिशत पानी रोका जायगा। जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित है, क्या इससे खनकुल क्षेत्रों के लिये जल-प्रदाय में कमी नहीं उत्पन्न हो जायगी ?

†**श्री हाथी:** इससे पानी की कमी नहीं उत्पन्न होगी। कुछ भी हो, इस प्रश्न की जांच करने के लिये हमने एक समिति नियुक्त कर दी है। समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है।

†**श्री एन० बी० चौधरी:** इस वक्तव्य से यह पता चलता है कि इस योजना से परगने के केवल चवालीस गांव लाभान्वित होंगे। क्या सिंचाई की सुविधायें पड़ौसी क्षेत्रों में भी बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

†**श्री हाथी :** इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। परन्तु बाद में, यदि पड़ौसी क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह पाया गया कि इनकी सिंचाई करना सम्भव है तो, इस पर भी विचार किया जायेगा ?

†**श्री एन० बी० चौधरी:** इस विचार से कि २५ प्रतिशत पानी रोका जायेगा, क्या मैं जान सकता हूं कि दामोदर की सहायक नदी द्वारिकेश्वर का कितना पानी बरसात में और कितना पानी अन्य ऋतुओं में रोका जायेगा ?

†**श्री हाथी :** जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है, इस प्रश्न पर समिति ही विचार करेगी।

†**श्री के० के० बसु** : क्या यह विभागीय समिति है; यदि हां, तो क्या वह स्थानीय लोगों के, जिन पर इस योजना का प्रभाव पड़ेगा, अभ्यावेदन स्वीकार करेगी ?

†**श्री हाथी :** यदि ये अभ्यावेदन बंगाल सरकार को भेजे जायेंगे तो वह इन्हें समिति को भेज देगी।

†**श्री एस० सी० सामन्त:** क्या यह समिति रूपरानी नदी की समस्याओं पर भी, जिसके प्रवाह पर दामोदर घाटी का प्रभाव पड़ा है, विचार करेगी ?

†**श्री हाथी:** वास्तव में, यह समिति के कार्यों में से एक कार्य है कि निचली (लोअर) दामोदर घाटी में होने वाले किन्हीं भी खराबियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जाये ?

कोयले का चूरा

†*१००३. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत में उपलब्ध कोयले के चूरे को उपयोगी ढंग से प्रयोग करने की कोई योजना है ; और

(ख) ३० जून १९५५ तक भारत की भिन्न भिन्न कोयले की खानों के मुहानों पर

† मूल अंग्रेजी में।

पड़े हुए कोयले के चूरे तथा अन्य घटिया प्रकार के कोयले की कुल कितनी मात्रा थी ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) कोयले का चूरा इस समय मुख्यतः ईंटें पकाने के काम में आता है । कोयले के उपयोग के सम्बन्ध में कोयला उद्योग की कार्यकारी समिति ने १९५१ में सिफारिश की थी कि भविष्य में कोयले के क्षेत्रों में स्थित अथवा उनके समीप स्थित सभी ताप-विद्युत् कारखाने (थर्मल स्टेशन्ज़) ऐसा चूरा, उस अथवा कुचले हुए कोयले का प्रयोग करें जिसमें कम से कम २४ प्रतिशत राख अवश्य हो । सरकार द्वारा यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । सम्बद्ध अधिकारियों से यथासम्भव सीमा तक इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कह दिया गया है ।

(ख) कोयला आयुक्त द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार ३० जून, १९५५ को निम्नलिखित संग्रह था :—

(१) पश्चिमी बंगाल–बिहार के कोयला क्षेत्रों में चूरा—१६ लाख टन, इसमें १० लाख टन निम्न श्रेणी का चूरा भी सम्मिलित है ।

(२) अन्य प्रकार के निम्न श्रेणी के कोयले के संग्रह—८७०,००० टन ।

(३) पश्चिमी बंगाल–बिहार के बाहर अन्य क्षेत्रों में कोयले के संग्रह; —१६२,००० टन ।

†**श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : चूंकि कोयले के चूरे के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्या मैं जान सकता हूं कि धनबाद ईंधन गवेषणा संस्था ने इससे सांश्लेषिक तेल निकालने की कोई योजना प्रस्तुत की है, और भी, क्या ईंधन बचत जांच समिति के प्रतिवेदन ने इसके सही उपयोग के प्रश्न पर कोई प्रकाश डाला है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: ईंधन गवेषणा संस्था ने इस विषय पर एक गोष्ठी की थी । उन्होंने सिफारिश की है कि थर्मल स्टेशनों के अतिरिक्त भी कोयले का चूरा सांश्लेषित गैस बनाने में, रसायनिक उर्वरक बनाने में तथा बायलर्स (वाष्पित्रों) में भी प्रयोग किया जा सकता है । ये भिन्न भिन्न योजनाएं सरकार तथा योजना आयोग के विचाराधीन है ।

†**श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या इस चूरे में से वाष्पयंत्रो (बायलरों) के लिये छोटी छोटी इटें बनाने का भी कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: सरकारी क्षेत्र में विचार नहीं किया जा रहा है । यदि निजी उद्योगों को लाभदायी हो तो वे यह कार्य कर सकते हैं ।

†**श्री चट्टोपाध्याय**: क्या यह सत्य है कि जब खुला रखा जाये तो कोयले के चूरे की विशेषता ५० से ६० प्रतिशत तक घट जाती है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: कोयले का चूरा इस बात का द्योतक नहीं कि कोयला ऊंची कोटि का है । जो कोयला १ इंच से कम आकार का होता है उसे कोयले का चरा कहा जाता है ।

सिंदरी फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड

†***१००४. श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **उत्पादन** मंत्री सिंदरी के उर्वरक तथा रसायन कारखाने के प्रशासी कार्यालयों में पुनर्नियुक्त किये गये निवृत्ति प्राप्त सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : ग्यारह, तीन अपर डिवीज़न क्लर्कों को मिला कर ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री भागवत झा आजाद:** क्या अप्रशासी कार्यालयों में भी ऐसे कर्मचारियों की संख्या काफ़ी अधिक है ? यदि हां, तो क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं कि जब नये व्यक्ति मिल रहे हैं तो सरकार निवृत्ति प्राप्त लोगों को क्यों लगा रही है ?

†**श्री आर० जी० दुबे:** अप्रशासी कार्यालयों में उनकी संख्या ८ है । कारण यह है कि समवाय इस कार्य के लिये विशेषज्ञ व्यक्तियों को लगाना चाहती है । इसलिये ये अनुभवी व्यक्ति लगाये गये हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद:** क्या सरकार को इस बात की खबर है कि विशेषज्ञ व्यक्तियों की आड़ में ऐसे व्यक्ति रखे गये हैं जो शारीरिक रूप से योग्य नहीं हैं और काम करने के लिये दुर्बल हैं ?

†**श्री आर० जी० दुबे :** केवल कुछ ही अवस्थाओं में निवृत्ति-प्राप्त लोगों को नियुक्त किया गया है । सिंदरी के उर्वरक तथा रसायन कारखाने में निवृत्ति आयु ५८ वर्ष है । कुछ ही अवस्थाओं में व्यक्तियों के अनुभव के कारण उन्हें और समय देकर इसे ६० वर्ष तक किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि वे शारीरिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि वे कार्य नहीं कर सकते हैं ।

†**श्री आर० जी० दुबे :** सरकार को ऐसी जानकारी नहीं है ।

हिन्दी की पाण्डुलिपियों की छपाई

*१००५. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हिन्दी की पाण्डुलिपियों को फोटो कम्पोजिंग से छापने का एक आसान तरीका निकाला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तो क्या उस तरीके को भारत में प्रचलित करने के कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). कई कम्पनियां अनेकों प्रकार की फोटो कम्पोजिंग मशीनों का विकास करने में लगी हुई हैं । इन मशीनों के बनाने वाले ऐसे तरीकों की खोज कर रहे हैं जिससे प्रूफ में गलतियां अच्छी तरह से ठीक ठीक सही की जा सकें । ऐसे किसी तरीके का विकास हो जाने पर ही इन मशीनों को काम में लाने का विचार किया जा सकता है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकारी छापेखानों में भी फोटो कम्पोजिंग से हिन्दी की छपाई करने के बारे में कोई प्रयोग किया जा रहा है, और यदि हाँ, तो इस छपाई के समय में और व्यय में कितनी कमी होने की आशा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं पहले जवाब दे चुका हूं कि अभी किसी सरकारी छापेखाने में ऐसी मशीन चालू नहीं की गयी है क्योंकि कोई मशीन अभी तक ऐसी नहीं बन सकी है जिसमें अच्छी तरह से गलती को ठीक किया जा सके ।

कपास विपणन केन्द्र

†१००६. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अमरीका की कपास की अधिकता का भारतीय कपास विपणन केन्द्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** ऐसा समझा जाता है कि सीमित मात्रा में और विशेष प्रकारों की फालतू कपास अमरीका द्वारा जनवरी और जुलाई १९५६ की कालावधि में भेजी जायेगी । इस फालतू कपास के उगने का प्रभाव अभी से बताना बड़ा कठिन है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी**: इस कपास के बाज़ार में इस खबर के कारण कोई हलचल हुई है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: जी नहीं, वर्तमान मूल्यों से ऐसी किसी हलचल का पता नहीं लगता है । मूल्य बढ़ रहे हैं । मुझे तो इस बात की चिन्ता है कि कीमतें बढ़ रही हैं ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी**: हम कितनी अमरीकी कपास का आयात करते हैं ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी**: हम केवल एक विशेष लम्बाई के रेशे वाली अमरीकी कपास का आयात करते हैं– १ और $^{1}/_{16}$ और उससे ऊपर की । यह सम्भव है कि इस वर्ष अमरीकी कपास का बड़े पैमाने पर आयात न किया जाये क्योंकि इस समय अमरीकी कपास का मूल्य मिस्र, सूडान तथा यूगंडा की कपास से अधिक है ।

मचकुंड जल-विद्युत संयंत्र

†*१००७. **श्री सारंगधर दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मचकुंड जल-विद्युत् संयंत्र का कार्य कब पूरा हुआ था और इससे कब बिजली उत्पन्न की गई थी ;

(ख) इस समय कितनी मात्रा में विद्युत् उत्पन्न हो रही है;

(ग) मूल करार के अनुसार आन्ध्र और उड़ीसा की सरकारों में किस अनुपात में यह बिजली बांटी जायेगी ; और

(घ) क्या उड़ीसा सरकार अपना भाग ले रही है और इसका उपयोग कर रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) मचकुंड के बिजली घर में पहला जनित्र १९ अगस्त, १९५५ में लगाया गया था ।

(ख) १७,००० किलोवॉट

(ग) आन्ध्र ७० प्रतिशत
उड़ीसा ३० प्रतिशत

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री सारंगधर दास** : उड़ीसा सरकार अपना ३० प्रतिशत क्यों नहीं ले रही है ?

†**श्री हाथी** : उनकी ट्रांसमिशन लाईन नहीं बनी हैं ।

†**श्री सारंगधर दास**: इनका ठेका कब दिया गया था और ये कब पूरी हो जायेंगी ?

†**श्री हाथी**: यह राज्य सरकार का विषय ह । मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कब ठेका दिया गया था । मैं इतना कह सकता हूं कि यह कार्य १९५७ तक पूरा हो जायेगा ।

†**श्री सारंगधर दास**: क्या जब उनकी लाइन पूरी हो जायेगी तो क्या उड़ीसा सरकार का कोटा उसको दे दिया जायेगा ?

†**श्री हाथी**: यह स्वाभाविक ही है । उड़ीसा सरकार अपने अंश का लाभ उठाना चाहती है । जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन पूरी हो जायगी वह इस विद्युत् का लाभ उठाने लगेंगे ।

†**श्री नाना दास**: मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर के सप्रकाश में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने सभी विद्युत् परियोजना अधिकारियों को यह अनुदेश दे दिये हैं कि विद्युत् उत्पन्न होने से पहले ट्रांसमिशन लाईन तैयार करवा लें ?

†**श्री हाथी**: वास्तव में यही तो योजना का विषय है । वे ध्यान रखते हैं कि बिजली घर बनने तथा चलने से पहले संचार लाईनें बन जायें । किन्तु कभी कभी देर हो ही जाती है ।

†**श्री सारंगधर दास** : क्या आंध्र सरकार उड़ीसा सरकार का जो अंश प्रयोग कर रही हैं उसका उसे पैसा देती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री हाथी** : व्यय ७० और ३० के अनुपात में बांटा जाना है। वह केवल ७० प्रतिशत का प्रयोग कर रहे हैं। मेरा विश्वास है वह उड़ीसा का अंश नहीं प्रयोग कर रहे हैं।

विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी आवास समितियां

†*१००८. **श्री गिडवानी:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी आवास समितियों को प्रतिकर के रूप में अभी तक कितना रुपया दिया गया है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि एक ही सहकारी समिति के कुछ सदस्यों को तो प्रतिकर का रुपया मिल गया है और कुछ को नहीं मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका रुपया रोकने का क्या कारण है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: (क) इस प्रकार की सहकारी आवास समितियों को कोई भी प्रतिकर देय नहीं है। दावेदार सदस्यों को ५५.५१ लाख रुपये का भुगतान किया गया है जिसमें ऋण के रूप में दिया गया अग्रिम प्रतिकर का २५.५७ लाख रुपया भी सम्मिलित है।

(ख) हां।

(ग) शेष सदस्यों को इस लिये भुगतान नहीं हो सका है कि पिछले वित्तीय वर्ष में रुपया नहीं मिल सका है अथवा उनके मामलों का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ था। विभिन्न प्रदेशों को इस वर्ष में रुपये देने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

†**श्री गिडवानी:** क्या उन समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके कुछ सदस्यों को रुपया मिल चुका है और कुछ को नहीं मिला है ?

†**श्री जे० के० भोंसले:** यह ठीक है, जिनको रुपया नहीं मिला है पहले सीधे उनको रुपया दिया जायेगा।

†**श्री गिडवानी:** ऐसी कितनी आवास संस्थाएं हैं जिन्होंने दिल्ली और अन्य स्थानों में रुपयों के लिये प्रतिवेदन भेजे? और कितनी संस्थाओं को रुपया प्राप्त हो चुका है ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : कुल मिला कर ४२ संस्थाएं हैं जिन्होंने प्रतिकर तथा ऋण के लिये कहा है। दिल्ली में ३, राजस्थान में, ९, पंजाब में २, बम्बई में १०, उत्तर प्रदेश में १६, प्रार्थनापत्रों की कुल संख्या २३२२ है। इनमें से १७२० प्रार्थियों को भुगतान कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने कहा है ५५.१ लाख रुपया दिया गया है।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार इन सभी सहकारी संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यक धन का प्रबन्ध करेगी ताकि जब इनको रुपया मिल जाये तो ये शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर सकें ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : विचार तो ऐसा ही है।

बर्मा से व्यापार

†*१००९. **श्री तुलसीदास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा सरकार ने प्रशुल्क रियायत के सम्बन्ध में भारत को १ अक्तूबर, १९५३ से, अधिमान देना बन्द कर दिया है ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप बर्मा को हमारे निर्यात पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ;

(ग) बर्मा सरकार के इस कार्य का, बर्मा को निर्यात होने वाली, किन मुख्य वस्तुओं पर प्रभाव पड़ा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) क्या बर्मा को २० करोड़ रुपये का ऋण स्वीकार करते समय बर्मा को निर्यात होने वाली भारतीय वस्तुओं पर, आयात शुल्क, कम करने के सम्बन्ध में कुछ बातचीत हुई थी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यथार्थतम प्राक्कलन बताना कठिन है । कुछ अन्य बातें भी हैं जिनका हमारे बर्मा के व्यापार पर प्रभाव पड़ा है । विकास कार्यों पर व्यय में वृद्धि के कारण भुगतान शेष की स्थिति को देखते हुए बर्मा को अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा । फालतू चावल के निर्यात की दृष्टि से बर्मा को कई देशों के साथ द्विपक्षीय करार भी करने पड़े हैं जिसने हमारे हित की कितनी ही वस्तुओं के व्यापार को विकसित कर दिया है। इन सभी बातों का हमारे निर्यात पर, मुख्यतया सूती वस्त्रों, पोशाकों, जूतों, कागज, गत्ता, लेखन सामग्री तथा लोहे और इस्पात की वस्तुओं के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है ।

(घ) जी नहीं ।

†**श्री तुलसीदास** : सरकार इन वस्तुओं के इस बाज़ार को बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**श्री करमरकर** : हम सभी कार्यवाहियां करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हमें यह भी आशा है कि मेरे माननीय मित्र जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वह भी इस सम्बन्ध में जोरदार कार्यवाही करेगा ।

† **श्री जोकीम आल्वा** : झींगो के निर्यात के सम्बन्ध में त्रावनकोर–कोचीन में कुछ असन्तोष है । क्या यह समझ लिया गया है कि बर्मा झींगों के डिब्बे लेने में समर्थ नहीं है क्योंकि बर्मा के समक्ष रोटी की समस्या है तथा वे अपना चावल दे रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह उनकी सम्मति है तथा वह अपनी जानकारी बता रहे हैं ।

ऊद बिलाव (बीवर)

†*१०१०. **श्रीमती कमलेंदुमति शाह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में एक किस्म का जानवर, जिसको ऊद बिलाव (बीवर) कहते हैं , बांध बनाता था;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त जानवर, लगभग तीन सप्ताह में, छः फीट चौड़ा, अठ्ठारह फीट लम्बा बांध बना सकता है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व, उत्तर पश्चिम अमरीका में हज़ारों एकड़ भूमि को, इन ऊद बिलावों (बीवर) ने मिट्टी के कटाव से बचाया है ; और

(घ) क्या सरकार इस कार्य के लिये इन जानवरों का आयात करने का विचार कर रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ऐसा ज्ञात हुआ है कि ऊद बिलाव (बीवर) का प्रयोग अमरीका के उत्तरी भागों में किया जाता है ।

(ख) और (ग). सरकार को ऐसी जानकारी नहीं है ।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह**: क्या सरकार आजमाइश के लिए इन जीवों को भारत में भी मंगावेगी ?

श्री हाथी : आजमाइश के लिये मंगा सकते हैं, लेकिन ये जीव ठंडी क्लाइमेट में रहने वाले हैं । ये जानवर ठंडे देशों में रहने वाले हैं । यहां जी नहीं सकते ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : भारत में ऐसे स्थान हैं जो कि ठंडे भी हैं और गरम भी हैं और इन जीवों को बचाने का यहां बहुत अच्छा प्रबन्ध किया जा सकता है ।

†**श्री हाथी** : यह सम्भव नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : एक प्रश्न, यह एक रुचिकर प्रश्न है ।

†**श्री के० के० बसु** : यह जानवर किस प्रकार का है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जैसा भी है ।

अम्बर चर्खा

†***१०११. श्री हेडा** : क्या **उत्पादन** मंत्री अहमदाबाद में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण केन्द्र के उद्घाटन के समय श्रम मंत्री द्वारा दिये गये भाषण जिसमें उन्होंने यह बताया था कि कुटीर उद्योगों को २५ वर्ष तक के लिये संरक्षण दिया जाये तथा इन इकाइयों का ५० प्रतिशत व्यय राज्य द्वारा वहन किया जाये, के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस प्रकार की नीति बना ली है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: सरकार अब भी कुटीर उद्योगों को संरक्षण देने की तथा उनके विकास तथाविक्रय को कई प्रकार की सहायता देने की नीति अपना रही है । कार्वे समिति का प्रतिवेदन जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त कुटीर उद्योग की भी चर्चा है, सरकार के विचाराधीन है ।

†**श्री हेडा** : मेरा प्रश्न श्रम मंत्री द्वारा दिये गये भाषण, जैसा कि वह समाचार पत्र में छपा था, के सम्बन्ध में हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने २५ वर्ष का संरक्षण देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : सरकार इस समय अगली पंचवर्षीय योजना के संरक्षण तथा विकास योजनाओं पर विचार कर रही है । उसने अगले २५ वर्ष की अवधि के प्रश्न पर विचार नहीं किया है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : अम्बर चख के सम्बन्ध में कई मंत्रालयों के बीच जो वाद-प्रतिवाद चल रहा था, क्या अब वह समाप्त हो गया है तथा यदि हां, तो कैसे ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कोई वाद-प्रतिवाद नहीं है । मामले पर चर्चा हो रही है । योजना आयोग इस पर विचार कर रहा है तथा बाद में मंत्रिमंडल इस पर विचार करेगा ।

†**श्री सारंगधर दास** : क्या इसके अग्रेतर यंत्रीकरण, जैसे अम्बर चर्खे को विद्युत द्वारा चलाना, की कोई संम्भवल !

†**श्री सतीश चन्द्र**: इस समय जैसा अम्बर चर्खे का स्वरूप बनाया गया है, वह मनुष्य द्वारा चलाने योग्य ही समझा गया है। परन्तु भविष्य में प्रौद्योगि की विकास से, सम्भव है यह विद्युत् से चलाया जा सके ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जम्मू तथा काश्मीर में विस्थापित व्यक्ति

†***९८५. श्री राधा रमण** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई योजना स्वीकार की है जिसके अनुसार पाकिस्तान से जम्मू तथा काश्मीर में आये विस्थापित व्यक्तियों को, बिल्कुल उसी प्रकार के लाभ तथा विशेषाधिकार दिये जायेंगे, जैसे पाकिस्तान से भारत को आये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये हैं ;

(ख) जम्मू तथा काश्मीर में कितने विस्थापित व्यक्ति हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

(ग) उनको पुनर्वासित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: (क) भारत ने यह निर्णय किया है कि संघ में निवास करने वाले सभी काश्मीरी विस्थापित व्यक्तियों को केवल प्रतिकर के भुगतान तथा पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले ऋण की स्वीकृति को छोड़ कर सामान्यत: वही पुनर्वास लाभ दिये जायेंगे जो कि पश्चिमी पाकिस्तान के अन्य विस्थापित व्यक्तियों को दिये जाते हैं ।

(ख) उस राज्य में विस्थापित व्यक्तियों की जनगणना नहीं की गई है अत: जानकारी प्राप्य नहीं है ।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में विस्थापित व्यक्तियों को पुन: बसाने के लिये भारत सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित धनराशियां स्वीकृत की हैं :—

(१) १०.५३ लाख रुपये, नक़द अकर्म वेतन देने के लिये अनुदान के रूप में ;

(२) ६५.६३ लाख रुपये पुनर्वास ऋण के भुगतान के लिये ;

(३) ४३.६८ लाख रुपये, जम्मू में २००० मकानों के निर्माण के लिये ।

इसके अतिरिक्त उधमपुर, राजौरी, सुन्दरबनी तथा नौशेरा बस्तियों में मकान तथा दुकान-व-मकान बनाने का निर्णय किया गया है ।

भारतीय इस्पात प्रतिनिधिमंडल

†*९८९. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री १० अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस को इस्पात तथा धातु-विज्ञान विशेषज्ञों के भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था; और

(ख) प्रतिनिधि मंडल पर कुल कितना व्यय किया गया ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिनिधि मंडल पर लगभग १,०६,००० रुपये व्यय किये गये थे । परन्तु यह लेखों के अन्तिम समायोजन के अधीन है ।

कुटीर उद्योगों की अग्रिम परियोजना

†*९९९. **श्री बी० के० दास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास खंडों में कुटीर उद्योगों के विकास के लिये अग्रिम परियोजनायें कब से लागू की गई हैं ; और

(ख) इस समय परियोजना किस अवस्था पर है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) और (ख). २७ मई, १९५५ को राज्य सरकारों को योजना का परिचय यह प्रार्थना करते हुए किया गया था कि १५ जून, १९५५ तक क्षेत्रों का चुनाव कर लें तथा न को अन्तिम रूप में दे दें और १५ अगस्त, १९५५ तक सामुदायिक परियोजना पदाधिकारी (उद्योग) नियुक्त कर लें । ये पदाधिकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सलाह से राज्य सरकारों ने छांटे थे । इन को बम्बई में छ: माह का प्रशिक्षण दिया गया था तथा इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कार्य भार सम्भाल लिया । ये अब कुटीर उद्योगों के विकास के लिये एक कार्यक्रम बना रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पांडिचेरी की कपड़ा मिलें

†*१००१. **श्री पुन्नूस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पांडिचेरी के कपड़ा मिल मालिकों ने अपने श्रमिकों को नवम्बर १९५५ से निवृत्ति वेतन देना बन्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में भारत सरकार की सलाह ली गई थी ;

(ग) निवृत्ति वेतन देना बन्द करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) मिलों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष निवृत्ति वेतन देने का भार बढ़ता रहा है तथा अफ्रीका के बाज़ार के समाप्त होने के कारण वे लगातार निवृत्ति वेतन देने के लिये समर्थ नहीं हैं।

(घ) पांडिचेरी सरकार हल निकालना चाहती है तथा दोनों दलों में यह समझौता कराने में समर्थ हुई है कि मिल प्रबन्धकों द्वारा नवम्बर तथा दिसम्बर का निवृत्ति वेतन दिया जाये, इस प्रश्न के विधि तथा वित्तीय पहलुओं पर मध्यस्थ निर्णय स्वीकार किया जाये तथा मध्यस्थ निर्णय समिति, जिसकी शीघ्र नियुक्ति की सम्भावना है, के निर्णय को माना जायें।

सीमेंट

†*१०१२. **श्री एम० डी० जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक निर्माण योजनाओं के मामले में दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर सीमेंट की अत्यधिक कमी अनुभव की जा रही है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). कुछ दिन पूर्व हुई बाढ़ो, लोक कार्यों का अत्यधिक निर्माण आदि के विभिन्न कारणों से, दिल्ली तथा सामान्यतः देश के उत्तर तथा पूर्वोत्तर भाग में सीमेंट की संभरण स्थिति बिगड़ गई है।

भारत-पाकिस्तान संयुक्त तथ्य निर्धारण आयोग

†*१०१३. **श्री एस० के० रज़मी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपहृत व्यक्ति की पुनः प्राप्ति सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान करार की लिखत में वर्णित संयुक्त तथ्य निर्धारण आयोग ने साक्ष्य के लिये कुछ साक्षियों को बुलाया था ;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने स्वयं साक्ष्य लिया था अथवा इस कार्य के लिये उसने कुछ पदाधिकारी नियुक्त किये थे ;

(ग) क्या खोये हुये व्यक्तियों के सम्बन्धी अथवा कोई शरणार्थी संस्था भी बुलाई गई थी ; और

(घ) ये कार्यवाही सार्वजनिक रूप से की गई थी अथवा गुप्त रूप में ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) तथ्य निर्धारण आयोग के सहायतार्थ नियुक्त किये गये दो पदाधिकारियों ने—एक भारत सरकार द्वारा और एक पाकिस्तान सरकार द्वारा—साक्ष्य दिया था।

(ग) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) कार्यवाही गुप्त रूप से नहीं हुई थी यद्यपि जनता को भी विशेषतया नहीं बुलाया गया था।

गुड़ तथा खंडसारी

†*१०१४. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **उत्पादन** मंत्री १७ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गुड़ तथा खंडसारी उप-समिति द्वारा की गई सिफारिश पर अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने, प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रत्येक मंडी में अच्छी बिक्री तथा श्रेणी बद्ध करने के लिये, गुड़ की किस्म के न्यूनतम स्तर निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : बोर्ड ने गुड़ तथा खंडसारी उप-समिति की सिफारिश पर विचार कर लिया है। स्तर निर्धारित करने के लिये बाज़ार की किस्मों का सर्वेक्षण करने की कार्यवाही की जा रही है। हैदराबाद, उत्तर प्रदेश बिहार तथा मध्य प्रदेश सरकारों से गुड़ को श्रेणी बद्ध करने के केन्द्रों को संगठित करने की प्रार्थना की गई है।

प्रारम्भिक जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात् बोर्ड न्यूनतम स्तर निर्धारण पर अन्तिम निर्णय करेगा। इस बीच में कोई कृषि विपणन परामर्शदाता द्वारा पहले निश्चित की गई श्रेणियों का प्रचार करने का प्रयत्न कर रहा है।

कपड़ा उद्योग

†*१०१५. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा उद्योग में स्वचालित करघे लगाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ;

(ख) क्या ऐसे करघे लगाने अथवा आयात करने की कोई अनुज्ञप्ति दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उन संस्थाओं के क्या नाम हैं जिन्हें अनुज्ञप्तियां दी गई हैं और प्रत्येक संस्था को कितने करघों की स्वीकृति दी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) हां, श्रीमान्। लोक-सभा द्वारा वैज्ञानिकन के विषय में पारित किये गये प्रस्ताव के अनुसार।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) अभी तक, बम्बई डाइंग एण्ड मैनूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटिड को साढ़े करघों के स्थान पर १२०६ स्वचालित करघे लगाने की अनुज्ञप्ति दी गई है।

बेल्लमपल्ली की कोयले की खानें

†*१०१६. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बेल्लमपल्ली की कोयले की खानों में हड़ताल होने के कारण हैदराबाद राज्य में स्थानीय उद्योगों द्वारा कोयले की कमी अनुभव की जा रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में हैदराबाद के वाणिज्य संघ ने कोयला आयुक्त के पास कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(ग) उक्त उद्योगों को कोयला सम्भरित करने के सम्बन्ध में, ताकि हड़ताल के कारण कोयले की कमी से उनका काम रुके नहीं, सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां।

(ग) हड़ताल २८ नवम्बर, १९५५ को समाप्त हो गई थी। हड़ताल के दौरान में सिंगरेनी की कोयले की खानो से यह कट गया था कि वे दक्षिणी भारत में अन्य उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बांट को कम कर के हैदराबाद राज्य के इन विशेष उद्योगों को प्रतिदिन कोयले के तीन डिब्बे सम्भरित करें। उद्योगों को इस बात की भी अनुमति दी गई थी कि वे उन वैकल्पिक स्रोतों से भी कोयला ले सकते हैं जिनके लिए तदर्थ आधार पर मंजूरियां दी गई थीं। जहां तक सरकार को ज्ञात है, हैदराबाद राज्य का कोई भी कारखाना हड़ताल के दौरान में कोयले की कमी के कारण बन्द नहीं हो गया था अथवा उसका उत्पादन कम नहीं हुआ था।

मनीपुर में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†*१०१७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कितने नये खंड खोलने की प्रस्थापना है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : मनीपुर सरकार ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा का एक खंण्ड इम्फाल के पूर्वी क्षेत्र में और दूसरा उखरूल क्षेत्र में स्थापित करने की स्थापना को है।

वेतनों की उच्चतम सीमा

†*१०१८. **श्री तिम्मया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, जैसी कि प्राक्कलन समिति ने अपने नवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है, गैर-सरकारी क्षेत्र में वेतनों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने की प्रस्थापना की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में गैर सरकारी क्षेत्र से परामर्श किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

†*१९ **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक त्रिपुरा के कितने विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिमी बंगाल के मापमान के अनुसार पुनर्वास ऋण दिये गये है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा-समय लोक-सभा पटल पर रख दो जायेगी।

टैकनीशियनों (प्रविधिज्ञों) का प्रशिक्षण

†*१०२०. **श्री संगण्णा** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में ४८० विद्यार्थियों के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए जर्मनी से कोई यंत्र मंगाने के लिये आर्डर दिया गया है ;

(ग) क्या उसके उपरांत यह यंत्र अलीगढ़ प्रशिक्षण केन्द्र को भेज दिया गया है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर हां में है तो उस के क्या कारण है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) हां, श्रीमान् रूरकेला में ३०० शिशिक्षओं (एप्रेंटिस) के प्रशिक्षण के लिये एक 'एप्रेंटिस शॉप' स्थापित करने के सम्बन्ध में एक योजना है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सांश्लेषिक तेल का कारखाना

†*१०२१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या उत्पादन मंत्री ७ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांश्लेषिक तेल के कारखाने की स्थापना के लिये सर्वश्री लुर्गी तथा सर्वश्री हेनरिच कोपर्ज द्वारा प्रस्तुत किये गये, "परियोजना प्रतिवेदनों" की जांच करने के लिये डाक्टर जे० सी० घोष की प्रधानता में स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम क्या है ; और

(ख) क्या विशेषज्ञ समिति की ५ तथा ६ दिसम्बर, १९५५ को ई बैठकों में इन सार्थों के कोई प्रतिनिधि उपस्थित ` ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) विशेषज्ञ समिति में निम्नलिखित व्यक्ति है :—

१. डा० जे० सी० घोष . प्रधान
योजना आयोग के सदस्य
२. डा० ए० नागाराजा राव, मुख्य औद्योगिक परामर्शदाता, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सदस्य

३. डा० जे० डब्ल्यू० व्हा `कर, विशे कार्य पदाधिकारी, ईंधन गवेषणा संस्था, धनबाद सदस्य

४. डा० ० लाहिरी, निदेशक, ईंधन ग `षणा संस्था, धनबाद . सदस्य

५. डा० एम० एस० कृष्णन, विशेष कार्य पदाधिकारी, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . सदस्य

६. डा० एस० हूसैन जहीर, निदेशक, दक्षिण केन्द्रीय प्रयोगशाला, हैदराबाद सदस्य

७. श्री ए० बी० ुह मुख्य खान इंजीनियर, राज्य कोयला-खान, कलकत्ता . . सदस्य

(ख) विशषज्ञ समिति ने आपस में भी विचार मिवर्श किया है और दोनों सार्थों के प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श किया है ।

प्रयोगात्मक नाभिकीय विस्फोट

†*१०२२. **श्री कामत :**
डा० जे० न० पारिख :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नाभिकीय तथा ताप नाभिकीय विस्फोटों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये अथवा उन्हें निलम्बित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध करने का विचार रखता है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्थापना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह प्रस्थापना अन्य देशों के साथ मिल कर संयुक्त रूप में प्रस्तुत की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो किन किन देशों के साथ ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां, १ दिसम्बर, १९५५ को भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने एक प्रारूप-संकल्प प्रस्थापित किया था जिसमें सभी सम्बन्धित राज्यों से प्रार्थना की गई थी कि ` परीक्षात्मक विस्फोटों को निलम्बित करने के बारे में बातचीत प्रारम्भ करें ।

(ख) इस संकल्प की एक प्रति पटल पर रखी जाती है [**देखोये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ७**]

(ग) तथा (घ). प्रस्थापनां केवल भारत द्वारा ही प्रस्तुत की गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भिलाई का इस्पात कारखाना

†*१०२३. **श्री किरोलिकर :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री २ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात परियोजना पर रूसी विशेषज्ञों ने अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) नहीं, श्रीमान्, अभी नहीं।

कुटीर उद्योग

†*१०२४. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैसर्ज मेसी डिपार्टमेंटल स्टोरज, अमेरिका के एक प्रतिनिधि श्री मार्टिनूजी, जिसे सरकार ने भारत में कुटीर उद्योगों की वस्तुओं तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं का सर्वेक्षण करने के लिये बुलाया था, की सिफारिशें अथवा सुझाव कार्यान्वित किये गये हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** श्रीमार्टिनूजी द्वारा दिये गये इस सुझाव को कि भारतीय हस्तशिल्प के कुछ नमूनों को पैरिस में प्रदर्शित किया जाये, कार्यान्वित कर दिया गया है। उन द्वारा दिये गये अन्य प्रारम्भिक सुझाव, जो कि भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं के अमेरिका में, बेचे जाने के बारे में थे बाद में मेसी स्टोर्ज द्वारा वापिस ले लिय गये।

फिल्मी संगीत

*१०२५. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री, ५ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी से प्रसारित करने के लिये फिल्मी संगीत किस आधार पर चुना जाता है ; और

(ख) बजाने के बाद रिकार्डों का क्या किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) मर्यादित मात्रा में भाषा, भाव और संगीत गुणों के आधार पर चुनाव किया जाता है। उसके लिये एक विशेष कमेटी बनायी गयी है।

(ख) बाद में उन्हें भारतीय रेड क्रास सोसाइटी या अंधे और लूलेलंगडे व्यक्तियों की संस्थाओं को भेज दिया जाता है ;

निष्कान्त सम्पत्ति

*१०२६. **डा० सत्यवादी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९५५ में बंगलौर के उप-अभिरक्षक (डिप्टी कस्टोडियन) ने ऐसे व्यक्तियों के नाम जिन्होंने सन् १९४७ के बाद सम्दत्तियों बेची अथवा खरीदीं थीं, ये नोटिस जारी किये कि वे कारण बतायें कि उसकी सम्पतियों को निष्कान्त सम्पत्ति क्यों न घोषित कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने नोटिस जारी किये गये ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) बंगलौर के उप-अभिरक्षक (डिप्टी कस्टोडियन) ने अप्रैल, १९५५ में निष्काम्य सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम १९५० (एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवेकुई प्रापर्टी एक्ट) की धारा ७ के अधीन कई नोटिस जारी किये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हर एक मामले में जांच पड़ताल कराये बिना यह बताना संभव नहीं है कि खरीदी अथवा बेची हुई सम्पत्तियों के कितने मामलों में नोटिस जारी किये गये। इस प्रकार की जांच पड़ताल कराने में जितना समय और मेहनत लगेगी उसके बराबर प्राप्त होने वाला परिणाम नहीं होगा।

इंजीनियर कर्मचारी

†*१०२७. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को कार्यान्वित करने में प्रविधिक कर्मचारियों की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये नदी, घाटी, परियोजनाओं में काम कर रहे इंजीनियर कर्मचारियों की निवृत्ति की आयु में छूट देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) अस्थायी कमी केवल कार्यपालक इंजीनियरों के पदों में तथा उन से ऊपर के पदों में होती है। इस कमी को पूरा करने के लिये निवृति की आयु तक पहुंचे हुए उपयुक्त पदाधिकारी तदर्थ आधार पर सेवा में लगे रहने दिये जाते हैं। निपुण निवृत्त पदाधिकारी भी काम पर फिर से लगा लिये जाते हैं। सेवायुक्त पदाधिकारियों को कार्यपालक इंजीनियर के पद पर उन्नत करने के लिये सेवा की अवधि की सामन्य शर्तें अस्थायी रूप से नरम कर दी गई हैं।

मध्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार

†*१०२८. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री १६ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : भारत तथा मध्य पूर्व के देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये मध्य पूर्व के देशों को गये भारतीय सद्भावना व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिये गये एक सुझाव अधिकतर व्यापारी वर्ग द्वारा कार्यान्वित करने के लिये है। प्रतिवेदन छप चुका है और उसे कार्यान्वित करने के लिये प्रतिनिधि संघों को बांटा जा चुका है। उन कुछ एक सुझावों पर, जिन्हें सरकार को कार्यान्वित करना है, विचार किया जा रहा है।

गोआ

†*१०२९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री बी० डी० शास्त्री :
श्री काजरोल्कर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने बांदा के निकट पत्रादेवी चौंकी पर तैनात सात रक्षकों को ३ अगस्त, १९५५ को भारतीय सत्याग्रहियों पर गोली चलाने की बहादुरी के लिये मान प्रदान किया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : गोआ के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार पुर्तगाल के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई आज्ञप्ति में पत्रादेवी में तैनात चार सीमा शुल्क रक्षकों के निहत्थे भारतीय सत्याग्रहियों पर गोली चला कर दो को, मारने तथा दो अन्य व्यक्तियों को घायल करने का "वीरता पूर्ण कार्य" की सराहना की गई है।

†मूल अंग्रेजी में

पंचवर्षीय योजना का प्रचार

†*१०३०. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना के प्रचार के लिये नाटक खेलने के लिये सहायक अनुदान आदि दिये जाते हैं ;

(ख) अनुदान की मात्रा निर्धारित करने वाला प्राधिकारी कौन है और वह किस आधार पर अनुदान देता है ; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रचार योजना के आधीन नियुक्त किये गये प्रभारी पदाधिकारी की सामान्य तथा विशेश अर्हतायें क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) प्रत्येक प्रदर्शन के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(ख) देनगी के मापमान सरकार द्वारा सूचना निदेशकों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं ।

(ग) प्रभारी प्राधिकारी एक अन्य विभाग से प्रति नियुक्ति पर आये हैं। उन्हें नाटक की कला में पर्याप्त अनुभव है और वह पर्याप्त प्रसिद्ध हैं । उनकी प्रति-नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई है ।

रेयन धागा

†*१०३१. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेयन धागे की कमी है और उसके परिणामस्वरूप उद्योग को क्षति पहुंच रही है ; और

(ख) देश में उत्पादित रेयन धागे का परिणाम क्या है तथा इस समय कितना परिणाम आयात किया जाता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) देश में रेयन धागे की कोई भयंकर कमी नहीं है । तो भी कुछ एक स्थानों से कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ८]**

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर

†*१०३२. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी विधवा दावेदारों को, जिन्होंने की अक्टबर, १९५४ को प्रतिकर के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे, अभी तक प्रतिकर नहीं मिला है ;

(ख) यदि हां, तो १९५३ तथा १९५४ के दोनों वर्गों के बारे में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे सारे दावेदा ों को प्रतिकर कब मिलेगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). जुलाई, १९५३ तक रजिस्टर हुए १३९५४ प्रतिकर सम्बन्धी विधवाओं के प्रार्थना-पत्रों में से, १२२२९ को भुगतान कर दिया गया है और १७२५ को भुगतान करना है । दोनों वर्गों के अवशेष मामलों में यथाशीघ्र भुगतान करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

तम्बाकू

†*१०३३. **श्री तुलसी दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से १९५५ तक पैदा हुए तम्बाकू में से गुजरात में कितना स्टाक बिना बिका हुआ है :

(ख) उसके विपणन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उसके निर्यात किये जाने के लिये विदेशी बाजारों में उसकी मांग है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करगरकर)** : (क) ३०-९-५५ को गुजरात क्षेत्र में तम्बाकू का कुल स्टाक १३६० लाख पाउंड था। ये आंकड़े कि १९५२ से प्रतिवर्ष इसमें से कितना पैदा हुआ, इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग). गुजरात में मुख्यतया बीड़ी का तम्बाकू पैदा होता है । ऐसे तम्बाकू की विदेशों में बहुत ही कम मांग है । बीड़ी के तम्बाकू सहित भारतीय तम्बाकू के निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार जो कार्यवाही कर रही है, उसका उल्लेख एक विवरण म है जो सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९]**

नमक

†*१०३४. **श्री एस० सी० सामन्त** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकार ने पूर्वी तट पर नमक के नये कारखाने खोलने के लिये क्या कार्यवाही की ;

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये कोई नये प्रस्ताव हैं ; और

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के कनटाई के नमक के क्षेत्रों और २४ परगना जिले में सुन्दरबन में नमक के क्षेत्रों के बारे में विचार किया गया है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). सरकार ने स्वयं पूर्वी तट पर या और कहीं कोई नया नमक का कारखाना नहीं खोला है परन्तु नमक विभाग गैर-सरकारी निर्माण कर्ताओं को टैक्निकल सहायता तथा मंत्रणा दे कर नमक के उत्पादन तथा उसकी किस्म में सुधार करने के लिये प्रोत्साहन देता रहा है। इस प्रोत्साहन तथा सहायता के फलस्वरूप पूर्वी तट पर नमक का उत्पादन १९४९ में १५२ लाख मन से बढ़ कर १९५३ में २४४ लाख मन हो गया था। १९५४ में प्रतिकूल ऋतु परिस्थितियों के कारण थोड़ी सी कमी हो गई थी ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पूर्वी तट पर नमक के कारखानों के विकास तथा सुधार के लिये एक बहुत बड़ा धन व्यय करने का विचार है जिसमें से लगभग १० लाख रुपये पश्चिमी बंगाल में कनटाई और सुन्दर-बन सहित कलकत्ता प्रदेश के नमक के कारखानों के विकास पर व्यय होंगे ।

पश्चिमी बंगाल सरकार नमक के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कुछ योजनाओं के सम्बन्ध में नमक आयुक्त के साथ विचार विमर्श कर रही है ।

सोडा भस्म (एश) का कारखाना

*१०३५. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्ज साहू कैमिकल्स ने डालमिया नगर में सोडा भस्म बनाने के निमित्त कारखाना खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार से आज्ञा मांगी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस फर्म ने डालमिया नगर में कारखाना खोलने के बजाय लखनऊ में एक कारखाना खोलने के लिये अभी हाल में प्रार्थना की है ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से कोई विरोध पत्र मिला है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). जी हां । मैसर्स साहू कैमिकल्स को सोडा भस्म और अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिये डालमिया नगर में एक कारखाना स्थापित करने का लायसेंस दिया गया था लेकिन अब उन्होंने यह प्रार्थना की है कि उनको प्रस्तावित कारखाना लखनऊ में स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

(ग) जी, नहीं । बिहार सरकार ने प्रस्ताव पर विचार करने के लिये समय मांगा है ।

भवनीसागर में अखबारी कागज का कारखाना

१०३६. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भवानी-सागर में नीलगिरी के नीचे एक अखबारी कागज़ का कारखाना खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिये कोई योजना बनाई गई है ;

(ग) इसके निर्माण पर लगभग कितना धन व्यय होगा ; और

(घ) निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). यह ख्याल किया जाता है कि मद्रास सरकार इस प्रकार की एक योजना पर विचार कर रही है ।

गोआ

†*१०३७. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल भारत के इस प्रस्ताव से सहमत हो गया है कि गोआ, द्वीव और दमन में मित्र भारत के हितों की देख भाल करे ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या पुर्तगाल ने इसके लिये मना करने के कोई कारण बताये हैं ?

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख) नवम्बर में ब्राजील के राजदूत ने भारत सरकार को सूचित किया था कि पुर्तगाल सरकार ने भारत सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि मित्र पुर्तगाल तथा उसकी बस्तियों में भारतीय हितों की देख भाल करे । इसके बाद क्या कुछ हुआ इस सम्बन्ध में अभी कोई सूचना नहीं मिली है ।

विदेशों में भारतीय मिशन

†*१०३८. **श्री श्री नारायण दास :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** २३ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक जितने भारतीय मिशनों का निरीक्षण किया गया है क्या उनके अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विदेशी भत्तों के पुनरीक्षण तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में विदेशी सेवा निरीक्षकों की सिफारिशों पर अन्तिम विचार तथा निश्चय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किये गये हैं ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी, हां । विदेशी सेवा निरीक्षकों की सिफारिशों पर उन मिशनों तथा स्थानों के, जिनका निरीक्षण गत वर्ष किया गया था, तथा जाकर्ता, मेदन, पीकिंग, शंघाई, टोकियो हांग कांग और लाहौर के — जिनका निरीक्षण इस वर्ष किया गया था, अधिकारियों तथा

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारियों के विदेशी भत्तों के पुनरीक्षण व अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में निश्चय हो गये हैं और आदेश दे दिये गये हैं ।

(ख) कुछ मामलों में बढ़ा कर और कुछ मामलों में घटाकर व्यय तथा भत्ते पुनः-निर्धारित कर दिये गये हैं । आवास के अधिकतम किराये, दैनिक भत्ते की दरों के पुनरीक्षण, स्थानीय रखे गये कर्मचारियों के वेतन मानों के पुनःनिर्धारण, अधिक समय तक काम करने के भत्ते के भुगतान, सरकारी इमारतों का पट्टे पर की हुई इमारतों की मरम्मत तथा बहुत सी अन्य छोटी छोटी बातों के बारे में भी निश्चय हो गये हैं । निश्चयों का उद्देश्य स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए मितव्ययता तथा कार्यकुशलता के उचित विचार से अभिनवीकरण तथा प्रमापीकरण करना है ।

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार

†*१०३९. **श्री एल० एन० मिश्र :**
श्री कासलीवाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य कारर संघ का हाल में ही जनेवा में जो दसवां सम्मेलन हुआ था उसमें किन किन विषयों पर विचार किया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** अपेक्षित जानकारी एक विवरण में दी गई है जो सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०].**

भाखड़ा नंगल परियोजना

†*१०४०. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा नंगल परियोजना के लिये कुछ सामान का क्रय सम्भरण तथा उत्सर्जन निदेशालय के द्वारा होता है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां । कुछ सामान का क्रय सम्भरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशक के द्वारा होता है ।

(ख) जब से परियोजना आरम्भ हुई ।

औद्योगिक प्रबन्ध सेवा

†*१०४१. **श्री तुलसीदास :** क्या **उत्पादन** मंत्री ५ अगस्त, १९५५ के पूछे गये तारांकित प्रश्न प्रश्न संख्या ४६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक औद्योगिक प्रबन्ध सेवा बनाने का अन्तिम निश्चय कर लिया है ; और

(ख) क्या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में टैक्निकल पदों को भरने के लिये भी एक सेवा बनाने की कोई भिन्न योजना है ?

†**उत्पादन मन्त्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) नहीं, परन्तु आशा की जाती है कि योजना पर शीघ्र ही अन्तिम निश्चय हो जायेगा ।

(ख) आजकल ऐसी योजना बनाई जा रही है ।

शिक्षित बेकार

***१०४२. डा०राम सुभग सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल देश में कितने शिक्षित बेकार हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन बेकारों को रोजगार देने के लिये सरकार का विचार कुछ औद्योगिक क्षेत्र बनाने का है जहां इन नवयुवकों को कुटीर उद्योगों और सहकारी संगठनों में प्रशिक्षित किया जायेगा ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार इन प्रशिक्षित नवयुवकों को कुछ वित्तीय सहायता देने का है ताकि ये अपने उद्योग चालू कर सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) से (ग). शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी से सम्बन्धित इन प्रश्नों पर एक अध्ययन मण्डली विचार कर रही है और उसके परीक्षण के परिणाम शीघ्र प्राप्त होने वाले हैं।

नदी घाटी परियोजनाओं में अन्तर्देशीय नौवहन

†*१०४३. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से आरम्भ की गई कितनी नदी घाटी परियोजनाओं में अन्तर्देशीय नौवहन को प्राक्कलनों में सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) प्राक्कलनों में अन्तर्देशोय नौवहन सम्मिलित न होत हुए भी कितनी परियोजनाओं में इसके विकास की सम्भावनायें हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) दो। एक और मामले में शुरू में तो व्यवस्था की गई थी परन्तु बाद में वह बांध के एक भाग के रूप में 'लाक्स' के सम्मिलित किये जाने के अतिरिक्त हटा दी गई।

(ख) ऐसा कोई मामला न था जिसमें नौवहन का विकास आर्थिक दृष्टि से सम्भव हो।

प्रतिकर (कम्पेन्सेशन)

*१०४४. **डा० सत्यवादी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले दावेदारों में से जिन्होंने प्रतिकर के लिये दावा किया है, इस वर्ष कितने व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जायेगा; और

(ख) क्या यह प्रश्न विचाराधीन है कि प्रतिकर देने के मामले में वृद्धों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) (क) चालू वित्तीय वर्ष में लगभग ५७,००० विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर दिए जाने की सम्भावना है।

(ख) जी हां।

रेंगने वाले कीड़ों की खालों का निर्यात

†६६७. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेंगने वाले कीड़ों की खालों का निर्यात निषिद्ध कर दिया जायेगा;

(ख) आजकल इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है; और

(ग) क्या यह सच है कि यदि रेंगने वाले कीड़ों की खाल का निर्यात निषिद्ध कर दिया गया तो बहुत सी पहाड़ियों की आदिम जातियों के लोग, जिनका जीवनयापन का साधन रेंगने वाले कीड़े मारना है, बेरोज़गार हो जायेंगे ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) और (ग). रेंगने वाले कीड़ों की खाल के निर्यात पर २९ अक्टूबर, १९५५ को समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १९ के अन्तर्गत जारी की गई अधि-सूचना स प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। विद्यमान स्टाक को जहाज द्वारा बाहर भेजने के लिए ३१ दिसम्बर, १९५५ तक के लिए प्रतिबन्ध हटा दिया गया है। दीर्घकालीन नीति विचाराधीन है।

(ख) गत तीन वर्षों में निम्न मूल्य की विदेशी मुद्री प्राप्त हुई :—

	रुपये
१९५२–५३	१,१९,३३,५७३
१९५३–५४	७७,१४,९१०
१९५४–५५	५७,७५,४८८

†मूल अंग्रेजी में।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिये प्रतिनिधियों का चुना जाना

६६८. **श्री श्री नारायण दास** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों और गोष्ठियों के लिये यथास्थिति, स्थायी अथवा तदर्थ प्रतिनिधियों के चुनने के विषय में विभिन्न मंत्रालयों की क्या प्रक्रिया है ; और

(ख) क्या इस प्रकार के प्रतिनिधि-मंडलों के नेता अपने मंडलों के कार्य के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन देते हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) सम्बन्धित मंत्रालय, विशेष सम्मेलन में बहस की जाने वाली बातों का ख्याल रखते हुए, उस मामल में दिलचस्पी रखने वाले दूसरे मंत्रालयों से सलाह करके, प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का चुनाव करता है । वह मंत्रालय, का वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्रालयों की सहमति ले लेने के बाद, प्रतिनिधि मंडल की रचना को मंत्रि-मंडल की स्वीकृति के लिये फिर भेज देता है ।

(ख) जी, हां ।

विदेशों में भारतीय दूतावास

६६९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** सभा के टेबल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों ;

(क) चालू वर्ष में विभिन्न देशों में स्थित किन-किन भारतीय दूतावासों के लिये अपना भवन प्राप्त करने अथवा बनाने के प्रस्तावों पर विचार किया गया है;

(ख) इस वर्ष इस प्रकार के भवन कहां प्राप्त किये गये हैं अथवा बनाये गये हैं;

(ग) प्राप्त किये गये प्रत्येक भवन का मूल्य कितना है और भवनों के बनाने पर कतना व्यय हुआ है ; और

(घ) आज कल कितने देशों में भारतीय दूतावास अपने निजी भवनों में हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ). सदन की मेज़ पर एक विवरण रख दिया है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११]**

कोयला खान

६७०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या उत्पादन मंत्री २३ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १०४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला खानों के नियमों का उल्लंघन करने के कारण कितनी कोयला खानों को कोयला बोर्ड ने अब तक कुख्यात खानों की सूची में रखा है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : अभी तक किसी भी कोयले की खान को कुख्यात सूची में नहीं रखा गया है ।

विदेशी व्यापार

६७१. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ के पत्री वर्ष में कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का भारत में आयात किया गया तथा कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या व्यापार की स्थिति प्रति-कूल थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसमें सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

(क)

	मूल्य करोड़ रु० में
आयात	६०३.२७
निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)	५६३.०४

(ख) जी, हां ।

(ग) निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया, देश की अर्थ व्यवस्था की बदलती हुई आवश्यकताएं पूरी करने के लिये आयात का नियमन किया गया और देश की विदेशी व्यापार में विविधता लाई गई ।

बेकारी

६७२. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बेकारी मिटाने के लिये सरकार ने १९५४ में क्या कार्यवाही की और उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): अपेक्षित विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या १२.]**

बाढ़ से हुई क्षति

†६७३. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५५ के बाद आसाम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पेप्सू, पंजाब तथा जम्मू और काश्मीर राज्यों में बाढ़ से कितने उद्योगों व कारखानों तथा उनकी इमारतों को क्षति पहुंची ;

(ख) कुल कितना नुकसान हुआ; और

(ग) इस सम्बन्ध में इसमें से प्रत्येक राज्य को भारत सरकार ने अनुतोष तथा सहायता के रूप में कितना धन दिया ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख) एक विवरण जिसमें उपलब्ध सूचना दी है, संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ग) जबकि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण हुए नुकसान के लिए सहायता दी जाती है, परन्तु बाढ़ के कारण उद्योगों तथा कारखानों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए विशेष रूप से कोई सहायता नहीं दी जाती ।

इथियोपिया में भारतीय

†६७४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने भारतीय इथियोपिया में रहते हैं और उनका व्यवसाय क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जो नवीनतम सूचना हमें उपलब्ध है, उनके अनुसार इथियोपिया में इस समय १६४६ भारतीय निवास कर रहे हैं ।

इथियोपिया की सरकार की नौकरियों में सेवायुक्त भारतीयों की संख्या २३३ है :

भारत से भर्ती किये गये अध्यापक	१७०
स्थानीय रूप से भर्ती किये गये अध्यापक (भारतीय अध्यापकों की पत्नियां)	२०
इथियोपिया का राज्य-बैंक में सेवा युक्त भारतीय	२०
इथियोपिया की सरकार की अन्य नौकरियों में सेवायक्त भारतीय	१५

परिवार के सदस्यों और आश्रितों के अतिरिक्त इथियोपिया में अन्य व्यवसायों में लगे भारतीयों की संख्या लगभग ६०० है । इनमें से लगभग ७० प्रतिशत व्यापार करते हैं, दस प्रतिशत विदेशी सार्थों में सेवायुक्त है, और बीस प्रतिशत अन्य व्यवसायों , जैसे

†मूल अंग्रेजी में

बढ़ई, नाई, धोबी, मिस्त्रियों आदि का कार्य कर रहे हैं।

ग्रामोद्योग

†६७५. **श्री डी० सी० शर्मा:** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामोद्योगों के विकास के लिये गहन क्षेत्र योजना के अन्तर्गत पंजाब राज्य में खोले गये केन्द्रों की संख्या कितनी है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : एक केन्द्र के लिये अम्बाला जिले में बरारा स्थान को चुना गया है। इस केन्द्र की स्थापना के लिये शीघ्र ही आवश्यक धन दे दिया जायेगा।

सीमेन्ट

†६७६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में देश की सीमेंट सम्बन्धी कुल प्राक्कलित आवश्यकता कितनी है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : मांग लगभग ८० लाख टन की है।

विदेशों में हिन्दुओं का शवदाह

६७७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विदेशों में वहां रहने वाले हिन्दुओं को शवदाह करने की अनुमति है ; और

(ख) कितने देशों में उनको ऐसा नहीं करने दिया जाता जिसके कारण उन्हें अपनी रूढ़ि के विरुद्ध मृत व्यक्तियों को भूमि में गाड़ना पड़ता है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जहां तक मालूम है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां हिन्दू निवासियों को शव जलाने की इजाजत न हो।

(ख) सवाल नहीं उठता।

नमक

†६७८. **श्री झूलन सिंह** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मनुष्यों पशुओं और औद्योगिक कार्यों के लिये देश को वर्ष में कुल कितने नमक की आवश्यकता पड़ती है ; और

(ख) क्या इन सभी की आवश्यकता स्थानीय उत्पादन से पूरी होती है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) देश की नमक की औसत वार्षिक आवश्यकता इस प्रकार है :

१. मनष्यों पशुओं और कृषि के लिये	६४० लाख मन
२. औद्योगिक कार्यों के लिये	५५ लाख मन
कुल योग	६९५ लाख मन

(ख) जी, हां

कोयला

†६७९. **श्री झूलन सिंह** : क्या उत्पादन मंत्री यह सरकारी कोयला खदानों और निजी कोयला खदानों में निकाले गये कोयले का प्रतिमन उत्पादन लागत और बिक्री दर की तुलनात्मक दरें बताने की कृपा करेंगे ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: सरकारी कोयला खदानों में १९५४–५५ में निकाले गये कोयले के प्रतिटन उत्पादन लागत के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या १४**] निजी कोयला खदानों की उत्पादन लागत सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है। बिक्री की दरें सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती ह और यह दरें सरकारी और निजी कोयला खदानों के लिये एक समान है। कोयला खदान नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत कोई भी कोयला खदान स्वामी सरकार द्वारा

†मूल अंग्रेजी में।

निर्धारित मूल्य से किसी भिन्न मूल्य पर कोयला नहीं बेच सकता ।

जल-संसाधनों का विकास

†६८०. **श्री एम० डी० जोशी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई १९५४ म टोकियो में जल संसाधनों के विकास के सम्बन्ध में जो क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें किन विषयों पर विचार किया गया था ; और

(ख) उन के सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये थे ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** (क) और (ख). मई १९५४ में टोकियो में जल संसाधन विकास सम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार किया गया था, उनकी सूची देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है (देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १५). सम्मेलन की सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

त्रावनकोर-कोचीन में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

†६८१. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी**: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य ने राज्य के तटीय क्षेत्रों में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ;

(ग) इस समस्या का सामना करने के ढंगों के सम्बन्ध में पूना में जो अनुसंधान कार्य किया गया है उसके क्या परिणाम, यदि कुछ हों, निकले हैं; और

(घ) क्या इस कार्य के लिये राज्य को कुछ ऋण अथवा अनुदान देने का निर्णय किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं सम्बन्धी राज्य सरकार की प्रस्थापनाओं के अन्तर्गत ।

(ख) ऐसे सब स्थानों पर, जहां समय समय पर समुद्र द्वारा भूमि का कटाव होता है, परित्राण सम्बन्धी कार्यवाही करने की प्रस्थापना है । यह कार्यक्रम इन स्थानों में कार्यान्वित किया जायेगा :

१—आज्हिकोडे-केंगनूर के तटीय क्षेत्र (२।।मील)

२—चेल्लनम से मनस्सेरी तक के तटीय क्षेत्र—(१३ मील)

३—नयरम्बलम से एडवंकट तक के तटीय क्षेत्र—(१३ मील)

४—पल्लिथोडू से चेल्लनम तक के तटीय क्षेत्र—(३ मील)

५—थेकुण्णपुज्हा, चवड़ा के तटीय क्षेत्र—(७।। मील)

६—मुठलपोज़ी, कोवलम, पछल्लोर के तटीय क्षेत्र—(३ मील)

७—पट्टनम, ठुठूर, कोल्लंकोड, पूंठुराई के तटीय क्षेत्र—(३ मील) ।

यह कार्य अधिकांशतः छः सौ साठ-फुट के अन्तर पर दो-दो सौ फुट लम्बी जेटियों वाली एक लम्बी दीवाल के रूप में होगा । इस कार्य में लगभग तीन करोड़ रुपये व्यय होने की आशा है ।

(ग) नमूने के प्रयोग किये जा रहे हैं । अभी तक अन्तिम परिणाम नहीं निकाले जा सके हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दस्तकारी सप्ताह

†६८२. **श्री विभूति मिश्र**: क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि २३ से ३० सितम्बर १९५५ तक सम्पूर्ण भारत में दस्तकारी सप्ताह मनाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें दस्तकारी सप्ताह मनाया गया था ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) १. पश्चिमी बंगाल
२. उत्तर प्रदेश
३. मैसूर
४. बम्बई
५. मद्रास
६. आसाम
७. बिहार
८. पंजाब
९. काश्मीर
१०. राजस्थान
११. मध्य भारत
१२. हैदराबाद
१३. त्रावनकोर-कोचीन
१४. आन्ध्र
१५. दिल्ली
१६. हिमाचल प्रदेश
१७. पेप्सू
१८. अजमेर
१९. विन्ध्य प्रदेश
२०. मनीपुर
२१. भोपाल ।

दस्तकारी उद्योग

†६८३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न दस्तकारी उद्योगों में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : क्योंकि अब तक कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है, इसलिये इन उद्योगों में काम काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं है ।

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर

†६८४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या पुनर्वास मंत्री विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गयी कृषि सम्पत्तियों (जैसे भूमि, मकानों, दूकानों आदि) से सम्बन्धित प्रमाणित दावों की अन्तरिम और अन्तिम प्रतिकर योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित की गयी राशि के तुलनात्मक आंकड़े दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : ग्रामीण इमारतों के सम्बन्ध में क्रमशः अन्तरिम और अन्तिम योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिकर के भुगतान का क्रम सभा के पुस्तकालय में रख दिया गया है अन्तरिम योजना के अनुसार इस क्रम के लागू किये जाने से पहले ग्रामीण इमारतों सम्बन्धी दावों को आधा कर दिया जाता था । अब उनका भुगतान भी शहरी दावों की दर के अनुसार किया जा रहा है ।

जहां तक भूमि के दावों का सम्बन्ध है, प्रतिकर का हिसाब पेप्सू और पंजाब में आवंटित की गई जमीन के आधार पर लगाया जा रहा है । अन्तरिम योजना के अन्तर्गत, कुछ उच्च प्राथमिकता प्राप्त श्रेणियों के सम्बन्ध में ३५० रुपये प्रति प्रतिमान एकड़ की दर से प्रतिकर का भुगतान किया गया था अन्तिम योजना के अन्तर्गत इस दर को बढ़ा कर ४५० रुपये कर दिया गया है ।

रेडियो सेटों का निर्माण

†६८५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री उस सम्भावित तिथि को बताने की कृपा करेंगे जिस तक भारत

†मूल अंग्रेजी में ।

में सम्पूर्ण रेडियो सेटों का निर्माण करना सम्भव हो सकेगा ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : सरकार ने कन्डेन्सरों ध्वनि विस्तारकों (लाउड स्पीकरों) जैसे मुख्य पुर्जे बनाने की योजनाओं का अनुमोदन किया है । यदि यह योजनायें फलवती हुईं, तो दो तीन वर्षों में सम्पूर्ण रेडियो सेट भारत में बनने लगेंगे ।

आकाशवाणी

†६८६. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रजभाषा में प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ब्रजभाषा के विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उन विशेषज्ञों के नाम क्या हैं ; और

(ग) ब्रजभाषा में प्रतिमास कितने कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं !

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली में सर्वश्री बनारसीदास चतुर्वेदी, एम० पी०, बालकृष्ण शर्मा नवीन, एम० पी०, और कृष्णदत्त बाजपेयी और प्रो० गुलाबराय आर लखनऊ में सर्वश्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी और के० डी० बाजपेयी ।

(ग) दिल्ली से प्रतिदिन १५ मिनट के लिये ब्रजभाषा में कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है और लखनऊ से प्रतिमास १० से २० कार्यक्रम प्रसारित होते हैं ।

अणु शक्ति सहकारिता करार

†६८७. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री एम० एल० द्विवेदी :
श्री एम० एल० अग्रवाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अमरीका से एक अणुशक्ति सहकारिता करार करने के लिये वार्त्ता जारी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस समय तो इस प्रकार की कोई वार्त्ता नहीं चल रही है, परन्तु अणु-शक्ति क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के लिये अमरीका से चर्चा की जा चुकी है ।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में हाथी के शिकार की योजना

†६८८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथियों के शिकार की योजना के अन्तर्गत उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण प्रशासन द्वारा अब तक कुल कितने हाथी पकड़े गए हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कुल मिला कर अब तक २२० हाथी पकड़े जा चुके हैं । हाथियों के शिकार का कार्य साधारणतया महलदारों द्वारा किया जाता है जो पकड़े गये हाथियों को जनता में बेच देते हैं । मुहरबन्द टेंडर मांगे जाते हैं और महलदार निर्धारित दर पर सरकार को अधिकार-शुल्क देते हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन

श्री डी० सी० शर्मा :
श्री के० पी० सिन्हा :
श्री विभूति मिश्र :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल और भारत के अन्य राज्यों में प्रव्रजन

†मूल अंग्रेजी में ।

की बढ़ती हुई गति को रोकने के लिये को जाने वाली कार्यवाही पर चर्चा करने के लिये हाल में उनकी तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की भेंट हुई थी,

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये थे; और

(ग) क्या इन निर्णयों की सूचना पाकिस्तान सरकार को दे दी गयी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे०के० भोंसले)**: (क) जी हां ।

(ख) हाल ही में दार्जिलिंग में हुए पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया गया था ।

(ग) पाकिस्तान सरकार से इस सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित किया जा चुका है ।

बन्दरों का निर्यात

†६९०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९५५ से ३१ अक्तूबर, १९५५ तक की अवधि में केवल अमरीका को निर्यात किये गये बन्दरों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) उक्त अवधि में विदेशों को किये गये बन्दरों के निर्यात से प्राप्त कुल मूल्य (देशवार) कितना है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) ९१,६१९

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६]**

पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को सहायता

६९१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापितों को (१) निराश्रित महिलाओं के और बालकों के निर्वाह के लिये (२) निकेतनों में और अपाहिज गृहों में अकर्म वेतन दिय जाने के लिये (३) चिकित्सा के लिये (४) स्वस्थ शरीरवाली महिलाओं के प्रशिक्षण के लिये प्रतिवर्ष दी गई सहायता की कुल राशि कितनी है ; और

(ख) उन राज्यों के नाम जहां यह सहायता दी गई है, क्या है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**:

(क) १९५२-५३ ११०.९२ लाख रुपये
१९५३–५४ ११४.०० लाख रुपये
१९५४–५५ ११५.२५ लाख रुपये
१९५५–५६ ९०.०० लाख रुपये

(१) से लेकर (४) तक की मदों के सम्बन्ध में कोई अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) अजमेर, भोपाल, बम्बई, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, पेप्सू, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश ।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण

†६९२. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के तुएनसेंग खंड में ऐसे कारखानों का पता लगा सकी है जहां कि विरोधी नागाओं द्वारा पुराने परित्यक्त ब्रिटिश और अमरीकी शस्त्रास्त्र और युद्धोपकरण सुधारे और काम के योग्य बनाये जाते हैं ;

---

†**मूल अंग्रेजी में ।**

(ख) क्या यह सच है कि नागाओं को भारत में बने शस्त्रों और युद्धोपकरणों का अच्छा संभरण प्राप्त होता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त संभरण के उद्गम का पता लगा लिया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) वहां ऐसे कोई कारखाने नहीं हैं, किन्तु कतिपय अनुभवी व्यक्ति देशी तरीकों से शस्त्रास्त्रों को सुधारने तथा उनकी संख्या में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं ।

(ख) और (ग), अधिकांश शस्त्रास्त्र वहां उक्त क्षेत्र में पिछले कुछ समय से मौजूद हैं और वे ब्रिटिश और अमरीका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के लिये बनाये शस्त्रास्त्रों में से हैं । कुछ अस्त्र और युद्धोपकरण भारत के बने हुए भी हैं । उनमें से अधिकांश द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उस क्षेत्र में लाये गये शस्त्रास्त्रों में से हैं । जिन ग्रामों पर सन्देह होता है उनकी नियमित रूप से तलाशी ली जाती है और शस्त्रास्त्र और युद्धोपकरण जब्त किये जा रहे हैं ।

आंध्र में कुटीर उद्योग

†६९३. **श्री मोहन राव** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र को १९५४–५५ में छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों के विकास के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(ख) इस नियत धनराशि में से पूर्वी गोदावरी जिले के अभिकरण क्षेत्रों में रेशम के विकास के लिये कितनी धन-राशि दी गई थी ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ख) कोई नहीं ।

कोरिया के युद्धबन्दी

†६९४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत स्थित कोरिया के युद्धबन्दियों में से किसी को ब्राज़ील ने अपने यहां भेजे जाने का प्रस्ताव किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ब्राज़ील ने कहा है कि जितने भी भूतपूर्व युद्धबन्दी वहां आकर बसना चाहें वे ब्राज़ील आ सकते हैं ।

सरकारी क्रय

†६९५. **श्री चांडक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संभरण महानिदेशक द्वारा वित्तीय वर्ष १९५२, १९५३ और १९५४ में क्रमशः किये गये क्रयों का कुल मूल्य कितना है ;

(ख) सम्भरण महानिदेशक द्वारा क्रमशः वित्तीय वर्ष १९५२, १९५३ और १९५४ में कुल कितना कमीशन अर्जित किया गया ; और

(ग) संभरण महानिदेशक को क़ायम रखने में सरकार द्वारा, प्रतिवर्ष कुल कितना व्यय किया जाता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १८]**

गोआ में सत्याग्रही

†६९६. **श्री तुषार चटर्जी** :
श्री एच० आर० नथानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त १९५५ में गोआ सत्याग्रह के दौरान आई गम्भीर चोटों के फलस्वरूप

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

असमर्थ हुए भारतीय सत्याग्रहियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ङ) क्या उनमें से किसी को भी भारत सरकार से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त हो रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार अगस्त में पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा की गई गोलाबारी के फलस्वरूप १९ भारतीय सत्याग्रही मारे गये । गोलाबारी और अन्य पाशविक अत्याचार किये जाने के फलस्वरूप ३०७ सत्याग्रहियों को चोटें आईं तथा उन्हें चिकित्सा के लिये बेलगांव, कारबार और रत्नागिरी के अस्पतालों में दाखिल किया गया। इनमें से १२७ सत्याग्रहियों को गम्भीर चोटों की चिकित्सा के लिये दाखिल किया गया था, इनमें से ६६ व्यक्तियों को गोलियों के कारण चोटें आई थीं ।

(ख) सरकार ने कोई प्रत्यक्ष सहायता दी नहीं है । किन्तु सहायता दिये जाने के लिये अन्य प्रबन्ध किये गये हैं ।

विस्थापित व्यक्तियों को कृषियोग्य भूमि का दिया जाना

†६९७. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंध, बहावलपुर, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और बलोचिस्तान से आये कुल कितने विस्थापित व्यक्तियों को उनके द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई भूमि के स्थान में क्षतिपूर्ति के रूप में अब तक कृषि योग्य भूमि दी गई है ; और

(ख) उनमें से अब तक कितनों को उन्हें प्रदत्त भूमि का रिक्त स्वामित्व दिया गया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: (क) लगभग ११,५००।

(ख) यह जानकारी तत्काल ही उपलब्ध नहीं है और इस जानकारी को प्राप्त करने में जितना श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणाम के सम्भाविक नहीं होगा ।

कताई मिलें

†६९८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तकलियों की अलग-अलग संख्या, जिनके अधिष्ठापन के लिये १९५५ में या तो नई कताई मिलों को अथवा वर्तमान मिलों में विस्तार के लिये अनुज्ञापत्र दिये गये हैं ;

(ख) उन तकलियों की संख्या, जिनके लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ग) ऐसे आवेदन पत्रों में से कितने स्वीकृत हुए, कितने अस्वीकृत हुए और कितने लम्बित हैं, और प्रत्येक मामले में तकलियों की कुल संख्या भी बताई जाये ;

(घ) क्या नई कताई मिलें स्थापित करने के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उन पर क्या विचार किया गया है और उस के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १९]**

गोआ

†६९९. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहन्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सत्याग्रह के सिलसिले में गोआ में सैनिक न्यायाधिकरण के समक्ष जितने भारतीय

†मूल अंग्रेजी में ।

राष्ट्रजनों पर मुकद्दमा चलाया उनकी संख्या क्या है ;

(ख) उन्हें दिया गया अधिकतम और न्यूनतम दंड क्या है ; और

(ग) ऐसे न्यायाधिकरणों द्वारा जो जुर्माना किया गया उसकी वसूली में सहायता दिये जाने के लिये क्या पुर्तगाली सरकार द्वारा कोई अनुरोध किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). २६ भारतीय सत्याग्रहियों को, गोआ के सैनिक न्यायाधिकरण द्वारा ४ वर्ष से लेकर १० वर्ष तक की विभिन्न अवधि के कारावास दंड दिये गये हैं ।

(ग) नहीं ।

नाहन ढलाई घर

†७००. **श्री बूवराघस्वामी** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री, ३ दिसम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, नाहन ढलाई घर मजदूर पंचायत, नाहन, (हिमाचल प्रदेश) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). जी, हां । नाहन ढलाई घर के अध्यक्ष को और सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति को भेजे गये कई अभ्यावेदनों की प्रतिलिपियों के अतिरिक्त, फरवरी और जून १९५५ के बीच नाहन मजदूर पंचायत से सरकार को नौ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) पंचायत ने प्रारम्भ में ढलाई घर के कार्यकरण के सम्बन्ध में प्राविधिक न्यायिक जांच किये जाने तथा मुख्य प्रबन्धक के प्रशासन की जांच किये जाने की मांग की थी । बाद में उन्होंने मुख्य प्रबन्धक द्वारा मजदूरों के कथित उत्पीड़न में सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने, मुख्य प्रबन्ध को हटाये जाने और जांच समिति की उपपत्तियों के सम्बन्ध में शीघ्र कोई निर्णय करने की मांग की ।

हड्डी का खाद

†७०१. **श्री गणपति राम** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड्डी से खाद बनाने के लिये कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता दी गई है और;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई है तथा किन संस्थाओं के द्वारा दी गई है?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष में ४६,००० रुपये व ८६,००० रुपये क्रमशः अनुदान तथा ऋण के रूप में अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा सहकारी समितियों प्रमाणित संस्थाओं में वितरण के लिये दिये गये ।

उन संस्थाओं के नाम, जिन्हें बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिये धन दिया गया, एकत्र किये जा रहे हैं और सूचना यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय, हिन्द चीन

†७०२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** २६ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

†मूल अंग्रेजी में ।

हिन्दचीन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय में सेवा युक्त सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के भारतीय कर्मचारी वर्ग पर इस वर्ष अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय का व्यय "सामूहिक कोष" से किया जाता है जिसका वित्त पोषण जिनीवा शक्तियां करती हैं । भारत सरकार इस सम्बन्ध में कोई लेखा नहीं रखती है और इसलिये इस विषय के सम्बन्ध में कोई जानकारी देने की स्थिति में नहीं है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रचार

†७०३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रचार के लिये कोई विशेष कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). योजना आयोग को भेजी गई प्रस्थापनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

बर्मा में भारतीय डाक्टर का अपहरण

†७०४. **श्री कासलीवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ब्रह्मा की सरकार को सहायता देने वाले विश्व स्वास्थ्य संस्था के चिकित्सकीय दल के साथ सम्बद्ध एक भारतीय मलेरिया विशेषज्ञ का ब्रह्मा में ममिओ में अपहरण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उसकी पुनः प्राप्ति के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). हां । १ दिसम्बर, १९५५ को ब्रह्मा की सरकार में सेवायुक्त एक उप-सहायक सर्जन डा० एम० एल० सूर का डाकुओं ने मेमिओ में एक इटेलियन डाक्टर पास्टि ग्लिअनी के साथ, जो कि विश्व स्वास्थ्य संस्था में काम कर रहे थे, अपहरण कर लिया था । डा० सूर और इटेलियन डाक्टर को १३ दिसम्बर, १९५५ को छोड़ दिया गया था ।

पर्वतारोहण

†७०५. **श्री बी० डी० पांडे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सरकार द्वारा भारतीय तथा विदेशी पर्वतारोहकों को क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं ;

(ख) देश में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं की संख्या कितनी है ; और

(ग) सरकार द्वारा इन संस्थाओं को किस प्रकार की सहायता दी जाती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). सामान्यतः भारत सरकार द्वारा विदेशी पर्वतारोहक दलों को यह सुविधायें दी जाती हैं :—

(१) प्रवेश और पारनयन दृष्टांक ।

(२) पर्वतारोहण उपकरणों पर, यदि वह पुनः निर्यात कर दिये जायें, सीमा शुल्क से विमुक्ति ।

(३) विशेष ऋतु सम्बन्धी भविष्यवाणियों का प्रसारण ।

२. ठीक प्रकार से संगठित एक ही संस्था है जो कि पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देती है । इसका नाम हिमालीयन पर्वतारोहण संस्था है और यह दार्जिलिंग में है । इसको मुख्यतः भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रुपया दिया जाता है । प्रधान मंत्री इस संस्था के सभापति हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री इसके उपसभापति हैं ।

†मूल अंग्रेजी में ।

मद्यनिषेध

†७०६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या योजना मंत्री देश में सम्पूर्ण मद्यनिषेध के परिणामस्वरूप होने वाली राजस्व हानि की प्राक्कलित राशि और अगले पांच वर्षों में इसे कार्यान्वित करने पर होने वाले व्यय को बताने की कृपा करेंगे ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : इस समय आबकारी से कोई ४३ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का राजस्व प्राप्त होता है । यदि सम्पूर्ण मद्यनिषेध किया गया, तो प्रायः यह सारा राजस्व समाप्त हो जायेगा । इसके अतिरिक्त मद्यनिषेध की नीति को कार्यान्वित करने का व्यय भी वहन करना होगा, किन्तु अभी तक इसकी गणना नहीं की गई है । कुल हानि उस गति एवं प्रगति पर निर्भर होगी जिस के अनुसार देश में मद्य निषेध की नीति का अनुसरण किया जाता है ।

गंगा बांध योजना

†७०७. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गंगा बांध योजना के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : नहीं, श्रीमान् ।

हथकरघे

७०८. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा उद्योग में सब से अधिक मांग किस नम्बर के सूत की होती है ;

(ख) क्या ऐसी कोई योजना है जिसके परिणामस्वरूप सूत उत्पन्न करने वाली मिलें विभिन्न नम्बरों के सूतों को पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करें ताकि विशेष नम्बर के सूत की समय-समय पर कमी न पड़े और उनके भावों में घटा बढ़ी न हो ; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हाथकरघा उद्योग में अधिकतर मांग २० से ४० और ८० तथा इससे अधिक नम्बरों के सूत की होती है ।

(ख) और (ग). इस प्रश्न में जिन कदमों के विषय में सोचा गया है, उनकी इस समय जांच पड़ताल हो रही है ।

चाय बागान

†७०९. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अधिकांश चाय बागान पिछली शताब्दी में आरम्भ किये गये थे और अब चाय के झाड़ों की आयु प्रायः समाप्त हो रही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चाय बागानों सम्बन्धी कोई योजना विचाराधीन है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : हमारे सामने कोई विशेष योजना नहीं है । किन्तु चाय बागानों को सुधारने तथा इसके साथ साथ उनको नये सिरे से लगाने के प्रश्न पर शीघ्र ही विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

औद्योगिक आवास

†७१०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) विभिन्न राज्यों के उन औद्योगिक केन्द्रों के नाम जहां पर औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाये गये हैं; और

(ख) प्रत्येक केन्द्र में कितने मकान बनाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २०]**

सीमेंट का कारखाना

†७११. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि इस देश में सीमेंट का एक कारखाना बनाने के सम्बन्ध में भारत और चेकोस्लावाकिया के बीच एक क़रार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें ;

(ग) वह कारख़ाना कहां और कब स्थापित किया जायेगा ; और

(घ) इस पर कितना व्यय होगा ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) हमें कोई सूचना नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

चपड़ा (लाख) के मूल्य

†७१२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चपड़ा (लाख) के दाम बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) सरकार चपड़ा (लाख) के मूल्यों में हो रही गिरावट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये मकान (क्वार्टर)

७१३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १९ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २३७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सब क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था करदी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन बस्तियों में अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं की गई ; और

(ग) किस तारीख तक काम के समाप्त हो जाने की आशा है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) १. सेवा नगर, २. अलीगंज, ३. राउज़ ऐवेन्यू, ४ राजा बाज़ार, ५. तिमारपुर।

(ग) केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों के अन्दर बिजली के तार वगैरा लगाने का काम क़रीब क़रीब पूरा कर दिया है परन्तु बिजली की कमी के कारण नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी और दिल्ली राज्य एलेक्ट्रीसिटी बोर्ड इन क्वार्टरों में बिजली नहीं पहुंचा सके हैं। उम्मीद है कि १९५६ के बीच तक बिजली मिल सकेगी।

तेल शोधनशाला

†७१४. **श्री राधा रमण** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आसाम आयल कम्पनी के भारत में एक नई तेल शोधनशाला स्थापित करने के प्रस्ताव से सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो यह शोधनशाला कहां स्थापित की जाने को है;

(ग) इस में कितना रुपया विनियोजित किया जाने को है और सरकार का इसके संचालन में कितना नियन्त्रण अथवा भाग होगा ; और

(घ) यह कब तक स्थापित कर दी जायेगी ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) आसाम आयल कम्पनी से ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं हुई है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

त्रिपुरा में सिंचाई के लिये सहायता

†७१६. **श्री दशरथ देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में सिंचाई कार्यों के लिये सहायता अथवा ऋणों के लिये सरकार को अभी तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को अभी तक ऋण अथवा सहायता प्राप्त हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है।

मैसूर राज्य में विस्थापित व्यक्ति

†७१७. **श्री वोडयार** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मैसूर राज्य में कुल कितने विस्थापित व्यक्ति हैं ; और

(ख) उनके लिये अभी तक बनाये गये आवासों, मकानों और दुकानों की संख्या क्या है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) ८,५०१।

(ख) ५३ मकान।

पंचवर्षीय योजना का प्राचार

†७१८. **श्री वोडयार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये अब तक गीत और नाटक विभाग द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित तथा खेले गये नाटकों के नाम तथा संख्या क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : अभी तक दो नाटक "हमारा गांव" और "गांव का सवेरा" खेले गये हैं। पहला हिन्दी, उड़िया, काश्मीरी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तामिल, तैलगु, मलयालम और मनीपुरी भाषाओं में और दूसरा केवल हिन्दी में खेला गया है। एक मलयालम भाषा का और दो कन्नड़ भाषा के नाटक स्वीकृत किये जा चुके हैं और अब उन्हें खेलने की

---

†मूल अंग्रेजी में।

तैयारी की जा रही है। सरकार गीत और नाटक एकक के लिये किये गये अनुवादों को छोड़ कर नाटकों को प्रकाशित नहीं कराती है। अभी तक कोई प्रकासन नहीं किया गया है।

मैडागास्कर में भारतीय

†७१९. **श्री काजरोलकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मैडागास्कर के अधिकारी विशेषतः पांडीचरी के भारत में मिलने के पश्चात् वहां निवास करने वाले भारतीयों से बुरा व्यवहार कर रहे हैं; और

(ख) क्या भारतवासियों को अपना सामान और परिवार के सदस्यों को साथ लिये बिना ही अगली नाव से उक्त द्वीप छोड़ देने के लिये कहा गया है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हाँ, मैडागास्कर में कुछ भारतीयों के कारावासन और निरोधन के समाचार मिले हैं।

(ख) बहुत से भारतवासियों को मैडागास्कर से निकाला जा रहा है किन्तु सरकार के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं लाई गई है जिसमें अधिकारियों ने उन्हें अपने समान तथा परिवार के सदस्यों को साथ लाने की अनुमति न दी हो। वहाँ से निकाला जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ ५००,००० फांक (१४,००० रुपये) लाने का अधिकार रखता है और उसके अतिरिक्त मैडागास्कर में उसके नाम में दिखाई गई सम्पत्ति से होने की आय को प्राप्त करने का अधिकारी है।

विकास पदाधिकारी

†७२०. **श्री मोहन राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के विकास विभाग में कितने विकास पदाधिकारी हैं,

(ख) उन की योग्यतायें क्या हैं; और

(ग) उन में से कितने संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नियक्त किये गये थे?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी. टी. कृष्णमाचरी)** : (क) सात।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ग) पांच।

दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्ति

†७२१. **डा० सत्यवादी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च १९५५ से लेकर प्रत्येक मास में दिल्ली में कितनी निष्क्रान्त सम्पत्ति को अनवंटनीय घोषित किया गया है, और

(ख) ऊन अनावंटनीय सम्पत्तियों में से कितनी सम्पत्तियां आवंटित की गई हैं और उस के क्या कारण है?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) यह गलत है कि दिल्ली में प्रति मास सम्पत्तियों को "अनावंटनीय" घोषित किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्तियां

†७२२. **डा० सत्यवादी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अक्तूबर, १९५५ के अन्त तक दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्तियों का कुल कितना किराया वसूल किया जाना है;

(ख) किसी व्यक्ति की तरफ़, जिसे सम्पत्ति आवंटित की गई हो, अधिक से

---

†मूल अंग्रेजी में।

अधिक किराये की कितनी राशि बकाया है और अधिक से अधिक कितने समय तक का किराया बकाया है; और

(ग) जनवरी से नवम्बर १९५५ तक प्रत्येक महीने में किराया न देने के कारण सम्पत्ति खाली करा लिये जाने के कितने नोटिस दिये गये हैं और अधिक से अधिक कितनी राशि बकाया थी जिसके लिये नोटिस दिया गया ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग)। यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है।

औद्योगिक अल्प आय वर्ग आवास योजना

†७२३. **श्री के० के० बसु** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक अल्प आय वर्ग आवास योजना के आधीन पश्चिम बंगाल में कुल कितने मकान बनाये गये हैं और कितना धन खर्च किया गया है; और

(ख) अलीपुर जिला २४ परगना के सदर सब डिवीजन में बज बज क्षेत्र का विशेष रुप से उल्लेख करते हुये कुल कितने मकान बनाये गये हैं और कितनी धन राशि खर्च की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख): चालू योजना अवधि में योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को २०० लाख रुपये के समस्त ऋण आवंटन में से उस को ४० लाख रुपये की राशि अगस्त १९५५ में दी गई थी। राज्य सरकार ने अभी तक वास्तव में कोई धन नहीं बांटा है क्योंकि इस योजना के अधीन उसको जो ऋण के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं, अभी उन की जांच पड़ताल उसे पूरी करनी है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ५४०३–४६

ता० प्र०

संख्या	विषय	स्तम्भ
९८०	ग्राम सेवक	५४०३–०५
९८१	भाखड़ा बांध	५४०५–०७
९८२	विद्युत शक्ति का विकास	५४०७–०९
९८३	मध्यभारत में आदिवासी	५४०९–१०
९८४	राष्ट्रीय श्रम सेना	५४११
९८६	कनाडा में भारतीय	५४११–१३
९८७	सुधार कर	५४१३–१४
९८८	सड़क परिवहन निगम	५४१५–१६
९९०	फार्म स्टोर, कलकत्ता	५४१६–१८
९९१	उल्हास नगर बस्ती	५४१८–१९
९९२	छोटे पैमाने के उद्योग	५४२०–२१
९९३	कोयला	५४२१–२३
९९४	मध्य आय वर्ग आवास योजना	५४२३–२४
९९५	शक्ति मद्यसार	५४२४–२५
९९६	भारतीय विद्युत् अधिनियम	५४२५–२७
९९७	उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में विधि और व्यवस्था	५४२७–३०
९९८	बिहार के लिये बाढ़ नियन्त्रण योजनायें	५४३०–३१
१०००	भाखड़ा नंगल परियोजना में विद्युत् शक्ति इकाइयां	५४३१–३२

ता० प्र०

संख्या	विषय	स्तम्भ
१००२	दामोदर घाटी निगम	५४३३–३४
१००३	कोयले का चूरा	५४३४–३६
१००४	सिंदरी फर्टिलाइजर्स एन्ड कैमिकल्स लिमिटेड	५४३६–३७
१००५	हिन्दी की पांडूलिपियों की छपाई	५४३७–३८
१००६	कपास विपणन केन्द्र	५४३८–३९
१००७	मचकुंडा जल विद्युत् संयंत्र	५२३९–४१
१००८	विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी आवास समितियां	५४४१–४२
१००९	बर्मा से व्यापार	५४४२–४४
१०१०	ऊदबिलाव (बीवर)	५४४४–४५
१०११	अम्बर चर्खा	५४४५–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ५४४६–५५०२

ता० प्र० संख्या

९८५	जम्मू तथा काश्मीर में विस्थापित व्यक्ति	५४४६–४७
९८९	भारतीय इस्पात प्रतिनिधि मंडल	५४४७–४८

ता० प्र० संख्या विषय स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

९९९ कुटीर उद्योगों की अग्रिमपरियोजना ५४४८

१००१ पांडिचेरी की कपड़ा मिलें ५४४९

१०१२ सीमेंट ५४४९–५०

१०१३ भारत पाकिस्तान संयुक्त तथ्य निर्धारण आयोग ५४५०–५१

१०१४ गुड़ तथा खांडसारी ५४५१

१०१५ कपड़ा उद्योग ५४५१–५२

१०१६ बेल्लमपल्ली की कोयले की खानें ५४५२–५३

१०१७ मनीपुर में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड ५४५३

१०१८ वेतनों की उच्चतम सीमा ५४५३–५४

१०१९ त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति ५४५४

१०२० टेकनीशियनो (प्रविधिज्ञों) का प्रशिक्षण ५४५४–५५

१०२१ संश्लेषित तेल का कारखाना ५४५५–५६

१०२२ प्रयोगात्मक नाभिकीय विस्फोट ५४५६

१०२३ भिलाई का इस्पात कारखाना ५४५७

१०२४ कुटीर उद्योग ५४५७

१०२५ फिल्मी संगीत ५४५७–५८

१०२६ निष्क्रांत सम्पत्ति ५४५८–५९

१०२७ इंजीनियर कर्मचारी ५४५९

१०२८ मध्यपूर्व के देशों के साथ व्यापार ५४५९–६०

ता० प्र० संख्या विषय स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

१०२९ ग़ोआ ५४६०

१०३० पंचवर्षीय योजना का प्रचार ५४६१

१०३१ रेयन धागा ५४६१–६२

१०३२ विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर ५४६२

१०३३ तम्बाकू ५४६३

१०३४ नमक ५४६३–६४

१०३५ सोडा भस्म (एश) का कारखाना ५४६३–६५

१०३६ भवनीसागर में अखबारी कागज का कारखाना ५४६५

१०३७ ग़ोआ ५४६५–६६

१०३८ विदेशों में भारतीय मिशन ५४६६–६७

१०३९ प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार ५४६७

१०४० भाखड़ा नंगल परियोजना ५४६७–६८

१०४१ औद्योगिक प्रबन्ध सेवा ५४६८

१०४२ शिक्षित बेकार ५४६८–६९

१०४३ नदी घाटी परियोजनाओं में अन्तर्देशीय परिवहन ५४६९

१०४४ प्रतिकर (कम्पेनसेशन) ५४६९–७०

अ० प्र० संख्या

६६७ रेंगने वाले कीड़ों की खालों का निर्यात ५४७०

६६८ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिये प्रतिनिधियों का चुना जाना ५४५१

६६९ विदेशों में भारतीय दुतावास ५४७१–७२

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

६७०.	कोयला खम्न	५४७२
६७१	विदेशी व्यापार .	५४७२–७३
६७२.	बंकारी	५४७३
६७३.	बाढ़ से हुई क्षति .	५४७३–७४
६७४.	इथियोपिया में भारतीय	५४७४–७५
६७५.	ग्रामोद्योग	५४७५
६७६.	सीमेंट	५४७५
६७७.	विदेशों में हिन्दूओं का शवदाह .	५४७५–७६
६७८.	नमक	५४७६
६७९.	कोयला .	५४७६–७७
६८०.	जल संसाधनों का विकास	५४७७
६८१.	भूमि का कटाव .	५४७७–७८
६८२.	दस्तकारी सप्ताह	५४७९
६८३.	दस्तकारी उद्योग .	५४७९–८०
६८४.	विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर	५४८०
६८५.	रेडियो सेटों का निर्माण	५४८०–८१
६८६.	आकाशवाणी .	५४८१
६८७.	अणुशक्ति सहकारिता करार	५४८२
६८८.	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में हाथी के शिकार की योजना	५४८२
६८९.	पूर्वी पाकिस्तान से अव जन	५४८२–८३
६९०.	बन्दरों का निर्यात .	५४८३
६९१.	पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को सहायत	५४८४
६९२.	उत्तर पर्वी सीमान्त अभिकरण .	५४८४–८५
६९३.	आंध्र में कुटीर उद्योग	५४८५
६९४.	कोरिया के युद्ध बन्दी .	५४८६
६९५.	सरकारी क्रय	५४८६
६९६.	गोआ में सत्याग्रही	५४८६–८७
६९७.	विस्थापित व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि का दिया जाना .	५४८७–८८
६९८.	कताई मिलें	५४८८
६९९.	गोआ .	५४८८–८९
७००.	नाहन ढलाई घर .	५४८९–९०
७०१.	हड्डी का खाद .	५४९०
७०२.	अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय हिन्द चीन .	५४९०–९१
७०३.	द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रचार .	५४९१
७०४.	ब्रह्मा में भारतीय डाक्टर का अपहरण .	५४९१–९२
७०५.	पर्वतारोहण .	५४९२
७०६.	मद्य निषेध .	५४९३
७०७.	गंगा बांध योजना .	५४९३

470 LSD 5

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
७०८	हथकरघे	५४९३–९४
७०९	चाय के बागान	५४९४
७१०	औद्योगिक आवास	५४९५
७११	सीमेन्ट का कारखाना	५४९५
७१२	चपड़ा (लाख) के मूल्य	५४९६
७१३	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये मकान (क्वार्टर)	५४९६–९७
७१४	तेल शोधनशाला	५४९७
७१६	त्रिपुरा में सिंचाई के लिये सहायता	५४९७–९८
७१७	मैसूर राज्य में विस्थापित व्यक्ति	५४९८
७१८	पंचवर्षीय योजना का प्रचार	५४९८–९९
७१९	मेडागास्कर में भारतीय	५४९९
७२०	विकास पदाधिकारी	५४९९–५५००
७२१	दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्ति	५५००
७२२	दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्तियां	५५००–०१
७२३	औद्योकि अल्प-आय-वर्ग आवास योजना	५५०१–०२

लोक-सभा

मंगलवार,
२० दिसम्बर, १९५५

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १०, १९५५

(१० दिसम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

Preservation
Fumigated
On 11.4.83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड १० में अंक १६ से अंक २७ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

स्तम्भ

संख्या १६—शनिवार, १० दिसम्बर, १९५५

मद्रास के तूफान के बारे में वक्तव्य	७०९३–९५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७०९६–९७
राज्य-सभा से सन्देश	७०९७–९८
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक	७०९८
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक और भारतीय प्रशुल्क (ततीय संशोधन) विधेयक	७०९८–७१३८
खंडों पर विचार	७१३६
पारित करने का प्रस्ताव	७१३७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें	७१३७–७२१२
दैनिक संक्षेपिका	७२१३–१४

संख्या १७—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७२१५–१६
राज्य-सभा से सन्देश	७२१६–१७
विधि जीवी परिषद् (राज्य विधयों का मान्यीकरण) विधेयक	७२१७
संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक	७२१७–२४
विचार करने का प्रस्ताव	७२१७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६	७२२४–७३२३
विनियोग (संख्या ४) विधेयक	७३२३–२५
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१	७३२६–३५
विनियोग (संख्या ५) विधेयक	७३३५–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	७३३७–३८
विचार करने का प्रस्ताव	७३३८
दैनिक संक्षेपिका	७३३९–४१

संख्या १८—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	७३४३
संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक खंड २ और १	७३४३–८४
पारित करने का प्रस्ताव	७३८१
राज्य-सभा द्वारा प्रस्तावित रूप में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक	७३८४–७४८७
विचार करने का प्रस्ताव	७३८४–७४८७
श्री पाटस्कर	७३८६–७४१६

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध विधेयक, १९५५ ७४१७–५२
विचार करने का प्रस्ताव खंड २ से २१ और १ ७४४६–४७
पारित करने का प्रस्ताव ७४४७
दैनिक संक्षेपिका ७४५३–५४

संख्या १९—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७४५५–५८
राज्य-सभा से सन्देश ७४५६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७४५६–७५४४
दैनिक संक्षेपिका ७५४५–४६

संख्या २०—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति–
बयालीसवां प्रतिवेदन . . ७५४७
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७५४७–७६२२
दैनिक संक्षेपिका ७६२३–२४

संख्या २१—शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश . . ७६२५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ७६२६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी.समिति—
बारहवां प्रतिवेदन . . . ७६२६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७६२६–७२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन ७६७३–८२
मध्यस्थ निर्णय (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३९ आदि का संशोधन) . ७६८३
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक नई धारा २क का रखा जाना . ७६८३
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक धारा २८ का संशोधन ७६८३–८४
बीमा (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४४क का रखा जाना) . ७६८४
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३ का रखा जाना) ७६८४–८९
विचार करने का प्रस्ताव ७६८४
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (धारा २ आदि का संशोधन) ७६८९–७१०
विचार करने का प्रस्ताव खंड २, ३ और १ . . . ७६९०–७१०
मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५ आदि के स्थान पर रखा जाना) . ७७१३
विचार करने का प्रस्ताव ७७१३
दैनिक संक्षेपिका ७७१५–१८

स्तम्भ

संख्या २२—शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

श्री आर० के० चौधरी का निधन ७७१९–२०
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७७२०–२१
राज्य पुनर्गठन आयोग के सम्बन्ध में याचिकायें ७७२१
राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में प्रस्ताव ७७२१–७८१२
दैनिक संक्षेपिका ७८१३–१४

संख्या २३—सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

अनुपस्थिति की अनुमति ७९१५–१६
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७८१६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में सन्देश ७८१७–७९४२
दैनिक संक्षेपिका ७९४३–४४

संख्या २४—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७९४५–४६
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७९४६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७९४७–८०४३
सदस्यों के लिखित वक्तव्य ८०४३–५२
दैनिक संक्षेपिका ८०५३–५४

संख्या २५—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८०५५–५६
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . ८०५६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ८०५७–८१६१
सदस्यों के लिखित वक्तव्य ८१६१–६६
दैनिक संक्षेपिका ८१६७–६८

संख्या २६—गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेतालीसवीं से छयालीसवीं बैठकों की कार्यवाही ८१६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८१६९–७१
नदी बोर्ड विधेयक . . ८१७२
अन्तर्राज्यीय जल विवाद विधेयक ८१७२
लाभ पदों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन ८१७२
याचिकाओं सम्बन्धी समिति—
सातवां प्रतिवेदन ८१७३
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिका ८१७३–७४

	स्तम्भ
ग्रतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि स्थगन प्रस्ताव	८१७४–७५
ग्रगरतला में रातांचेरा की स्थिति	८१७५–८३
राज्य पुनर्गठन ग्रायोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	८१८३–८३४२
सदस्यों के लिखित वक्तव्य	८३१२–४२
दैनिक संक्षेपिका	८३४३–४६

संख्या २७—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८३४७–४८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की ग्रनुमति	८३४८–४९
प्राक्कलन समिति—	
सत्रहवां ग्रौर ग्रठारहवां प्रतिवेदन	८३४९
राज्य पुनर्गठन ग्रायोग के बारे में याचिकायें	८३४९
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक	८३५०
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	८३५०
स्थगन प्रस्ताव	८३५०–५१
राज्य पुनर्गठन ग्रायोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	८३५१–८७६०
सदस्यों के लिखित वक्तव्य	८४७७–८७६०
दैनिक संक्षेपिका	८७६१–६४
सत्र का सारांश	८७६४–६८
ग्रनुक्रमणिका	(१–५४)

लोक सभा

मंगलवार, २०[दिसम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्यान्ह

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं, उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५३ की चर्चा के समय दिये गये आश्वासन के अनुसार १९ सितम्बर, १९५५ की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २०५८ आई०डी०आर०ए०/१५/३ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस०—४५०/५५]**

अत्यावश्यक वस्तुयें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं माननीय खाद्य और कृषि उपमंत्री की ओर से अत्यावश्यक वस्तुयें अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत खाद्य और कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की प्रतियां पटल पर रखता हूं :—

(१) १ नवम्बर, १९५५ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४०६।

(२) १ नवम्बर, १९५५ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४०७। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस०—४५१/५५]**

राज्य-सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से तीन निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुए हैं:—

(१) राज्य-सभा अपनी १७ दिसम्बर १९५५ की बैठक में लोक सभा द्वारा ९ दिसम्बर, १९५५ को पारित किये गये दिल्ली (भवन निर्माण कार्य नियंत्रण) विधेयक, १९५५ से बिना किसी संशोधन सहमत हो गई है।

(२) लोक-सभा द्वारा १० दिसम्बर, १९५५ को पारित किये गये भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ के बारे में राज्य-सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(३) लोक-सभा द्वारा १० दिसम्बर, १९५५ को पारित किये गये भारतीय प्रशल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५ के बारे में राज्य-सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में १४ दिसम्बर, १९५५ को प्रस्तुत किये गये श्री जी० बी० पन्त के इस प्रस्ताव पर और आगे चर्चा होगी :—

"कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये ।"

इस चर्चा में १९ क्षेत्रों के सदस्य भाग ले चुके हैं । कुछ राज्य और बच गये हैं जिन पर चर्चा की जायगी । अब मैं श्री भवनजी को बोलने की अनुमति देता हूं ।

श्री आर० डी० मिश्र (बुलन्दशहर) : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस सदस्य ने उत्तर प्रदेश की ओर से चर्चा प्रारम्भ की थी उस ने इसे उत्तर प्रदेश की ओर से प्रारम्भ किया था या भारत सरकार की ओर से ?

एक माननीय सदस्य : दोनों की ओर से ।

अध्यक्ष महोदय : वह समस्त भारत की ओर से था । अब व्यर्थ की बातें छोड़ कर हमें अपना कार्य प्रारम्भ करना चाहिये । माननीय सदस्य भाषणों में बहुत अधिक समय न लें और जो लिखित ज्ञापन देना चाहें वे २३ दिसम्बर की संध्या तक दो मुद्रित पृष्ठों के आकार का ज्ञापन दे सकते हैं ।

अब श्री भवनजी अपना भाषण प्रारम्भ करें ।

श्री भवनजी (कच्छ पश्चिम) : मैं सभा के सन्मुख कच्छ के बारे में कहना चाहता हूं । १९४८ तक यह प्रदेश एक देशी राज्य के रूप में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था । जब इसका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ने अपन हाथ में लिया तो सरदार पटेल ने यह आश्वासन दिया था कि वहां के विकास की ओर पूरा पूरा ध्यान दिया जायेगा । वस्तुतः सरकार ने हमारी ओर काफी ध्यान दिया है जिसके लिये हम बहुत आभारी हैं ।

मनीपुर और त्रिपुरा वासियों की भांति हम कच्छ को एक पृथक राज्य बनान के पक्ष में नहीं हैं । जब राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया तो कच्छ की ओर से उसे एक ज्ञापन भेजने का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ । हमने निश्चय किया कि हमें बम्बई राज्य में मिलने में कोई आपत्ति नहीं होगी किन्तु यदि बम्बई राज्य का विभाजन हो तो हम इस पक्ष में थे कि बम्बई को एक नगर राज्य बनाया जाये । हम इसी राज्य से कच्छ को मिलाना चाहते थे । किन्तु हम गुजरात से भी इस शर्त पर मिलने को तैयार थे कि हमारे विकास में कोई शिथिलता न आये । हमें आशा है कि सरकार हमारे मत पर उचित ध्यान देगी ।

अब मैं बम्बई की समस्या को लेता हूं । उस के विषय में जब आयोग की सिफारिशें हमारे सामने आईं तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई । सौराष्ट्र और गुजरात ने उन्हें स्वीकार कर लिया किन्तु महाराष्ट्र उस के विरुद्ध है । मैं यहां यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि कच्छ राज्य महाराष्ट्र में मिलना बिल्कुल पसन्द नहीं करेगा । इस परिस्थिति में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने ठीक ही निश्चय किया है कि तीन राज्यों का निर्माण किया जाये—महाराष्ट्र, गुजरात और बम्बई नगर ।

अनेक लोगों को शायद अभी तक इस बात का पता नहीं है कि कच्छ राज्य की उन्नति बम्बई नगर की उन्नति पर बहुत निर्भर करती है । पिछली शताब्दी से ही काछी लोग कच्छ से आकर बम्बई में बसते रहे हैं और इस समय वहां पर उन की संख्या ढाई लाख के लगभग है । बम्बई नगर के मांडनी और कोलाबा क्षेत्रों में काछी लोग भरे पड़े हैं ।

जब प्रधान मंत्री कच्छ आये थे, उसी समय मैं न उन से कहा था कि कच्छ निवासी बम्बई से आन वाले मनीआर्डरों पर बहुत

निर्भर करते हैं। वहां ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस का कोई सदस्य बम्बई में काम नहीं करता हो। वहां के अधिकांश लोग मजदूरी करते हैं और कुछ व्यक्ति मध्यम श्रेणी के हैं।

अन्त में मैं सभा से पुनः यह निवेदन करता हूं कि या तो गुजरात और महाराष्ट्र आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करें या फिर हम कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के तीन राज्य के सुझाव से सहमत हैं। हमारे पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई सुझाव नहीं है।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन): स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) ने जो नये मध्य प्रदेश के बनाये जाने का प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। इस सिलसिले में विन्ध्य प्रदेश और मध्य भारत की तरफ से यह आवाज उठी है कि चूंकि वहां का जनमत यह नहीं चाहता इसलिये इनको अलग ही रखा जाये और इस बारे में उन्होंने कुछ आर्थिक और राजनीतिक कारण भी बतलाये हैं।

[श्रीमती सुषमा सेन पीठासीन हुईं]

जहां तक जनमत का सवाल है मेरा यह कहना है कि क्या हम सारे हिन्दुस्तान के जनमत को देखें या कि हम सिर्फ हिन्दुस्तान के अन्दर दो चार या दस गांवों या शहरों के जनमत को देखें। इस जनमत के सवाल के ऊपर भी एस० आर० सी० ने रोशनी डाली है और उन्होंने बतलाया है कि किस तरीके से जनमत देखा जाना चाहिये। जहां तक जनमत का सवाल है भोपाल की असेम्बली ने एक मत से, भोपाल की सब जिला कांग्रेस कमेटी ने एक मत से इस चीज की मांग की थी कि हम भोपाल को अलग रखना चाहते हैं। और सुव्यवस्था, शासन और उन्नति के कामों की वजह से वह मुस्तहक (अधिकारी) भी था। लेकिन इसके होते हुए भी एस० आर० सी० की रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई तो उन्होंने देश के हित में कमीशन (आयोग) के इन तीन विद्वानों ने जो सिफारिशें की हैं उनका उन्होंने स्वागत किया। इस तरीके से विन्ध्य प्रदेश या मध्य भारत में, जिन लोगों ने इस चीज की मांग की है कि वह अलग रहना चाहते हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह अपने दृष्टिकोण से ही न इस चीज को देखें बल्कि समस्त भारत के हित को ध्यान में रखकर इस चीज का फैसला करें, हिन्दुस्तान की जो ३६ करोड़ जनता है उसकी भलाई को उन्हें ध्यान में रखना चाहिये। हमें यह भी देखना है कि क्या आर्थिक दृष्टि से यह आत्मनिर्भर हो सकता है। यह माना गया है कि रियासतों को बनाते वक्त भाषा का ही एक मात्र ध्यान नहीं रखा जाना चाहिये, दूसरी चीजों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। ऐसी सूरत में मध्य प्रदेश का हमारा जो फेडरल कान्स्टीट्यूशन (संघीय संविधान) है, उसमें क्या पोजीशन होगी। इस दृष्टि से हमें विचार करना चाहिये। इस सिलसिले में श्री राधे लाल व्यास जी ने बहुत सी बातें यहां पर कहीं हैं। मैं भी यह कहना चाहता हूं कि जब हम रियासतें बनायें तो हमें देखना चाहिये कि हम जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स सैकिंड फाइव ईयर प्लान (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) में शामिल करने जा रहे हैं जहां तक हो सके उनको एक ही एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) के कंट्रोल में रखा जाय। हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा, चम्बल, सिन्ध, सोन, टोंस, बेत्तवा, महानदी, पार्वती, इन्द्रावती और वैद्यगंगा नदियां हैं। यह ऐसी नदियां हैं जो कि माईकाल, महादेव और छोटा नागपुर के प्रदेशों में अपना पानी बहाती हैं और इन पर बड़े बड़ प्रोजक्ट्स भी बनाय जा रहे हैं। इन नदियों में मैं ने उन छोटी छोटी नदियों की गिनती नहीं की जोकि कितनी ही हैं। यह सब एक एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) में होंगी। जब यह एक प्रान्त में होंगी तो आप जरा गौर फरमाइये कि हम अपने आप को एग्रीकलचरली (कृषि कार्य में) कितना आगे बढ़ा सकेंगे। किस हद तक

[पंडित सी० एन० मालवीय]

हम पावर पैदा कर सकेंगे और कितने अच्छे ढंग से उसका उपयोग भी कर सकेंगे ।

मध्य भारत में चेम्बर आफ कामर्स (वाणिज्य मंडल) है उसने कुछ आंकड़े दिये हैं और उन्होंने बताया है कि मध्य भारत महाकौशल से बहुत आगे है । इस बात को मैं मान लेता हूं । लेकिन आज इस संसार में, इस हिन्दुस्तान में जब हम एकता की बात करते हैं तो क्या हमें यह कहना शोभा देता है कि क्योंकि हम ज्यादा मालदार हैं, हम ज्यादा उन्नत हैं और जो हमारे भाई पड़ोस में रहते हैं और जो हमारे जितने मालदार नहीं उनको हम अपने शेयर में से कुछ ना दें । जब इस किस्म की आवाज उठती है तो मैं समझता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी पूंजीवादी मनोवृत्ति है । इस चीज को भी बहुत बुरा मानता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसी आवाज उठनी नहीं चाहिये । अध्यक्ष जी, जिस वक्त मैंने एस० आर० सी० (राज्य पुनर्गठन आयोग) की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) को पढ़ा उस दिन मुझे गर्व हुआ इस बात पर कि आज तो मैं आठ लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं लेकिन अब मैं दो करोड़ ६१ लाख की एक फैमिली का मैम्बर बना हूं । आज मेरे सामने सिर्फ ६,००० वर्ग मील का एरिया था लेकिन अब यह बढ़ कर एक लाख, ७१ हजार वर्ग मील का हो गया है । इतना बड़ा क्षेत्र मेरा बन गया है । जो इटार्सी की फर्टिलाइजर फैक्टरी (उर्वरक कारखाना) खुल रही है कल मैं उसको अपना नहीं कह सकता था लेकिन अब मैं उसको अपनी कह सकता हूं । नैपा मिल मेरे प्रदेश में है । बस्तर और विन्ध्य प्रदेश के जो खनिज पदार्थ हैं और जिन को हम सब हिन्दुस्तान के लोग अब डिवेलेप करेंगे, उन पर भी मुझे गर्व है । इस तरह भारत के जो वी० के० आर० वी० राव इकोनोमिस्ट (अर्थशास्त्री) हैं उनका रिफेंस (निर्देश) पहले दिया गया है । उनका लेख हिन्दुस्तान टाइम्ज में भी हाल में निकला था और मैं ने उसको पढ़ा है । एस० आर० सी० ने इस प्रदेश का निर्माण सर्वोत्तम माना है। उन्होंने भारतवर्ष की रियासतों का जो मंथन किया है, उसमें से अगर मक्खन का कोई गोला निकला है तो वह मध्य प्रदेश है । मेरे विचार में यह जो मध्य प्रदेश स्टेट बनने वाली है यह एक बहुत ही उन्नतिशील रियासत होगी । साथ ही साथ मध्य भारत में जो आज डाकुओं का बोलबाला है, जो ला ऐंड आर्डर (विधि तथा व्यवस्था) की समस्या है, आपस के जो झगड़े हैं, उनके ऊपर भी एस० आर० सी० ने काफी रोशनी डाली है । इसमें किसी का कसूर नहीं है, मध्य भारत के लोगों का ही है, अगर वह अच्छी तरह से इसका इंतजाम कर लेते तो मुमकिन है कि आज मध्य भारत को वह बनाये रखते । इसी तरह से अगर विन्ध्य प्रदेश अपनी समस्याओं को सुलझा लेता हुलिगनिज्म (गुंडागर्दी) पर कंट्रोल कर लेता तो हो सकता है कि आज उनकी अलग रहने की मांग पर गौर हो जाता । इन्हीं चीजो का यह नतीजा है कि उनको मिला कर महाकौशल को एक बड़ा प्रदेश बनाया जा रहा है ।

अब मैं जो इसका राजनीतिक पहलू है उस पर आता हूं । हिन्दुस्तान में सरदार पटेल के नेतृत्व में हमने ६०० देशी रियासतों को खत्म किया । हम ने जमींदारी को भी खत्म किया । आज एस० आर० सी० की जो रिपोर्ट है यह भी चार चांद लगाने वाली है । अंग्रेजों के जमाने में यहां पर एक तो ब्रिटिश इंडिया था और दूसरी प्रिंसली स्टेट्स (देशी रियासतें) थीं । इन स्टेट्स को खत्म कर के हम ने एक कदम आगे बढ़ाया । लेकिन जो रियासतों के रहने वाले थे, जाहिर है कि वह लोग कुछ पीछे थे । लेकिन आज महाकौशल की जो पुरानी ट्रेडिशंज (परम्परायें) हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम की ट्रेडिशंस (परम्परायें) हैं उनमें विन्ध्य प्रदेश, मध्य भारत

और भोपाल मिलकर नये डेमोक्रेटिक आइडियल्ज (लोकतन्त्रात्मक आदर्श) को तरह हम बढ़ने वाले हैं । साथ ही साथ विन्ध्य प्रदेश पूरा हम मिला रहे हैं, भोपाल हम पूरा मिला रहे हैं, पूरा मध्य भारत मिला रहे हैं, और मध्य प्रदेश के सिर्फ विदर्भ के हिस्से उससे काटे हैं । इसलिये एसेट्स (आस्तियां) और लायाबिलिटीज (दायित्व) के बारे में भी कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी । इसी तरह से इंटेग्रेशन आफ सर्विसिस (सेवाओं का संविलय) और इसी तरह की जो दूसरी समस्यायें उठ सकती हैं, उनको भी हल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा । ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश एक बहुत ही अच्छा प्रदेश बनने वाला है । इस वास्ते मैं अपने मध्य भारत के दोस्तों से और विन्ध्य प्रदेश के दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि वह इसके आर्थिक पहलु पर गौर करें और अपनी छोटी छोटी स्टेट्स बना कर अलग अलग रहने की कोशिश न करें । अगर मैं पुरानी बातों का हवाला दूं तो ट्राइबल स्टेट (आदिमवासियों की स्थिति) में हम पहुंचेंगे जबकि हम छोटे छोटे ग्रुपों में अलग अलग रहते थे । उस वक्त एक ट्राइब (आदिमजाति) दूसरी ट्राइब (आदिम जाति) से अलग थी । हमें जिस तरीके से आज जमाना तरक्की कर रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिये और उसी के मुताबिक चलना चाहिये ।

इसके बाद जहां तक राजधानी का सवाल है उसके बारे में हमारे सेठ गोविन्द दास जी ने बड़े अच्छे तरीके से बात कही है । उनको मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूं । उनका उदार हृदय है, वह एक आल इंडिया फिगर (अखिल भारतीय नेता) हैं । उन्होंने जब्बलपुर का नाम लिया है । लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि भोपाल के लोगों ने जोर मध्य प्रदेश पर दिया है राजधानी पर इतना जोर नहीं दिया । कई लोगों ने कहा है कि भोपाल के लोगों को राजधानी के प्रश्न पर कोई विशेष जोर नहीं देना चाहिये । उन्होंने साफ साफ यह कहा है कि मध्य प्रदेश अगर बनता है तब तो ठीक है लेकिन यदि मध्य प्रदेश के बनने में भोपाल की वजह से अड़चन पड़ती है और भोपाल उसके रास्ते में आता है और इसी वजह से यह बन नहीं पाता है तो सैकड़ों भोपाल हम इसकी खातिर कुर्बान कर सकते हैं ।

जहां तक जब्बलपुर को राजधानी बनाने का प्रश्न है, कमीशन ने अपने अधिकार से बाहर जा कर उस की रीकमेंडेशन (सिफारिश) की थी । कांग्रेस वर्किन्ग कमेटी (कांग्रेस कार्यकारिणी समिति) ने उस रीकमेंडेशन को रिजेक्ट (रद्द) कर दिया है इसलिये नहीं कि जब्बलपुर राजधानी नहीं बन सकता है, बल्कि इसलिये कि कमीशन को यह निर्णय करने का अधिकार नहीं था । हाई पावर कमेटी (उच्च अधिकारी समिति) ने सब नगरों की सम्बन्धित बातों और आंकड़ों पर विचार किया है और किसी प्रकार की पोलीटिकल कनसिडरेशन्ज को सामने नहीं रखा है, हालांकि इस विषय में कुछ पोलीटिकल कनसिडरेशन्ज (राजनीतिक धारणायें) भी हो सकती हैं । भोपाल के कम्यूनिकेशंज (संचार साधन) बहुत डेवेलप्ड (विकसित) हैं और वह सब दृष्टियों से बहुत उन्नत और उपयुक्त स्थान है । मध्य भारत वालों को छोड़ दीजिये, बिहार के एक सज्जन ने हिन्दुस्तान टाइम्ज में लैटर्ज टू दि एडीटर लम (सम्पादक को पत्र स्तम्भ) में एक पत्र लिख कर यह सिद्ध किया है कि भोपाल सब से केन्द्रीय स्थान है । इस हाउस के माननीय सदस्य भी इस बात पर गौर करें कि भोपाल और जबलपुर में से कौन सा स्थान केन्द में पड़ता है । जहां तक कम्यूनिकेशंज को डेवेलप करने का प्रश्न है, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जबलपुर के राजधानी बनाने में यहां पर हम को पांच सौ मील लम्बी रेलवे लाइन बनानी पड़ेगी । मैं यह भी बता दूं कि भोपाल के पास बुधनी से बरखेड़ा तक दस मील लम्बी रेलवे लाइन के बनाने में सात बरस में दस करोड़ रुपये खर्च हुए हैं । इस हिसाब से पांच सौ मील लम्बी रेलवे लाइन पर जो

लगभग २५० करोड़ रुपये खर्च होंगे । इस समय हम को सकंड फाइव ईयर प्लान के लिय रुपय की जरुरत है, हम इतना रुपया कहां से लायग । यह बात नहीं है कि हम ट्रांस्पोर्ट और कम्यनिकेशंज को बढ़ायेंगे नहीं—हम उस की तरक्की करेंगे, लेकिन एक प्लान्ड और सुव्यवस्थित तरीके से करेंगे । भोपाल को राजधानी बना कर उस की तरक्की करने से ही सारे मध्य प्रदेश की तरक्की नहीं होगी । हमें सागर, रीवां, रायपुर, ग्वालियर, इन्दौर, सभी को आगे बढ़ाना है । मुझे आशा है कि हाई कोर्ट और दूसरे आफिसिज के स्थान के बारे में जो भी फैसला किया जायेगा, वह आम जनता की सुविधा और हित को दृष्टि में रख कर ही किया जायेगा । मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि इस विषय में कोई सौदेबाजी की जाये । अगर ऐसा किया गया, तो ग्वालियर और इन्दौर के झगड़े यहां भी पैदा हो जायेंगे । मैं तमाम दोस्तों से, जिनका कि इस समस्या से सम्बन्ध है, दरख्वास्त करूंगा कि वे सौदेबाजी की स्पिरिट से कोई बात न करें, बल्कि वे यह देखें कि मध्य प्रदेश की जनता को किस तरह लाभ हो सकता है । भोपाल की जनता की ओर से मैं भोपाल के राजधानी बनाने पर हाई कमांड का आभार प्रदर्शन करता हूं और आशा करता हूं कि उस को उस के महत्व और योग्यता के अनुसार स्थान दिया जायेगा ।

एस० आर० सी० रिपोर्ट के विषय में काफी राय जाहिर की जा चुकी है । हमारे सामने इस बात के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जब तक कोई जेनरली एग्रीड सालूशन (सामान्यतः स्वीकृत सुझाव) सामने न आये, हम कमीशन (आयोग) की रीकमेंडेशंज (सिफारिशों) को ही मान लें । बम्बई के बारे में पाटिल साहब और शाह साहब ने जिस तरीके से अपना केस रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं गाडगील साहब का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हम को उस स्पिरिट में सोचना और काम करना चाहिये, जिस स्पिरिट से उन्होंने तकरीर की है । एक तो दलील का जोर होता है और दूसरा तलवार का । उनकी स्पीच में तो मुझे तलवार का जोर ही मालूम हुआ । इस हालत में वह दलील की बात कैसे करते हैं ? मैं समझता हूं कि हम को दलीलों से ही काम लेना चाहिये और दूसरे लोगों को समझाते हुए अपना केस रखने की कोशिश करनी चाहिये और उस के बाद जो भी डिसिजन (निर्णय) हो, उस को सरे तस्लीम खम कर के लेना चाहिये ।

पंजाब के सिलसिले में मेरे दोस्त श्री गोपीराम ने जो हिमाचल प्रदेश की बात कही, मैं उस का समर्थन करता हूं । मैं मास्टर तारा सिंह से भी अपील करूंगा कि इस वक्त देश के सामने बहुत बड़े बड़े सवाल हैं । जो भी सालूशन निकले, उससे कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा । कोई ऐसा एग्रीड सालशन (स्वीकृत सुझाव) निकालना चाहिये, जिससे सारे देश का भला हो ।

यह ठीक है कि चीफ मिनिस्टर्ज कांफरेंस (मुख्य मंत्री सम्मेलन) में एस० आर० सी० की कुछ रीकमेंडेशंज को सपोर्ट (समर्थन) नहीं किया गया । लेकिन इस बात में कोई दो मत नहीं हो सकते कि अगर हम ने अपने देश में सब विभागों में ठीक व्यवस्था करनी है, तो डाक्टर्ज, इंजीनियर्स और फारेस्ट्स विषयक आल इंडिया सर्विसिज (अखिल भारतीय सेवायें) बनाने की जरूरत है । प्राविंशियलिज्म (प्रांतीयता) को खत्म करने के लिये यह भी जरुरी है कि दो दो, चार चार प्राविंसिज (प्रान्तों) के लिये एक कामन पब्लिक सर्विस कमीशन (सामूहिक लोक सेवा आयोग) बनाया जाये ।

कमीशन ने राजप्रमुखों के इंस्टीच्यूशन (संस्था) को खत्म करने की सिफारिश की है । मैं उस का स्वागत करता हूं । हमारे राजाओं और नवाबों ने सरदार पटेल की अपील को सुन कर देश के हित के लिय अपने हितों का बलिदान किया था । मुझे पूरी उम्मीद है कि वे अब भी देश की प्रगति के रास्ते

में नहीं आयेंगे । मैं इस हाउस के मैम्बरों से भी दरख्वास्त करूंगा कि कांस्टीच्यूशन की दफा १६१ और ३६२ को, जिन में प्रिंसिज को कुछ प्रिविलेजिज (विशेषाधिकार) दिये गये हैं और उनके लिये सेफगार्डज (रक्षा के साधन) रख गय हैं, रीवाइज़ (पुनर्विचार) किया जाये । जब वे कामन मेन (सामान्य व्यक्ति) की तरह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्ज में आ सकते हैं, हकूमत कर सकते हैं, तो फिर क्या वजह है कि वे अपने लिये एक ऐसी चीज रिज़र्व्ड (रक्षित) रखना चाहते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है ? अब तक हम उन को प्रिवी पर्सिज (निजी थैली) देते आ रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे अपने पैरों पर खड़े हों और जो रुपया उन को दिया जाता है, वह देश के उत्थान के लिये इस्तेमाल किया जाये । वे खुद कहें कि हम ये पर्सिज लेना पसन्द नहीं करते हैं और जितना रुपया हमें चाहिये, वह हम लोन के रूप में लेना चाहते हैं । मैं चाहता हूं कि इस तरह की तजवीज उनकी तरफ से आये । गवर्नमेंट (सरकार) को भी इसमें इनीशियेटिव (उपक्रम) लेना चाहिये । इस विषय में जो भी अच्छा सालूशन निकल सके वह निकालना चाहिये । जब हम कान्सटिट्यूशन (संविधान) को अमेंड (संशोधित) कर रहे हैं, तो इस बात की भी जरूरत है कि इस मामले पर गौर कर के इन दो दफात (धाराओं) को भी निकाल दिया जाये ।

हमारे डिप्टी स्पीकर (उपाध्यक्ष) साहब ने अपनी स्पीच में कहा था कि एक बाउंडरी कमीशन (सीमा आयोग) मुकर्रर करना चाहिये । मैं इस बात के खिलाफ हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस रीआर्गनाइजेशन (पुनर्गठन) की वजह से फर्स्ट फाइव ईयर प्लान (प्रथम पंचवर्षीय योजना) की प्रगति में भी थोड़ी बहुत बाधा पड़ी है और सैकंड फाइव ईयर प्लान (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) को शुरू करने में भी दिक्कतें आयेंगी, इसलिये इसमें और देर नहीं करनी चाहिये । और जल्दी से जल्दी सब मरहलों (कठिनाइयों) को तय करना चाहिये । बाउंडरी कमीशन (सीमा आयोग) की कोई जरूरत नहीं है । हाई पावर कमेटी (उच्च अधिकार समिति) मौजूद है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री), होम मिनिस्टर (गृह मंत्री), एजूकेशन मिनिस्टर (शिक्षा मंत्री) हैं, जो ऐसे लीडर (नेता) हैं, जिनके पीछे सारे हिन्दुस्तान की जनता है । उनके अतिरिक्त उसमें यहां की मेजर पार्टी (मुख्य दल) कांग्रेस के प्रेज़िडेंट ढेबर भाई, भी हैं । उन से बढ़ कर कौन सा कमीशन होगा ? कौनसी इनफार्मेशन (सूचना) और कौन सा दृष्टिकोण उन के सामने नहीं आ सकता है ? वे ही इस बारे में फैसला करें और जल्दी फैसला करें, ताकि हमारी स्टेट्स बन कर तैयार हों और हम सैकंड फाइव ईयर प्लान (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) का काम पूरे जोर शोर से शुरू कर सकें ।

तीन श्रेणी की रियासतों को खत्म कर के एक ही प्रकार की रियासतें रखने की जो सिफारिश की गई है, उस का मैं स्वागत करता हूं । जहां तक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरीटरीज (केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों) का ताल्लुक है, अगर हम कमीशन की रिपोर्ट और गवर्नमेंट के बयानात को देखें, तो हमें मालूम होगा कि ऐसा नहीं किया जायेगा कि वहां पर आफिशियल्ज (सरकारी कर्मचारियों) के द्वारा हकूमत की जायेगी, बल्कि वहां के लोगों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (स्थानीय स्वायत्त शासन) के अधिकार दिये जायेंगे और दिये जाने चाहियें । मणिपुर वगैरह इलाकों में जरूर सेल्फ गवर्नमेंट दी जानी चाहिये और कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये कि वहां के लोग डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) का आनन्द ले सकें और उन में कोई फ्रस्ट्रेशन न हो ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सैकंड फाइव ईयर प्लान में हम ने बहुत से काम करने हैं । मैं ने प्राडक्शन मिनिस्टर की स्पीच पढ़ी है यह बड़ी खुशी की बात है कि फरटिलाइजर फैक्टरी (उर्वरक कारखाना) और दूसरी फैक्टरीज मस्तलिफ

[पंडित सी० एन० मालवीय]

जगहों पर खोली जायेंगी । लेकिन इस बारे में इटारसी का जरूर ख्याल रखा जाना चाहिये और उसे पीछे न छोड़ दें । वह एक बड़े प्रदेश--मध्य प्रदेश---का एक खास स्थान है, वह बम्बई के करीब है और चारों तरफ उसके कनेक्शन्ज (सम्पर्क) हैं, इसलिये उस की डेवेलपमेंट (विकास)---एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट (कृषि विकास)--- करने की बहुत जरूरत है ।

हाउस का ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं यह उम्मीद करता हूं कि सभी भाई मध्य प्रदेश का अच्छी तरह से समर्थन करेंगे और भोपाल को राजधानी बनने का सम्मान देंगे ।

पंडित एम० बी० भार्गव (अजमेर दक्षिण) : राज्य पुनर्गठन आयोग को उसकी सिफारिशों पर चारों ओर से बधाइयां दी जा रही हैं किन्तु मुझे खेद है कि मैं इन सिफारिशों से असहमत हूं । मैं चाहता हूं कि देश के हित और उसकी रक्षा के लिये यह काम अभी नहीं किया जाना चाहिये किन्तु जब राजा जी जैसे महान राजनीतिज्ञ की बात को कोई नहीं सुनता तो फिर मुझ गरीब को कौन पूछता है ।

मैं तो केवल यह सुझाव देना चाहता हूं कि सिफारिशों को लागू करने के लिये जब भी कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाय तो केन्द्र की सर्वोच्च शक्ति के उपबन्धों को यथावत रहने दिया जाय । संविधान के अनुच्छेद ३५२ से ३६० तक केन्द्र की सर्वोच्च शक्ति के उपबन्ध हैं। मैं चाहता हूं कि संसद् के हाथ में इन अनुच्छेदों में परिवर्तन करने का कोई अधिकार ही नहीं रहने देना चाहिये अन्यथा हमारे देश की एकता और उसकी रक्षा को किसी भी समय बहुत बड़ी हानि पहुंच सकती है । इसी प्रकार भाषाओं के अल्पसंख्यक क्षेत्रों की भी रक्षा करने की ज़रूरत है । मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस उद्देश्य के लिये निर्वाचन-आयोग की भांति कोई स्थायी आयोग नियुक्त किया जाय जो इस विषय पर बराबर ध्यान देता रहे ।

अब मैं अपने क्षेत्र अजमेर के प्रश्न को लेता हूं । मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि आयोग ने उसके बारे में उचित सिफारिश नहीं की है । । अजमेर का क्षेत्र २४०० वर्ग मील है और वहां की आबादी ७ लाख है । यद्यपि भूगोल, भाषा, इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से वह राजस्थान का एक अंग है तथापि अजमेर राजस्थान से सदैव पृथक् रहा है । सारे देश में उसका एक निजी महत्व है । पुष्कर में ब्रह्मा का स्थान बना हुआ है जहां प्रति वर्ष हजारों यात्री आते हैं । कार्तिक में वहां बहुत बड़ा मेला लगता है ।

अजमेर में ख्वाजा साहब की प्रसिद्ध दरगाह है जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तीर्थ है जहां भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और अन्य देशों से प्रति वर्ष हजारों यात्री आते हैं । इसी प्रकार जैनियों का भी अजमेर एक केन्द्र स्थान है । इस तरह अजमेर विभिन्न भारतीय संस्कृतियों का संगम है तथा किसी हद तक उसकी स्थिति बहुदेशीय है । समस्त राजस्थान में वही ईसाई धर्म का सब से बड़ा केन्द्र है । यही नहीं, भारतीय इतिहास की घटनाओं से उसके महत्व का ज्ञान होता है । बहुत प्राचीन समय से अन्तिम हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज के समय तक अजमेर की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण रही है क्योंकि आसपास के राज्यों का घटनाचक्र अजमेर पर ही निर्भर था । वहां पर राजस्थान के विभिन्न राजाओं द्वारा निर्मित बड़े बड़े भवन हैं, और वहीं से मुगल काल एवं ब्रिटिश काल में भी केन्द्र सरकार ने शासन कार्य चलाया है । वह स्वतन्त्रता आन्दोलन का भी केन्द्र रहा है, जहां से राजस्थान की रियासतों को स्वतन्त्रता संग्राम की प्रेरणा मिली ।

मार्च, १९४९ में, जब राजस्थान के समस्त राज्यों की स्थिति डांवाडोल थी, यह विचार किया गया था कि राजस्थान के समस्त राज्यों को एकीकृत कर दिया जाय जिसमें अजमेर भी सम्मिलित रहे । मैं ने स्वयं [illegible] गृह मंत्री से उसके लिये अनुरोध किया था ताकि भूतकाल में अजमेर की जो केन्द्रीय स्थिति रही है, वह बनी रहे । राजस्थान की

कांग्रेस समिति ने एक संकल्प पास किया था कि अजमेर को राजस्थान में मिलाया जाय तथा वह राजधानी भी बने । परन्तु भारत सरकार द्वारा वह मांग ठुकरा दी गई । मेरा विचार है कि चूंकि भारत सरकार ने जयपुर को राजधानी बनाने का वचन जयपुर महाराज को दिया था, इसीलिये जनता की इच्छा के विरुद्ध अजमेर को राजस्थान में सम्मिलित नहीं किया गया । पर इस महत्व-पूर्ण पहलू पर रा० पु० आयोग ने विचार क्यों नहीं किया ?

मैं कहूंगा कि आज भी अजमेर की जनता यदि अजमेर को राजस्थान की राज-धानी बना दिया जाय तो अजमेर के राजस्थान में विलय का स्वागत करेगी । अजमेर राजस्थान के बीच में स्थित है । अजमेर की कांग्रेस समिति तथा अन्य निकायों ने एक मत हो कर कह दिया है कि जब तक अजमेर को राजधानी न बनाया जाय वे राजस्थान में विलय होने के पक्ष में नहीं हैं । इसके कई कारण हैं ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने किन कारणों से अजमेर के राजस्थान में विलय की सिफा-रिश की है । पैरा २६५ में आयोग ने लिखा है कि समस्त 'ग' श्रेणी के राज्य आर्थिक दृष्टि से असन्तुलित, वित्तीय दृष्टि से कमजोर और राजनैतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अस्थायी हैं । हम इसकी परीक्षा करेंगे । राजस्थान के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? क्या उसकी आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति दृढ़ है ? मैं कहूंगा कि ऐसी नहीं है । गत वर्ष के बजट के आंकड़ों को देखने से स्पष्ट होगा कि राजस्थान आर्थिक दृष्टि से संतुलित और वित्तीय दृष्टि से दृढ़ नहीं है ।

जहां तक राजनीति और प्रशासन का सम्बन्ध है मेरे विचार से राजस्थान जैसा अस्थायी राज्य भारत में दूसरा नहीं है ।

मैं कुछ मिनट का समय और चाहूंगा ।

सभापति महोदय : दो मिनट और दिये जाते हैं ।

पंडित एम० बी० भार्गव : १९४९ से अब तक वहां विधान सभा दल का नेतृत्व पांच छः बार बदल चुका है । इसके विपरीत अजमेर में १९५२ से एक ही मंत्रिमण्डल चला आ रहा है ।

इस तरह राजस्थान आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, प्रशासनिक सभी दृष्टियों से कमजोर है । यदि 'ग' श्रेणी के राज्यों को इन्हीं आधारों पर समाप्त किया जा रहा है तो राजस्थान को भी समाप्त कर देना चाहिये ।

हमने आयोग के सदस्यों से कहा था कि उसको दो भागों में विभाजित कर देना देश के लिये हितकर होगा—उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग जिसकी राजधानी अजमेर हो । परन्तु वह बात मानी नहीं गई । फिर आयोग ने यह कहा है कि 'ग' राज्यों में विकास कार्य उपेक्षित रहे हैं । यह सर्वथा ग़लत है । जहां तक अजमेर का सम्बन्ध है सामुदायिक परियोजना प्रशासन के एक वरिष्ठ अधि-कारी ने हाल ही में वहां का निरीक्षण करके यह कहा है कि वहां का कार्य प्रायः सब से अच्छा रहा है । उन्होंने कहा कि राजनैतिक एवं प्रशासकीय दृष्टिकोण से जैसा भी हो परन्तु विकास कार्य के लिये तो छोटी इकाइयां बहुत उत्तम हैं । बेसिक शिक्षा संस्थाओं को तो उस अधिकारी ने भारत में सर्वोत्तम बताया है । हाल ही में राष्ट्र संघ के एक प्रतिनिधि ने भी अजमेर का भ्रमण किया था, और उन्होंने वहां की जेलों के सम्बन्ध में जो प्रमाण पत्र दिया है वह अजमेर के लिये ही नहीं समस्त भारत के लिये गौरव का विषय है। इसलिये जहां तक विकास कार्यों का सम्बन्ध है वे अत्यन्त सन्तोषजनक हैं और अजमेर राजस्थान की अपेक्षा कहीं आगे है ।

अन्त में, मैं कहूंगा कि अजमेर को उसके वांछित स्थान के न मिलने का उत्तर-

[पंडित एम० बी० भार्गव]

दायित्व केन्द्र का है । केन्द्र को चाहिये कि यदि अजमेर का राजस्थान में विलय किया जाय तो उसे उसकी राजधानी अवश्य बनाया जाय ।

मैं गृह-कार्य उपमंत्री की सूचना के लिये यह भी उल्लेख कर दूं कि अजमेर की जनता अथवा उसके प्रतिनिधि राजस्थान के मंत्रि-मण्डल से यह भीख मांगने नहीं जायेंगे कि अजमेर को राजधानी बनाया जाय अथवा वहां उच्च न्यायालय रखा जाये क्योंकि इसका नैतिक एवं विधिपूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्र पर है । अजमेर तो बहुत पहले ही विलय चाहता था, परन्तु केन्द्र के कारण वह नहीं हो सका । इसलिये अब केन्द्र को चाहिये कि अजमेर को उसका उचित स्थान दिलाये।

फिर कुछ शब्द मैं हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में भी कहूंगा । बहुमत के प्रतिवेदन द्वारा उसके पृथक् अस्तित्व का दावा इस आधार पर ठुकरा दिया गया है कि गृह मंत्रालय के तद्विषयक वचन का कोई विश्वस्त प्रमाण नहीं है । यह अन्याय है । मेरे एक पूर्ववक्ता मित्र ने गृह मंत्रालय की वह विज्ञप्ति पढ़ कर सुनाई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की एक पृथक् इकाई बनाने का वचन है । दूसरे, यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में लोकमत विलय के विरुद्ध नहीं है । विधान सभा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हिमाचल की जनता उसके पंजाब में विलय के विरुद्ध है । परन्तु बहुमत के प्रतिवेदन में इसका कोई विचार नहीं किया गया । आयोग के सभापति श्री फजल अली ने दो दृष्टांत दिये हैं जिन से यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि हिमाचल-प्रदेश की जनता विलय के विरुद्ध है । एक तो सरदार पटेल के समय का है, जब वहां की जनता ने स्पष्ट कर दिया था कि वह ऐसे विलय के विरुद्ध है । दूसरा १९५० का है जब पंजाब के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हिमाचल प्रदेश में बढ़ा देने का वहां की जनता ने विरोध किया था ।

जहां तक आर्थिक पहलू का सम्बन्ध है, हिमाचल प्रदेश के वन, औषधियों की बूटियां और खनिज स्रोत ऐसे हैं, जिनसे वह एक इकाई बन सकता है ।

फिर यह कहा गया कि उसकी स्थिति सामरिक महत्व की है इसलिये उसको पृथक् इकाई नहीं रखा जा सकता । परन्तु यह विचार नहीं किया गया कि रक्षा केन्द्र का विषय है न कि राज्य का ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश को भी पृथक् इकाई रखा जाय और उसके प्रजातान्त्रिक ढांचे को बना रहने दिया जाय, क्योंकि उसे केन्द्र शासित बनाना प्रतिक्रियावादी कदम होगा ।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : मैं अपने राज्य राजस्थान के सम्बन्ध में कुछ कहने के पूर्व कुछ सामान्य बातें आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कहूंगा ।

मैं 'क' और 'ख' श्रेणी के राज्यों के भेद की समाप्ति का स्वागत करता हूं, क्योंकि 'ख' श्रेणी के राज्यों की जनता का स्तर 'क' श्रेणी के राज्यों की जनता के समान ही हो जायेगा । राजप्रमुखों और 'ग' श्रेणी के राज्यों के अन्त का भी मैं स्वागत करता हूं ।

मैं अन्य प्रश्नों पर जाने के पूर्व राजस्थान राज्य के विरुद्ध कही गई तीन बातों का उत्तर देना चाहूंगा । श्री राधे लाल व्यास ने कहा कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दाग, गंगधार और पचपहाड़ स्थानों का मध्य भारत में विलय चाहते हैं । वे उन स्थानों का नाम भी सही सही नहीं जानते हैं क्योंकि उन्होंने उनका उच्चारण गलत किया था । इस प्रश्न पर आयोग ने भली भांति विचार किया है । पैरा ४७८ में उन्होंने इन स्थानों के मध्य भारत में विलय के विरुद्ध विस्तृत कारण दिये हैं । । परन्तु श्री राधे लाल व्यास ने

केवल इतना ही तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि ये स्थान मध्य भारत में घुसे हुये हैं इसलिय उन्हें राजस्थान से निकाल देना चाहिये । यह बड़ा थोथा तर्क है । इस आधार पर कोई भी भाग किसी राज्य से अलग नहीं किया गया है । झांसी और ललितपुर भी ऐसे ही स्थान हैं जिनके लिये दावा किया गया है, परन्तु आयोग ने उसे स्वीकार नहीं किया ।

अब मैं लोहारू के प्रश्न पर आता हूं । श्री बंसल ने राजस्थान के दावे के विरुद्ध केवल इतना ही कहा कि लोहारू की जनता राजस्थान में विलय होना नहीं चाहती । चूंकि उनके पास अन्य कोई तर्क नहीं था इसलिये उन्होंने कहा कि जनमत ले लिया जाय । मैं कहूंगा कि आयोग ने जनमत गणना को सर्वथा बचाना चाहा है । लोहारू के प्रश्न पर आयोग ने पैरा ५०६ में विचार किया है तथा यह कहा है कि उसको राजस्थान में मिला दिया जाये ।

जहां तक अजमेर का प्रश्न है, मेरे मित्र श्री एम० बी० भार्गव ने अभी अभी बहुत कुछ कहा है जिसको मैं ठीक तरह नहीं समझ सका । संभवतः उनका तात्पर्य यह था कि यदि अजमेर को राजधानी बनाया जाय तो उन्हें उसके राजस्थान में विलय के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होगी । जिस समय राजस्थान का निर्माण हुआ था उस समय वहां की जनता ने ही अजमेर के मिलाये जाने का विरोध किया था, केन्द्र ने नहीं ।

मेरे मित्र ने अजमेर के इतिहास के सम्बन्ध में कहा कि वह राजथान का भाग नहीं रहा है और सदैव निकटवर्ती राज्यों का अधिनायक रहा है । मैं कहूंगा कि यह सही नहीं है क्योंकि अजमेर पृथ्वीराज और राणा सांगा के साम्राज्य का भाग रहा है ।

जहां तक आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है अजमेर में पानी की कमी है । अब एक योजना अवश्य बनाई जा रही है जिससे एक लाख व्यक्तियों को पानी मिलेगा । इसके विपरीत जयपुर में जल के अतिरिक्त अन्य सुविधायें भी हैं जिनके कारण वह राजधानी के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है । श्री भार्गव ने विषय से हट कर राजस्थान की वित्तीय स्थिति की भी आलोचना की । मैं कहूंगा कि इस प्रश्न को यहां उठाना ही नहीं चाहिये था । फिर भी, राजस्थान की वित्तीय स्थिति में जो कमजोरी है वह सीमा शुल्क के कारण आ गई है । परन्तु वह बिक्री कर की वसूली से ठीक हो जायेगी, जो शीघ्र ही लागू किया जाने वाला है । राजस्थान की वित्तीय स्थिति अजमेर जैसी नहीं है, जो कि केन्द्रीय अनुदानों पर चल रहा है । आयोग ने प्रतिवेदन के पृष्ठ १३६ में कहा है कि अजमेर भौगोलिक दृष्टि से अब अलग नहीं रहा है और न अब राजस्थान के प्रहरी का कार्य ही कर रहा है । इसलिये अजमेर को राजस्थान से अलग रखने का कोई भी आधार नहीं रह जाता ।

अब मैं आबू के प्रश्न पर आता हूं । यह बड़े हर्ष का विषय है कि आबू को राजस्थान में मिलाने की जनता की मांग स्वीकार कर ली गई है । आबू का जलवायु बहुत उत्तम है और मैं वहां पर सबको आने के लिये आमंत्रित करता हूं । उसको भौगोलिक कारणों से राजस्थान को दे दिया गया है, वैसे है वह देश भर के लिये । भारत का सबसे अच्छा दिलवारा मन्दिर आबू में ही है । मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार और जनता उस स्थान की रक्षा करने का भरसक प्रयत्न करेगी ।

राजस्थान का एक भाग, जिसे सिरोंज कहते हैं मध्य प्रदेश में मिलाया जाने वाला है । सिरोंज का हित भी इसी में है और मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं ।

राजस्थान ने तीन चार राज्य क्षेत्र मांगे हैं । इनके नाम हैं मंदसौर, राजगढ़, गुना, महेन्द्रगढ़ परन्तु आयोग ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है । कहा जाता है कि महेन्द्रगढ़ भाषा की दृष्टि से राजस्थान से भिन्न है इसलिये राजस्थान में नहीं मिलाया जाना चाहिये । राजगढ़ और गना के लिये कहा

[श्री कासलीवाल]

जाता है कि वे मध्य भारत के साथ मिले हुए हैं इसलिये उन्हें मध्य भारत में ही रहना चाहिये । राजगढ़ और गुना को भी इसी आधार पर मध्य भारत में रहना चाहिये । परन्तु इसी आधार पर दाग और गंगधार राजस्थान में क्यों न रहने दिये जायें क्योंकि वे राजस्थान से मिले हुये है ।

आयोग ने मंदसौर की मांग भी ठुकरा दी है । मंदसौर तो सदा ही राजस्थान का भाग रहा है । १८०३ में इन्दौर के राजा ने जयपुर के राजा को परास्त किया । उस समय मंदसौर सेना का खर्च पूरा करने के लिये होल्कर के राजा को केवल इस शर्त पर दिया गया था कि सेना का खर्च जब पूरा हो जायेगा तब यह फिर राजस्थान को लौटा दिया जायेगा । मंदसौर की जनता की मांग है कि उन्हें राजस्थान के साथ मिला दिया जाये । फिर भी जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है मैं इस प्रतिवेदन का स्वागत करता हूं ।

श्री जयपाल सिंह (रांची–पश्चिम–रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के वाद-विवाद को आरम्भ करते हुये माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि संविधान में चौदह भाषाओं का उल्लेख किया गया है परन्तु और भी कुछ ऐसी भाषायें हैं जिनका उन में उल्लेख नहीं है और लगभग दो तीन करोड़ लोग ऐसे हैं जो इन चौदह भाषाओं में से एक भी भाषा नहीं बोलते । उनको भी निर्बाध रूप से विकास करने का अधिकार उतना ही है जितना कि उनको है जो यह चौदह भाषायें बोलते हैं । इसलिये जहां तक आदिम जाति की जनता के दृष्टिकोण का प्रश्न है भाषा सम्बन्धी तर्क सब से कम महत्व रखता है ।

इस प्रतिवेदन में जनगणना के आंकड़ों पर इतना जोर दिया गया है इसलिये मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि १९११ से लगातार जनगणना का दुरुपयोग किया जा रहा है और विभिन्न राजनैतिक दल प्रयत्न यह करते हैं कि जनगणना इस प्रकार कराई जाये जिससे उनकी अपनी राजनैतिक आवश्यकतायें पूरी हों । आदिम जाति जनता को ही लीजिये । जनगणना के अनुसार १९४२ में उनकी संख्या २४८ लाख थी परन्तु १९५१ में उन में से एक करोड़ पता नहीं कहां चले गये ।

झारखण्ड आन्दोलन की बात चलाने पर पहले लोग हंसते थे । यहां तक कि विरोधियों ने यहां तक कह डाला कि यह राष्ट्र विरोधी आन्दोलन है । वास्तव में झारखण्ड आन्दोलन राष्ट्र के हित में है और उसका उद्देश्य झारखण्ड का एकीकरण करना है । देश के स्वतन्त्र होते ही दक्षिण बिहार के पर्वतीय भू-भाग में यह आन्दोलन आरम्भ हुआ । बिहार के कांग्रेस नेताओं ने देखा कि अगर यह ग्यारह रियासतें फिर छोटा नागपुर डिवीज़न में मिला दी गईं तो झारखण्ड की मांग और भी शक्तिशाली हो जायेगी । वे सरदार वल्लभभाई पटेल से भेंट करने के लिये पुरी गये भी नहीं और मसूरी में बैठकर बटवारा किया गया ।

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सदस्यों ने यह तो बताया है कि सब से पहले इसका नाम दक्षिण पश्चिम सीमान्त अभिकरण था उसके बाद छोटा नागपुर राज्य अभिकरण हो गया, उसके बाद उड़ीसा राज्य अभिकरण हो गया और राज्य के विलीन होने के पूर्व से बदल कर पूर्वी राज्य अभिकरण कर दिया गया परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि यह सारे परिवर्तन किये क्यों गये । यह उन्होंने भी स्वीकार किया है कि प्रशासन सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण छोटा नागपुर भी इन ग्यारह रियासतों को छोटा नागपुर डिवीज़न के आयुक्त के अधीन रखना आवश्यक था । परन्तु जब देशी रियासतों

को विलीन किया गया तो बिहारी नताओं ने यह मांग नहीं की इनका एकीकरण छोटा नागपुर डिवीज़न में किया जाय ।

स्वतन्त्रता मिलने के बाद पहले दिन से ही गोलीकांड होने लग और निर्दयतापूर्ण अत्याचारों का तांता बंध गया । आज बिहार के नेता कहते हैं कि उनके हृदय म इस क्षत्र के लोगों के लिये अपार स्नह है और इनके कल्याण के लिये वे बहुत व्याकुल हैं परन्तु जब उड़ीसा के अधिकारी अत्याचार कर रहे थे तो वे कहां थे ।

पश्चिम बंगाल हो चाहे बिहार या मध्य प्रदेश किसी से हमारी कोई शत्रुता नहीं है । झारखण्ड क्षेत्र के कुछ भाग मध्य प्रदेश में रखे गये हैं और कुछ उड़ीसा में । हम चाहते यह हैं कि झारखण्ड क्षेत्र मिलाया चाहे जिस राज्य के साथ जाये या चाहे अलग राज्य बना दिया जाये परन्तु उसका एकीकरण कर दिया जाये । हमारा संघर्ष न उड़ीसा के विरुद्ध है न पश्चिम बंगाल के, न बिहार के और न किसी और के । हमारा उद्देश्य तो केवल इस क्षेत्र का एकीकरण करना है । छोटा नागपुर पठार का प्राचीन नाम झारखण्ड है । यहीं की पहाड़ी जनता की अपनी सरकार बनाने के आन्दोलन को इस प्रकार बदनाम करके बहुत बड़ा अन्याय किया गया है ।

केवल यह क्षेत्र ही नहीं वरन् समस्त भारत की आदिम जाति जनता को यह आभास कराना आवश्यक है कि उनकी एकता को भंग नहीं किया जायेगा । यदि उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको अलग बांट दिया गया तो यह भावना उन में कैसे उत्पन्न होगी । एकीकरण करने से उनकी संख्या अधिक हो जायेगी और उन के अपने क्षेत्र के प्रशासन में उनकी आवाज़ प्रभावशाली होगी ।

जहां तक झारखण्ड क्षेत्र का सम्बन्ध है आयोग के सदस्यों विशेषतया दो सदस्यों ने किसी बात का विचार नहीं किया है न इतिहास का न भूगोल का और न प्रशासन की आवश्यकताओं का ।

१६५२ के चुनाव के समय बिहार के दक्षिण में उत्तर बिहार के नेताओं के सम्बन्ध में बहुत असन्तोष था । झारखण्ड दल ही नहीं वरन् सभी उत्तर बिहार से अलग होना चाहते थे । सारा चुनाव इसी विषय पर लड़ा गया था और सब से अधिक सीटें झारखण्ड दल को मिली थीं । उस समय छोटा नागपुर और संथाल परगना जनता दल था, लोक सेवक संघ या और कितने ही स्वतन्त्र सदस्य थे । । हमें ८७ में से ५२ सीटें मिली थीं । फिर इस प्रतिवेदन में कहा जाता है कि बहुमत हमारे साथ नहीं था । १६५७ का चुनाव आ रहा है इसलिये मैं इसके सम्बन्ध में और अधिक नहीं कहना चाहता हूं । परन्तु समझ में यह नहीं आता कि हमारे उड़ीसा के मित्र पूरे झारखण्ड क्षेत्र की मांग क्यों नहीं करते हैं ? हम उनके साथ मिलने को तैयार हैं ।

१४ अक्तूबर को जब उड़ीसा के मुख्य मंत्री से मेरी भेंट हुई तो उन्होंने कहा था कि वे ओडोनल समिति के प्रतिवेदन से सहमत हैं । परन्तु मैं देखता हूं कि आज सभा में फिर उसी प्रकार के तर्क दिये जा रहे हैं जो बार बार अस्वीकार किये जा चुके हैं । सिंहभूम ज़िले के १२ एम० एल० ए० हैं । विशेष रूप से इसी विषय पर हमें ११ सीटें मिली हैं । फिर भी ठेकनाल और पश्चिम कटक के हमारे मित्र और कुछ अन्य सदस्यों का कहना है कि यहां की जनता दूसरे राज्य में जाना चाहती है । परन्तु यह गलत है । निर्वाचकों ने निर्विवाद रूप से अपना मत प्रकट किया है कि यहां कि एक इंच भूमि भी इधर उधर न की जाये । यह लोग झारखण्ड दल के टिकट पर निर्वाचित हुये थे परन्तु अब यह दूसरी ओर जा मिले हैं । यही बात मैं उनके बारे में कह सकता हूं ।

श्री हरेकृष्ण महताब की मैत्री के कारण जो उस समय केन्द्र में मंत्री थे, हमने उड़ीसा में कांग्रेस का समर्थन किया और कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई ।

हमारे पश्चिम बंगाल के मित्र हमारे काम से भली भांति परिचित हैं और जानते हैं कि मैं कभी उनके साथ शत्रुता नहीं कर सकता हूं। वे कह बहुत कुछ सकते हैं और उनके कहने में बहुत कुछ औचित्य भी होगा। दुर्भाग्यवश उत्तर बिहारियों और बंगालियों में बहुत झगड़ा है और इस झगड़े के कारण सारा वातावरण विषाक्त हो गया है। आयुक्तों ने किसनगंज की समस्या हल करने की कोशिश की परन्तु मानभूम के कुछ क्षेत्र को पश्चिम बंगाल में मिलाने की सिफ़ारिश करके एक और समस्या खड़ी कर दी। हमारे बिहार के मित्र जो पहले बोल चुके हैं जैसा उन्होंने कहा हम गलियारे की बात क्यों सोचते हैं। यह सारा देश हमारा है, इसमें हमें एक भाग को अपना और दूसरे को पराया नहीं समझना चाहिये।

पन्द्रह वर्ष पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ के ५३वें अधिवेशन में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था कि यह क्षेत्र शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। मैं अपने पश्चिम बंगाल के मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि यह पूरा क्षेत्र अपने राज्य में मिला लीजिये परन्तु इसके पिछड़ेपन से अनुचित लाभ न उठाइये।

जब आप राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की बात करते हैं तो आपको यह न भूलना चाहिये कि आप हमें इसका विश्वास भी दिलायें कि यह राष्ट्रीय हित है। केवल आपके कथन मात्र से ही कोई विषय राष्ट्रीय हित वाला नहीं हो जायेगा। हो सकता है कि आज संसद् झारखण्ड क्षेत्र की स्थिति को न समझ पावे परन्तु एक न एक दिन उसे के समझ में आवेगा ही। हम अधीर नहीं होते और हम संवैधानिक रीतियों से लड़ते रहेंगे और एक दिन देश के समर्थन से हम अपना उद्देश्य प्राप्त करेंगे।

अब मैं मध्य प्रदेश के प्रश्न पर आता हूं। कोरिबा, जसपुर, सरगूजा, उदयपुर और छंगभाकर की रियासतें मध्य प्रदेश में मिला दी गई हैं। जिस व्यक्ति को उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी है, वह यह भली भांति जानता है कि सारे व्यापार मार्ग और राष्ट्रीय सम्बन्ध रांची के जिले से सम्बद्ध हैं। फिर भी, इन क्षेत्रों को झारखण्ड की मांग को कमज़ोर बनाने के लिये मध्य प्रदेश के साथ मिला दिया गया है। इन क्षेत्रों का एकीकरण करना आवश्यक है। इस का कारण यह नहीं है कि यह क्षेत्र बढ़ाने का प्रश्न है, अपितु यह एकता तथा सुरक्षा का प्रश्न है, और कुछ राष्ट्रीय वर्गों के एकीकरण के प्रश्न पर विचार करना होगा और वह हल करना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप इन क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में क्यों मिलाते हैं ?

उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं महसूस करता हूं कि आयुक्तों ने अज्ञानतावश विद्यमान बिहार राज्य के साथ अन्याय किया है। आप जानते हैं कि दूधीक्षेत्र जिला मिरज़ापुर के दक्षिण में है, और संचार के सारे साधन आदि इस ओर हैं। यह स्पष्ट है कि उस क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिये आवश्यक है कि दूधीक्षेत्र को जिला पालामऊ, अर्थात् बिहार राज्य में मिला दिया जाय। श्री एन० सी० चटर्जी ने छिन्न भिन्न हुये लोगों और विस्थापित लोगों के बीच एक बहुत बड़ा भेद बताया था। आप जानते हैं कि छोटा नागपुर पठार (प्लेटो) के लगभग १० लाख व्यक्ति आसाम आदि में इधर उधर घूम रहे हैं। क्या वे विस्थापित लोग नहीं हैं, या क्या वे अपने अपने घरों को आना नहीं चाहते ? यदि उत्तर बिहार के कुछ नेता आपको परेशान करते हैं, तो क्या दंड हमें दिया जाना चाहिये। अतः विस्थापित लोगों के नाम पर यह कहना एक भावुकता है। मैं चाहता हूं कि समूची समस्या को इस दृष्टि से न देखा जाय कि वह सड़क और वह नदी और वह पहाड़ कहां होगा। आप चाहे दामोदर घाटी निगम की बात क या हीराकुड बांध आदि की, परन्तु हमें केवल इंजीनियरी के बड़े काम की बात नहीं करनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि हीराकुड परियोजना में मेरे लोगों के साथ क्या हुआ नें

समझता हूं कि इन क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र को छिन्न भिन्न करने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि कोई हमारी आपसी समस्या या कठिनाई है, तो एक दूसरे के प्रति बुरे शब्दों का प्रयोग करने से किसी को कोई लाभ नहीं होता। अपितु लोगों को निश्चय करने दीजिये कि वे क्या चाहते हैं अतः मैं बिहार के वक्तव्यों का पूर्ण समर्थन करता हूँ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़): पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर हम पिछले छः दिन से चर्चा कर रहे हैं। हम जिन्होंने उच्च स्वर से यह उद्घोषणा की थी कि हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकार है, कि कांग्रेस दल के विचार राष्ट्रवादी हैं, कि वे संकीर्ण नहीं हैं, आदि, अब अपने वास्तविक रूप में आ गये हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जिस समय हमें संविधान दिया गया था, तब सदैव के लिए यह निश्चित कर दिया गया था कि हमारा संविधान संसार के सारे संविधानों में एकीय प्रकार का एकमात्र संविधान होना चाहिए। मुझे वे शब्द याद आते हैं जो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अक्टूबर, १९४९ में, जब कि यह संविधान बनाया जा रहा था, कहे थे। उन्होंने कहा था "आज प्रधान मंत्री केवल एक महान् मुगल ही नहीं अपितु एक सिंह प्रतीत होते हैं और राज्य सरकारें मैमनों तथा बकरियों की भांति होंगी जो उनके सामने कांपेंगी।" हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि इस बात की बड़ी भारी शिकायत की जाती है कि केन्द्र ने बहुत अधिक अधिकार ले लिये हैं और राज्यों के अधिकार केवल नगरपालिकाओं जैसे रह गये हैं। परन्तु यदि यह अधिकार केन्द्र को न दिया जाता, तो हमें कितनी कठिनाई होती। हमारे सामने त्रावनकोर-कोचीन, आन्ध्र, पेप्सू और पंजाब के उदाहरण मौजूद हैं और यदि वह अधिकार केन्द्र को प्राप्त न होता, तो हम छिन्न भिन्न हो गये होते।

हमारे सचिव, श्री कौल ने जो छोटी पुस्तिका प्रकाशित की हैं, उसके पृष्ठ ५ में पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन संख्या १११ तथा ११२ का संक्षेप दिया है जिसमें कहा गया है कि हमें सर्वप्रथम देश की एकता के बारे में निश्चय करना चाहिए। उनका सिद्धान्त निरूपण तो ठीक था। परन्तु उन्होंने जो परिणाम निकाला वह युक्तियुक्त न था। मैं इसका एक स्पष्ट उदाहरण दे सकता हूँ। मुझे इससे शंका होती है कि उन्होंने बम्बई को दो भाषा वाला राज्य बनाया है परन्तु मध्य प्रदेश को दो भाषा वाला राज्य नहीं रखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश का एक भाग निकाल कर और फिर उसमें विन्ध्य प्रदेश तथा मध्य भारत मिलाकर मध्य प्रदेश क्यों बनाया है? इसमें मुझे कोई युक्ति दिखाई नहीं देती। हम जानते हैं कि मध्य भारत राज्य में मध्य प्रदेश राज्य से भिन्न कृषि-विधि थी। हम में से जो लोग उन राज्यों के हैं, जो बम्बई राज्य में मिलाये गये थे, जानते हैं कि बम्बई नगर की पुलिस ने हमारे साथ कैसा कुव्यवहार किया था। आबू बम्बई से पृथक क्यों किया जा रहा है? इसका कारण यह है कि वहां प्रत्येक व्यक्ति असन्तुष्ट था और इसी कारण आबू बम्बई से पृथक हो रहा है। महाराष्ट्र के लोग यह क्यों कहते हैं कि गुजरातियों से डरते हैं? दो भाषा वाले राज्य में गुजराती केवल २५ प्रतिशत और महाराष्ट्री लोग ४८ प्रतिशत होंगे। महाराष्ट्र के लोगों के प्रति गुजरातियों के सद्भाव हैं। उन्होंने भी मावलंकर को 'दादा', श्री कालेलकर को 'काका' और श्री फडके को 'मामा' जैसी प्यारी उपाधियां दी हैं। परन्तु फिर राज्य की छिन्न भिन्नता की मांग कौन करता है? यदि मध्य भारत के बिना विदर्भ बनाते हैं तो अवश्य बनाइये और आयोग के प्रतिवेदन को ज्यों का त्यों रहने दीजिये। परन्तु यदि यह नहीं होता है तो मैं यह कहने में किसी से पीछे न रहूँगा कि मध्य प्रदेश राज्य भी दो भाषा वाला राज्य होना चाहिए। आयोग के प्रतिवेदन में जिला मंदसौर के बारे में कहा गया है कि जनता ने इस जिले के राजस्थान में मिलाने के बारे में अपना विचार कभी प्रकट नहीं किया है। यह इच्छा प्रकट करने का अवसर

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

ही कब मिला था। हम मध्य भारत में थे और हमने कभी स्वप्न में भी यह विचार नहीं किया था कि हमारा जिला नये प्रकार के मध्य प्रदेश में चला जायेगा। हम उस राज्य में मिलना नहीं चाहते। यदि मध्य प्रदेश बनाना है, तो हम सब इस बात के लिये तैयार हैं कि एक जनमत संग्रह कर लिया जाय और मैं यह गारन्टी देने को तैयार हूँ कि हम में से ९९ प्रतिशत प्रस्थापित मध्य प्रदेश में नहीं मिलना चाहते। यह बात अवश्य स्वीकार की जानी चाहिए कि मध्य भारत सभा के कम से कम ५६ प्रतिशत सदस्य मध्य भारत में रहना चाहते हैं और मध्य भारत को एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं।

पंजाब में क्या हो रहा है; वहां की क्या मांग है? सरदार हुक्म सिंह ने सभा के समक्ष इतना अच्छा चित्र प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक व्यक्ति ख्याल करता है पंजाबी सूबे के लिये पंजाब का अधिकार है। पंजाबी सूबा सिख सूबा का पर्यायवाची है। यदि हम भारत के भाषावार सर्वेक्षण के पुराने मानचित्र को देखें तो हमें विदित होता है कि पंजाबी भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। यह पश्चिमी हिन्दी की एक शाखा लहंदा भाषा थी जो आजकल पंजाबी कही जाती है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसका नाम पांच नदियों (पंज-आब) के होने के कारण पड़ा है। यह अन्य राज्यों की भांति नहीं है। अपितु जो भी पांच-नदियों (पंज-आब) के मैदान में रहता है वही पंजाबी है। अन्य राज्यों में यह बात नहीं है कि जो भी वहां रहता है वह उसी राज्य का हो गया है अपितु उसका अपना पृथक् अस्तित्व है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

इस चर्चा के आरम्भ में माननीय गृह-कार्य मंत्री, पंत जी ने कहा था कि भाग ४ में भाषा सम्बन्धी परित्राण दिया गया है। ये परित्राण क्या हैं? क्या भारत एक नहीं है? भारत में द्वि-नागरिकता का यह सिद्धान्त अवश्य समाप्त होना चाहिये। हम आदि और अन्त दोनों स्थितियों में भारतीय हैं। अतः पंजाबी भाषा के साथ पंजाब राज्य नहीं बनाया जा सकता। यदि वे केवल प्रशासकीय प्रयोजनों के लिये जहां तहां कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, तो उन्हें करने दीजिये। मैं सभा का ध्यान आयोग के प्रतिवेदन के पैरा १६३ की ओर आकर्षित करता हूं। इसमें उन्होंने दो बातों का उल्लेख किया है अर्थात् भाषा की समानता को एक महत्वपूर्ण बात मानना, और यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न भाषाओं के वर्गों की संचार, शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी आवश्यकतायें पर्याप्त रूप में पूर्ण हों। फिर उन्होंने कहा है कि जहां सन्तोषजनक स्थिति है, उन्हें आवश्यक परित्राणों के साथ रहने दिया जाय। मैं निवेदन करता कि "परित्राण" शब्द को हटा दिया जाय। हमारे देश में किसी परित्राण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति समान है। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के लोग भी मेरे समान हैं। पंजाब के बारे में अकाली नेता मास्टर तारा सिंह ने आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने पर कहा था कि प्रतिवेदन सिखों के पूर्ण विनाश की डिग्री है। क्या मैं सभा से यह पूछ सकता हूं कि यह सिखों के विनाश की डिग्री क्यों है? क्या आन्ध्र में रहने वाला व्यक्ति सिख नहीं हो सकता? क्या यह आवश्यक है कि सिख बनने के लिये हम पंजाब में रहें? भाग्य की विडम्बना तो यह है कि सिखों ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसका नाम पंजाबी सूबा है। जिस भाषा के लिये वे लड़ रहे हैं उसमें वे बहस भी नहीं कर सकते। यह उर्दू में छपी हुई है। आपको सिकन्दर-बलदेव सिंह समझौते का स्मरण है। उस समय यह कहा गया था कि अरबी, संस्कृत और गुरुमुखी

भाषाओं को धर्मग्रन्थों की भाषायें माना जायेगा। हम यह मानते हैं। परन्तु, अब समय आ गया है कि कम से कम लिखने के लिये सारे देश में देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा को अपनाया जाय। चाहे भाषा भिन्न हो परन्तु वह देवनागरी अक्षरों में लिखी जानी चाहिये। देश की एकता और देश में एकरूपता लाने के लिये यह अति आवश्यक है। यदि और कुछ न हो तो कम से कम प्रतिवेदन के अनुसार देश में एकीय प्रकार की सरकार होनी चाहिये। मैं इसकी मांग करता हूं। यदि देश का विभाजन करना आवश्यक हो तो वह प्रशासकीय क्षेत्रों में विभक्त होना चाहिये, भाषा के आधार पर नहीं। यदि ऐसा नहीं होता है, तो मेरा निवेदन है कि प्रतिवेदन को ज्यों का त्यों इस अपवाद के साथ कि जिला मंदसौर के समावृत्त क्षेत्र को नये मध्य प्रदेश में न रखा जाये, स्वीकार कर लिया जाय।

श्री बलवन्त सिंह महता (उदयपुर) : राज्य पुनर्गठन आयोग ने राजस्थान के बारे में जो सिफारिशें की हैं, उसके लिये मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं—न केवल इसलिये कि उसने राजस्थान की जनता की भावना का आदर कर उसकी उचित आकांक्षा और इच्छा की पूर्ति करके राजस्थान को अक्षुण्ण रखा जाये, बल्कि इसलिये भी कि उसने अपने सामने सब से बड़ा सिद्धान्त यह रखा जिससे भारत की एकता और सुरक्षा कायम रह सके और उसने सिद्धान्त रूप से इस बात की भी सिफारिश की है कि ए, बी और सी स्टेट्स—क, ख और ग श्रेणी के राज्यों—का भेद-भाव खत्म कर दिया जाय। पहले किसी स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, किसी स्थान पर राजप्रमुख होता था और किसी स्थान पर कमिश्नर होता था। कमीशन ने कहा है कि यह भेद-भाव बिल्कुल मिटा दिया जाय। इसके लिये मैं ही नहीं, पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट्स के सब ही लोग जिनकी संख्या करोड़ों में है, उसको धन्यवाद देंगे कि आज उन सब को एक समान स्तर पर ला बिठाया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जो शक्ल आज है, पहले वह उससे भी बढ़ कर विशाल था। एक समय था जब कि राजस्थान की सीमा नर्वदा, जमना और सिन्ध तक फैली हुई थी और वह एक बहुत बड़े राज्य के रूप में वर्तमान था। राजस्थान ने तो हमेशा से ही भारत की एकता और एकरूपता की ओर ही ध्यान रखा है। आपको मालूम होना चाहिये कि भारतवर्ष में राजस्थान ही पहली रियासत है, जिसने अपने एक बहुत बड़े इलाके सिरोंज को दूसरे राज्य को स्वतः आफर कर दिया, जिसकी आबादी करीब-करीब एक लाख है और जो एक बहुत बड़ी मण्डी है, क्योंकि वह चारों ओर से दूसरे राज्य मध्य भारत से घिरा हुआ था और जिसकी उसके साथ एकरूपता भी नहीं थी।

यह है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान तो हमेशा से त्याग और बलिदान का देश रहा है। वह जब अपने प्राणों का मोह नहीं करता तो वह ऐसे टुकड़ों का क्या मोह करेगा जब कि भारत एक ही है। यदि कोई भाग इधर आता है या उधर जाता है तो उसके लिये एक दूषित वातावरण को देख कर मुझे बड़ा खेद होता है क्योंकि भारत जब एक ही है तो ऐसा विवाद क्यों ? अगर कुछ हिस्सा इधर या उधर मिला दिया जाता है तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।

राजस्थान ने जो अपनी मांगें रखीं हैं वे भी इसलिये नहीं कि वह अपने राज्य का विस्तार चाहता है। उसने तीन चार इलाकों के लिये अपनी मांगें रखी हैं। उसकी सब से पहली मांग अजमेर के लिये थी। इसके अतिरिक्त उसने आबू की मांग रखी थी,

[श्री बलवन्त सिंह महता]

पंजाब के महेन्द्रगढ़ की मांग रखी थी, मन्दसौर इलाके की मांग रखी थी और बनास कांटे की मांग रखी थी। इन मांगों के पीछे केवल ऐतिहासिक, सामाजिक या भौगोलिक पृष्ठभूमि ही नहीं थी लेकिन उनके पीछे जनता की बहुत बड़ी इच्छा भी थी। इसीलिये ये सब मांगें रखी गई थीं। अब मैं एक एक को आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा।

सब से पहले राजस्थान की मांग अजमेर के लिये है। अजमेर की जो उसने मांग की है वह बिल्कुल साफ़ है। रिपोर्ट में भी उसके लिये साफ साफ लिखा है। वह राजस्थान का अंग है और हमेशा से राजस्थान का अंग रहा है। जैसा कि अभी श्री मुकट बिहारी लाल जी ने कहा है कि अजमेर राजस्थान का अंग नहीं रहा वह सही नहीं है। राणा सांगा के वक्त में जब कि राजस्थान का एक साम्राज्य था, अजमेर राजस्थान का अंग था। उसके बाद मुग़लों के जमाने में भी वह राजस्थान का अंग रहा और उस पर मुगल अपना कब्जा जमाये रहे। उसके बाद अंग्रेजों के जमाने में भी अजमेर में सारी रियासतों का ए० जी० जी० अजमेर में रहता था। इस तरह से अजमेर तो राजस्थान का अभिन्न अंग है और वह उससे अलग नहीं हो सकता और ऐसा ही रिपोर्ट में भी स्वीकार किया है। अच्छा होता यदि उसको शुरू में ही बाकी राजस्थान के साथ मिला दिया जाता। ऐसा न होने से अजमेर घाटे में रहा है। अभी हमारे भाई श्री मुकट बिहारी लाल जी ने कहा कि अजमेर को राजस्थान की राजधानी बनाना चाहिये। केन्द्रीय होने से वह उपयुक्त है और उचित भी है और कांग्रेस कमेटी ने भी ऐसा प्रस्ताव रखा था लेकिन अब पानी मुल्तान गया, समय बहुत बीत चुका और बहुत देर हो चुकी है। अब सारी व्यवस्था बदल चुकी है। एक राजधानी बन चुकी है और मैं समझता हूं कि उसको बदलना मुश्किल होगा और इसलिये उसको बदलना भी नहीं चाहिये।

दूसरी मांग आबू के बारे में थी। आबू तो राजस्थान का अभिन्न अंग था। उसको किसी प्रकार बम्बई में मिला दिया गया लेकिन राजस्थान की जनता उसके लिये बराबर मांग करती रही है। और रिपोर्ट में भी लिखा है : "राजस्थान की आबू ताल्लुक में अधिक अभिरुचि प्रतीत होती है"। मैं समझता हूं कि वह राजस्थान के लिये बहुत बड़ा प्रेस्टिज का सवाल बन गया था। हमेशा से वह राजस्थान का अंग रहा है। किसी भी कारण से वह बम्बई में मिला दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी उसके लिये बराबर राजस्थान की जनता की जो राय रही यह सबको मालूम है। यह प्रश्न तो इससे पहले ही हल हो चुका होता क्योंकि सरकार ने इस प्रश्न को ओपिन कर दिया था। यह पहला प्रश्न है जिसको कि केन्द्रीय सरकार ने फिर से रिओपिन (पुनर्विचार) किया है और वह बहुत पहले तै हो जाता लेकिन बीच में यह कमीशन (आयोग) आ गया। अगर यह कमीशन न आता तो यह अब से पहले ही राजस्थान में मिला दिया जाता। अब कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में राजस्थान के पक्ष में अपना निर्णय दिया है और कहा है कि हमको यह सिफारिश करते हुये बड़ी खुशी होती है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की यह उचित मांग थी और वह पूरी की गई। हमको इस निर्णय से बहुत खुशी इसलिये भी हुई है कि हजारों वर्षों से राजस्थान का इतिहास आबू के साथ जुड़ा हुआ है और यह राजस्थान का ऐसा अंग है जिसको कि अलग नहीं किया जा सकता था। इसलिये उसके मिला दिये जाने से राजस्थान को बहुत खुशी होगी।

तीसरी जो मांग राजस्थान की थी वह मन्दसौर के इलाके की थी। जैसा कि

अभी दो तीन माननीय सदस्यों ने कहा है कि मन्दसौर राजस्थान का ही नहीं बल्कि मेवाड़ का अंग है। यही नहीं बल्कि उसकी जितनी भी तहसीलें हैं वे सब की सब मेवाड़ की रही हैं। वह मेवाड़ का परगना था और वहां के लोगों का रहन-सहन मेवाड़ से मिलता हुआ है। इस मांग के पीछे भी जनता की राय मुख्य थी। राजस्थान ने जो मांगें रखी हैं उन में खास बात जनता की राय की थी जैसा कि अभी त्रिवेदी जी ने कहा कि लाखों आदमियों के दस्तखत उनके पास इस मांग के समर्थन में मौजूद हैं। यह ठीक है और जनता की राय को जानकर ही राजस्थान ने यह मांग रखी थी। मैं समझता हूं कि जनता की राय की कद्र की जानी चाहिये और इस इलाके को राजस्थान के साथ मिलने का मौका दिया जाना चाहिये।

इनके अलावा भी बहुत से छोटे-छोटे एनक्लेव (समावृत्त बस्तियां) रह गये हैं जहां की जनता को काफी तकलीफ है। जैसे कि एक छोटा सा इलाका सुनैल का है। ऐसे बहुत से इलाके हैं कि जिनका स्टेशन मध्य भारत में है और सारा का सारा गांव राजस्थान में है। अनेक गांव ऐसे हैं जिनमें लोगों के घर राजस्थान में और उनका बछा-वडा मध्य भारत है। मेरी तो यह प्रार्थना है कि जो बाउंडरी कमीशन (सीमा आयोग) बने उसको यह काम सौंप दिया जाना चाहिये और सब से अच्छा तो यह हो कि दोनों सरकारों के नुमाइन्दे या पार्लियामेंट के सदस्य आपस में बैठ कर इस मामले को तै कर लें। इसमें खास कर जनता की इच्छा को मुख्य रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिये। जनता की सुविधा को देख कर ही एक हिस्से को इधर से उधर मिलाना चाहिये। यह विचार नहीं रखना चाहिये कि एक हिस्सा एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जायेगा बल्कि जनता की सुविधा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसे कई गांव रह गये हैं। उनके बारे में कुछ समझौता ही अच्छा होता है।

चौथी मांग जो हमने की थी वह बनास कांठे के कुछ गांवों के लिये की थी। वहां पर भी कुछ इसी प्रकार की समस्या है। वैसे तो और जगहें भी हैं जैसे कि पालनपुर है, ईडर है, जो कि राजस्थान के अंग रहे हैं, लेकिन हमने उनके लिये कोई खास मांग नहीं की है। लेकिन कुछ गांव वास्तव में ऐसे हैं कि जिनके लोगों ने अपनी तकलीफें जाहिर की हैं और बतलाया है कि दूसरे प्रदेश में रहने के कारण उनको बहुत सी प्रशासनिक तकलीफें होती हैं। इसलिये ऐसे गांवों को मिलाने के बारे में आपस की बैठकों में समझौता कर लिया जाना चाहिये।

इसी प्रकार की हमारी मांग महेन्द्रगढ़ और लोहारू के बारे में भी थी। महेन्द्रगढ़ के लिये मुझे यही अर्ज करना है कि उसके बारे में कमीशन ने बताया है कि उसके राजस्थान में मिलाने के लिये वहां की जनता बराबर मांग करती रही है और इसके लिये आन्दोलन भी होते रहे हैं कि हमको पड़ौसी रियासतों में मिलाया जाय। इसीलिये वहां की जनता की इच्छा को ध्यान में रख कर महेन्द्रगढ़ के लिये मांग की गई है।

इसी प्रकार लोहारू की भी बात है। उसके बारे में कासलीवाल जी ने आपको रिपोर्ट का उदाहरण पढ़ कर सुना ही दिया है। इसका बीकानेर के साथ सम्बन्ध रहा है और इस मांग के पीछे भी मुख्य कारण जनता की मांग ही है। वहां की जनता इसके लिये बराबर ख्वाहिश करती रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इलाके के और कुछ दूसरे इलाके के लोग पड़ौसी राज्यों में मिलने का बराबर आन्दोलन करते रहे हैं। जनता चाहती है और यह हिस्सा राजस्थान का है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में लोगों को राजस्थान में मिलने का मौका देना चाहिये। जिन इलाकों के बारे में कमीशन

[श्री बलवन्त सिंह महता]

ने सिफारिश की है उनको तो मिला ही देना चाहिये, और दूसरे इलाकों के सम्बन्ध में लोगों की राय जान कर ही उसके अनुसार कार्य करना चाहिये ।

अभी एक भाई ने कहा है कि लोहारू के कुछ भाई बाहर बैठे हुये हैं जो कि यह कहते हैं कि वहां की पंचायत ने यह बात पास कर दी है कि वे राजस्थान में ही मिलना चाहते हैं । यदि जनता की यह राय है तो उन्हें मौका दीजिये । वे चाहें तो राजस्थान में रहें या पंजाब में रहें । मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि यदि कमीशन ने इन १६ यूनिटों के बजाय अगर चार या पांच यूनिट बनाये होते तो राजस्थान सब से पहले बड़ी यूनिट में मिलने को तैयार हो जाता । चाहे हमको हमारे किसी भी पड़ौसी से मिलाया जाता, पंजाब से, गुजरात से या मध्य भारत से हम उसमें मिल जाते । अगर इन सब प्रदेशों को मिला दिया जाता तो भी राजस्थान इसके लिये सबसे पहले अपने आप को आफर करता । राजस्थान तो हमेशा से वीरता की भूमि रहा है । वह तो राणा प्रताप और मीरा की भूमि है । वह भक्ति और वीरता के लिये प्रसिद्ध रहा है । जो कुरबानी करने के लिये तैयार हो वही इस प्रदेश में रह सकता है और उसने छोटी मोटी चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया ।

आज भी वह बड़े आंचल में मिलने को तैयार हैं, परन्तु कमिशन ने इसको मुनासिब नहीं समझा कि अभी देश के इतने बड़े बड़े हिस्से किये जायें, इसलिये जनता की राय एक मुख्य चीज़ बनती है । तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि एस० आर० सी० कमिशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) ने जिन-जिन सूबों के लिये या जिन-जिन हिस्सों के लिये सिफारिश की है वह जल्द अज़ जल्द मिला दिये जायें लेकिन इसका भी ध्यान रखा जाय जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बाउंडरी कमिशन (सीमा आयोग) में एक यूनिट कम से कम एक जिले का रखा जाय । एस० आर० सी० कमिशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) ने भी ऐलान किया तो उसने कहीं पर इनक्लेव रखा है, कहीं पर टाउन रखा है और कहीं पर ज़िले की सिफारिश की है तो मैं चाहता हूं कि पूरे ज़िले तक को जाने का मौका मिलना चाहिये ताकि ऐसे ज़िले जो आना चाहें जैसा कि अभी मन्दसौर के लिये कहा गया, अगर सारा का सारा ज़िला आने को तैयार है, ५१ परसेंट जनमत ले लीजिय, ६० पर सेंट ले लीजिये या ७५ परसेंट रख लीजिये, जो भी कसौटी रखें, उस पर पूरा उतरने के बाद उन्हें मौका दिया जाय कि अगर वह आना चाहें तो आयें । बाउंडरी कमीशन को ऐसा करने का अख्तियार (अधिकार) होना चाहिये और उसको इस प्रकार की व्यवस्था देने की इज़ाजत होनी चाहिये ।

अब मैं केवल एक दो मिनट में चन्द एक बातें कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा । राजस्थान के सम्बन्ध में तो मैं अर्ज़ कर चुका हूं । अब मैं दो, एक बातें दूसरे राज्यों के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं । जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, उसके लिये कई तरह की बातें कहीं गई हैं । एक यह कि प्रदेश पार्ट सी राज्यों की श्रेणी में है और उसके लिये कमीशन ने दो रायें जाहिर की हैं और खास कर हमारे चेयरमैन साहब ने उसको एक अलग राज्य रखने की सिफारिश की है । मैं समझता हूं कि उनकी यह सिफारिश वाजिब है और बहुत ही उचित है क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है और मैं भी जिस क्षेत्र से आता हूं वह भी अधिकांश में पहाड़ी प्रदेश है और इस नाते मैं जानता हूं कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों के रहन-सहन और रीति-रिवाजों में और मैदानी इलाकों में रहने वालों के रहन-सहन और रीति-रिवाजों में बहुत

भिन्नता पाई जाती है । हिमाचल प्रदेश का बहुत सा हिस्सा मैं ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और वहां पर कायदे कानून, रेवेन्यू लाज और टेनेन्सी ऐक्ट (राजस्व विधि और काननकारी अधिनियम) वगैरह जो हमारे आस पास के पड़ौसी मैदानी प्रदेश हैं उन से बिल्कुल भिन्न हैं । आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब (आश्चर्य) होगा कि वहां पर एक पोलियंडरी की प्रथा प्रचलित है । क्या वे राज्य जो इसको अपन में मिलाना चाहते हैं इसको अपनानें के लिये तैयार होंगे ? यह ठीक है कि यह एक सामाजिक कुरीति है और इसको बन्द होना चाहिये लेकिन वह एकदम से कानून के ज़ोर से उठने वाली नहीं है, उसके वास्ते हमें वहां के लोगों में प्रचार करना है और उपयुक्त वातावरण बनाना होगा किन्तु जब तक वह बन्द नहीं होता उन्हें अपनाना ही होगा । तो कहने का मतलब यह है कि इसी तरह की और भी कई बातें हैं जो हमारे वहां पर नहीं पाई जातीं और उनके रहन सहन, आचार और विचार करने की जो एक शैली है वह मैदानी इलाके के लोगों से बिल्कुल भिन्न है । टर्म्स आफ रेफ्रेंस (निर्देश पद) में काश्मीर का कोई जिक्र नहीं था इसलिये मैं समझता हूं कि कमीशन ने इस पहाड़ी प्रदेश को काश्मीर में मिलाने की कोई सिफारिश नहीं की लेकिन अगर कभी यह मसला हल होने के लिये आवे तो मैं समझता हूं कि उनको मौका दिया जाय कि वह काश्मीर के साथ मिले । वहां के डिप्टी स्पीकर (उपाध्यक्ष) ने भी इस प्रकार का सुझाव बहस के दौरान में रखा है और वास्तव में अगर देखा जाय तो उनका ज्यादा-तर लगाव और सम्बन्ध पहाड़ी लोगों के साथ है और काश्मीर एक ऐसा स्थान है जिससे उनकी ज्यादा एफ़िनिटी (सम्बन्ध) है और अगर कभी ऐसा मौका पेश आये तो उनको काश्मीर के साथ रखा जाय । बस मुझे और अधिक नहीं कहना है ।

श्री जे० आर० मेहता (जोधपुर) : अब तक आयोग के प्रतिवेदन से प्रभावित राज्यों के वक्ताओं ने एक दूसरे पर पर्याप्त आक्षेप किये हैं तथा अब जिन राज्यों को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है उन राज्यों के सदस्यों का मत जानने का समय आया है ।

जब यह मामला सभा ने आयोग को सौंपा था उस समय मैं उन सदस्यों में से एक था जिनका यह विचार था कि अभी इस मामले को छेड़ना ठीक नहीं है । परन्तु अब जब आयोग का प्रतिवेदन हमें मिल चुका है तब मैं भी इसी विचार से सहमत हूं कि हमें इस समस्या का देशभक्ति तथा प्रगति-शील विचारों से सामना करना चाहिये ।

राजस्थानी होने के नाते, मैं अजमेर की जनता का स्वागत करता हूं तथा आश्वा-सन देता हूं कि हम एक बड़े परिवार के समान ही मिल कर रहेंगे । इसी प्रकार आबूरोड के सम्बन्ध में भी मेरी यही सम्मति है । हम अपने इन भाइयों का भी स्वागत करते हैं । मेरा निवेदन है कि हम राजस्थानियों को ग्रीष्म ऋतु में गर्म लूओं में रहना पड़ता है और इसीलिये हमें आबू की अपेक्षा है जिससे ग्रीष्म ऋतु में, हमारे मस्तिष्क को शीतलता मिल सके ।

मैं ने अपने मित्र श्री एम० बी० भार्गव को सुना परन्तु उनकी बातें मैं समझ नहीं सका । यह एक सत्यता है कि अजमेर अब एक अलग इकाई नहीं रह सकता और यह भी सत्य है कि उसको राजस्थान में ही विलीन होना है । इसलिय अब उपयुक्त अवसर है कि हमें भाई के समान मिल जुल कर रहने को तत्पर हो जाना चाहिये क्योंकि अब इतिहास के उद्धरण देना व्यर्थ है ।

राजस्थान ने आयोग के सम्मुख किसी क्षेत्र विशेष का दावा नहीं किया यद्यपि इतिहास बताता है कि हमारी क्षेत्रीय आकांक्षायें बहुत थीं । परन्तु उस समय की राजनैतिक दशा भिन्न थी जब कि अब हम स्वतन्त्र भारत के स्वतन्त्र नागरिक हैं। इसी लियेमैं यहसमझ नहीं सका कि सीमा सम्बन्धी

[० आर० मेहता]

प्रश्नों पर ये धमकियां किस लिये दी जाती हैं। हमें देशभक्ति के आधार पर विचार करना चाहिये तथा प्रशासन में कार्यपटुता लानी चाहिये जिससे भारतीय राष्ट्र की उन्नति हो सके। मेरा नम्र निवेदन है कि वर्तमान परिस्थिति में महापंजाब, महाकौशल, अथवा विशाल आन्ध्र अथवा विशाल महाराष्ट्र, आदि की बातें नितान्त अनावश्यक हैं। हमें अपने सभी भेदभावों को भुला कर, अपने समक्ष भावी भारत, जो एक सर्व-सम्पन्न देश होगा, का आदर्श रखना चाहिये तथा हमारा यही ध्येय होना चाहिये कि हम भविष्य में भारत को फलता-फूलता देखें।

इस सम्बन्ध में मैं उन व्यक्तियों से, जो भाषावार राज्य के पक्षपाती हैं, यह कहना चाहता हूं कि सभी राज्यों में भाषावार अल्पसंख्यक होते हैं। यदि हम वर्तमान अल्पसंख्यकों पर भी ध्यान नहीं देते तो फिर जो राज्य एक-भाषाभाषी थे निकट भविष्य में बहु-भाषाभाषी होने जा रहे हैं। इसीलिये भविष्य में आर्थिक परिवर्तन, तथा अन्य विकास होने पर प्रत्येक राज्य में सभी भाषा बोलने वाले लोग रहने लगेंगे।

इस आयोग में न्यायशास्त्री श्री फ़जल अली, उदार पंथी डा० कुंजरू तथा पत्रकारिता और राजनैतिक अनुभूतियों से पूर्ण सरदार पणिक्कर थ। परन्तु मेरे विचार से इसमें अनुभवी प्रशासक कोई नहीं था क्योंकि कोई भी प्रशासक इतने बड़े मध्य प्रदेश की सिफारिश कभी भी नहीं करता। मेरे विचार से आयोग के प्रतिवेदन में सब से खराब सिफारिश यही है। क्योंकि मैं इस विचार का समर्थक हूं कि बड़े-बड़े राज्यों से देश को ख़तरा हो सकता है। यह कहना कि बडे राज्यों से प्रशासनिक कार्यपटुता बढ़ेगी मेरे विचार से ग़लत है। किसी क्षेत्र के अत्यधिक बड़ा होने से कार्यपटुता रहेगी ही नहीं। इसलिये मैं सरदार पणिक्कर के इस सुझाव से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश का भी विभाजन किया जाना चाहिये। और इसी आधार पर मैं माननीय गृहमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करें कि बड़े-बड़े राज्य न बन पायें।

मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। देश में एक विचारधारा और पल्लवित हो रही है, वह है एक भाषाभाषी दलों का केवल अपनी ही भाषा के सम्बन्ध में सोचना। मुझे खेद है कि आयोग ने भी इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है। मैं सभा से अपील करता हूं कि हमें सर्वदा यह सोचने का प्रयत्न करना चाहिये कि दूसरों की तुलना में अच्छी या खराब स्थिति होने का अब कोई प्रश्न ही नहीं है। संविधान के द्वारा सब को समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए हमें एक दूसरे से डरना नहीं चाहिये कि हमको दूसरों की तुलना में हानि है।

श्री फ्रेंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : मैं उप-मंत्री को यह बता देना चाहता हूं कि आन्ध्र राज्य के बनने के समय मैं ने उसका विरोध किया था क्योंकि मेरा विचार है कि यदि हम इसी प्रकार नये राज्य बनाते रहे तो एक दिन देश छिन्न-भिन्न हो जायेगा।

प्रतिवेदन तथा सभा में, सिद्धान्तों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है परन्तु व्यवहार तथा नीति में इन सिद्धान्तों का सर्वदा उल्लंघन होता आया है। कर आयोग तथा जवाहर, बल्लभभाई, पट्टाभि समिति का मेरी राय में यही विचार था कि देश का पुनर्गठन अभी नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि कांग्रेस दल ने पूर्णतः भाषा के आधार पर राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में अपनी पहली घोषणा में शनैः शनैः कुछ परिवर्तन करके अच्छा ही किया है। समय के साथ-साथ विचारों में भी परिवर्तन आ ही जाता है। मुझे इसका बड़ा खेद है कि इस सम्पूर्ण समस्या पर राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता के आधार पर विचार किया गया है और मैं महसूस करता हूं कि मत प्राप्त करने की इस प्रतिद्वन्द्विता से देश को हानि होने की संभावना है।

आज हमारा देश आर्थिक तथा औद्योगिक विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है और इस समय पुनर्गठन से, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम १० से २० वर्ष पीछे चले जायेंगे। आयोग ने भी यह लिखा है कि कुछ गड़बड़ी अवश्य होगी। रेलवे को ले लीजिये। मैंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं तथा मुझे ज्ञात हुआ है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात् भी उनमें वह कार्यपटुता आने की संभावना नहीं है जो १९५० में थी। रेलवे के कर्मचारी यह नहीं जानते कि उनका भविष्य क्या होगा परन्तु राजनीतिज्ञ अपनी स्थिति को बनाये रखने के लिये, अपना समय बरबाद कर रहे हैं जब कि उन्हें इस अमूल्य समय को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाना चाहिये।

मैं मानता हूं कि कुछ सीमा तक वैज्ञानिकन की आवश्यकता है। हम सभी यह मानते हैं कि भाग (ग) राज्यों को तो समाप्त कर ही दिया जाना चाहिये। भाग (ग) राज्यों को उपयुक्त भाग (क) अथवा भाग (ख) राज्यों में मिला दिया जाना चाहिये और तत्पश्चात् २० वर्ष तक प्रतीक्षा की जानी चाहिये जिससे हमारी आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति स्थिर हो जाये और तब देश का पुनर्गठन किया जाना चाहिये।

इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में हम क्या कर रहे हैं? मेरा मत है कि जो कार्य भी किया जा रहा है उसके उद्देश्य राजनैतिक ही हैं। मैं यह भी जानता हूं कि जब सरकार पुनर्गठन के सम्बन्ध में इतना आगे बढ़ चुकी है तब उसका पीछे लौटना असंभव है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अब हम केवल इतना ही करें कि राजनैतिक बुराइयों को इसमें न आने दें।

मैं प्रतिवेदन के लेखकों की सराहना करता हूं क्योंकि उन्होंने इस गहन तथा गम्भीर समस्या को, राष्ट्र के हित, रक्षा, प्रशासन, शक्ति, भाषा आदि के आधार पर सुलझाया है। परन्तु फिर भी वह सबको सन्तुष्ट नहीं कर पाये हैं।

मैं जानता हूं कि जो सुझाव मैं देना चाहता हूं, हो सकता है कि उन पर देश की वर्तमान राजनैतिक दशा में विचार भी न किया जाये। परन्तु मेरा यह निवेदन कि यदि हम देश का पुनर्गठन करना चाहते हैं तो हमें दो सिद्धान्तों पर अवश्य ध्यान देना चाहिये। पहला राष्ट्रीय एकता तथा शक्ति तथा दूसरा नागरिकों का संरक्षण है। मेरा यह कहना है कि इन दो सिद्धान्तों के आधार पर परीक्षण करने पर, प्रतिवेदन एकदम असफल सिद्ध हुआ है।

मेरा निवेदन है कि देश की राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुये हमें बहु भाषा-भाषी राज्य स्थापित करने पर अधिक बल देना चाहिये। हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तो सह-अस्तित्व की भावना का बड़ा प्रचार करते हैं परन्तु अपने घर में ही उसका अनुसरण नहीं करते। यह कितनी विचित्र बात है?

एक ही धर्म को मानने वाले हिन्दू भी सहयोगपूर्वक नहीं रहना चाहते। मराठे गुजरातियों के साथ और गुजराती मराठों के साथ रहना पसन्द नहीं करते। व्यर्थ में भाषाओं के आधार पर आपस में झगड़ रहे हैं। भाषावार राज्यों की स्थापना के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर एक और भारी समस्या उत्पन्न हो जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि भाषावार राज्यों में रहने वाले अन्य भाषाभाषी अल्प-संख्यकों का क्या बनेगा? क्या आप उन के भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं?

एक भाषा भाषी राज्यों की स्थापना के लिये तर्क यह दिया गया है कि केवल एक भाषा भाषी राज्य ही सुचारु रूप से प्रशासन चला सकेंगे। यह तर्क कितना भ्रांत सा है।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की है कि यदि किसी जिले में वहां के ७० प्रतिशत लोग कोई अल्प संख्यक-भाषा बोलते हों

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

तो वहां का प्रशासन उसी भाषा में चलना चाहिये । तो इस का अर्थ स्पष्ट है कि आयोग भी बहु भाषा भाषी राज्य चाहता है ।

मेरा निवेदन यह है कि यदि हम बहु-भाषा भाषी राज्यों की स्थापना को स्वयंमेय स्वीकार कर लेते तो सभी भाषाओं में एक सन्तुलन रह सकता था । परन्तु आज एक भाषा-भाषी राज्यों की स्थापना के पागलपन ने देश में भाषा सम्बन्धी असन्तुलन तथा असहनशीलता उत्पन्न कर दी है । अब हिन्दी भाषा को कोई पूछेगा भी नहीं । सभी राज्य अपनी भाषाओं के विकास में लगे रहेंगे । सभी राज्यों में व्यक्तिगत भावनायें फैल जायेंगी, हिन्दी को कोई पूछेगा भी नहीं ।

हम स्कूलों में दो दो भाषायें पढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरी भाषा हिन्दी हो । परन्तु अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी की शिक्षा रोकी जा रही है । वे राज्य पांचवीं कक्षा से पहले हिन्दी पढ़ाने का घोर विरोध कर रहे हैं ।

यदि आप मराठों को एक पृथक राज्य देने का समर्थन करते हैं तो पंजाब में सिखों को एक पृथक् राज्य क्यों न दिया जाये ? हम मराठा राज्य और सिख राज्य में भेद क्यों कर रहे हैं ? सारा झगड़ा तो राज-नीतिज्ञों ने ही फैला रखा है, जनता तो इन सभी प्रकार के झगड़ों से कोसों दूर है ।

अब मैं परित्राण का प्रश्न लेता हूं । हमने अपने संविधान में यह घोषित किया है कि सभी नागरिकों को एक समान अधि-कार दिये जायेंगे और उनके अधिकारों की रक्षा की जायेगी । परन्तु इस प्रकार से भाषावार प्रान्तों की स्थापना के फल-स्वरूप एक नयी समस्या उत्पन्न हो जायेगी । उस प्रान्त में रहने वाले अन्य भाषा भाषी लोगों के हितों की रक्षा कौन करेगा ? आज भी राज्यों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । उदाहरणार्थ, रेलवे विभाग ही ले लीजिये । उत्तर प्रदेश वाले अधि-कारी उत्तर प्रदेश के लोगों को ही लेंगे और मद्रासी अधिकारी मद्रास के लोगों को ही अपने पास लगायेंगे । अतः इस भेद भाव को दूर करने का शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

मैं चाहता हूं कि सारे देश को असमान रूप से कहीं लम्बे और कहीं छोटे भागों में बांटने के स्थान पर कुछ एक बड़े बड़े भागों में विभाजित किया जाये ताकि सभी राज्यों में समानता और संतुलन रह सके । अन्यथा यह छोटे छोटे राज्य बाद में जाकर देश के लिये समस्या बन जायेंगे । ज्योंही केन्द्रीय शासन ढीला होगा, वे केन्द्र से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर देंगे ।

अतः मैं अनुभव करता हूं कि बम्बई को एक संयुक्त राज्य बनाया जाये । अन्यथा पृथक्करण की भावना बड़ी ही हानिप्रद सिद्ध होगी । संयुक्त बम्बई राज्य में सह-अस्तित्व और सहयोग की भावना से युक्त प्रशासन बड़े सुन्दर प्रकार से चल सकता है ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने अल्प-संख्यकों के परित्राण की सिफारिश की है । परन्तु केवल सिफारिश कर देने से ही कुछ नहीं बन जाता । यदि हम अल्प-संख्यकों की रक्षा करना चाहते हैं तो यह बात स्पष्ट-तया संविधान में लिखी जाये और इसे वाद योग्य बनाया जाये ताकि अल्प-संख्यकों में विश्वास की भावना उत्पन्न हो सके ।

अल्प-संख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने वाली व्यवस्था पर अच्छी प्रकार से विचार करना पड़ेगा । आपने अल्पसंख्यकों की रक्षा का कार्य जो राज्यपाल को सौंपा है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता । मुझे

इसका कटु अनुभव है कि इससे कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं चलता है। मैं अनुभव करता हूं कि इसके लिये कोई आयोग नियुक्त किया जाये जो कि अल्प संख्यकों के हितों का पूरा ध्यान रखे ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने प्रादेशिक भाषाओं के सम्बन्ध में जो मापदण्ड दिया है मैं उससे सहमत नहीं हूं। किसी भी भाषा की गंभीरता तथा समृद्धि को भी ध्यान में रखना चाहिये। इस दृष्टि से अंग्रेजी भाषा को भी एक माननीय स्थान दिया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि संविधान की सूची ८ में दी गई भाषाओं में अंग्रेजी को भी सम्मिलित किया जाये । इससे सभी विवाद दूर हो जायेंगे ।

श्री हेमब्रोम (संथाल परगना व हजारीबाग रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : सभापति महोदय, आपने जो आदिम जातियों के एक प्रतिनिधि को इस राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। हमारे देश में आज आदिवासियों की जो गिरी हुई हालत है उससे मैं समझता हूं सब लोग परिचित होंगे। आज भारत को स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात आपके शासन काल में हम आदिम जातियों के लोग जो देश में इधर उधर बसते हैं, यह आशा और विश्वास रखते हैं कि हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सब प्रकार की अवस्थाओं में सुधार होगा और हम लोग जो सदियों से दबाये, कुचले और उपेक्षित पड़े हैं, उनको ऊपर उठने का सुअवसर आपके समय में मिलेगा। विदेशी शासन के दौरान में तो हम लोग पैरों के नीचे कुचले पड़े थे और आपके सामने उनका आना भी मुश्किल था। अभी जैसा कि हमारे भाई श्री जयपाल सिंह ने आपको बताया कि हमारे बिहार के आदिम जाति या आदिवासी लोगों ने जंगलों को साफ करके उसको खेती करने लायक जमीन में तबदील किया और वहां की सरकार ने एक ऐसा क़ानून बना दिया है कि हमारी ज़मीन कोई दूसरा आदमी छीन नहीं सकता। साथ ही आपने एक और नियम बनाकर हमारी रक्षा के लिये सीमा निर्धारित कर दी और पश्चिमी बंगाल से हमसे कुछ हिस्सा खास करके हमारे आदिवासी ऐरिया (क्षेत्र) की मांग कर रहा है तो उसके लिये मेरा कहना है कि बाउंडरी कमीशन (सीमा आयोग) ने पब्लिक (जनता) में जांच की और गवाहियां लीं और हम लोगों ने उसको बतलाया कि हम अपने प्रदेश को बिहार प्रान्त का अंग समझते हैं और उस प्रदेश को हमने खुद अपने बाहुबल से जंगल साफ़ करके खेती बाड़ी करने लायक बनाया और उसमें अपनी मंशा मुआफ़िक खेती करते हैं और वहां पर यदि हम दस, पांच वर्ष के लिये कहीं बाहर भी चले जांय तब भी हमारे खेत और हमारी जमीनें हमसे नही छीनी जाती है, ऐसी हालत में हमें वहीं बिहार में बने रहने में बड़ा सुभीता है और पश्चिमी बंगाल के लोगों से हम आदिवासियों की भाषा, रीति रिवाज और रहन सहन बिलकुल अलग हैं।

हम उन बड़े भाइयों के बीच में जा कर कैसे फायदा उठा सकते हैं ? आप के शासन में, कांग्रेस गवर्नमेंट की ओर से यह नियम बना दिया गया है कि कहीं पर कोई भी भाषा भाषी हो जब तक उस की आबादी का ७५ फी सदी भाग वहां से जाना न चाहे तब तक उस को वहां से नहीं हटाया जायेगा। अभी हाल ही में हमारे बीच में कमिशन ने जाकर जांच की और १२, १४ लाख आदिवासी वहां जमा हो कर गये। उन्होंने कहा कि बिहार हमारा घर है हम वहां से बाहर जाने के लिये तैयार नहीं हैं। हां, अगर आप हम को वहां से मार पीट कर बाहर निकालें तो दूसरी बात है । लेकिन हम आपके सामने यही मांग पेश करते हैं कि बिहार एरिया से, जहां कि हम ने युगों से झाड़ और जंगलों के बीच अपना घर बना रक्खा है, जिस को आपने शेडयुल्ड एरिया (अनुसूचित क्षेत्र) बना

[श्री हेमब्रोम]

दिया है, वहां से हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं। आज आप के शासन में हमें अपने एरियां को छोड़ने के लिये मजबूर किया जा रहा है, इस के लिये हमें बड़ा दुःख है। हम बिहार में अपने मन माने काम करते हैं, अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी शादी ब्याहों में खर्चा करते हैं और अपने मन के मुताबिक नशा शराब आदि रख कर खर्च करते हैं। जो इतने दिनों से हमारे यहां के रीति रिवाज चले आ रहे हैं, हम को जो यहां पर सुविधायें मिली हुई हैं, हम उन का उपभोग बंगाल प्रान्त में नहीं कर सकते क्योंकि उन के यहां के नियम दूसरे हैं। हमारे मानभूम के लोग दिन रात रोते रहते हैं लेकिन वह छोटे लोग हैं उन का रोना आप तक कैसे पहुंच सकता है? मैं उन लोगों की बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वह लोग किसी भी हालत में बंगाल में नहीं जाना चाहते हैं। आप इस पर ध्यान दें। कमिशन (आयोग) के हमारे सामने जाने के समाचार से हम को बहुत विश्वास बंधा था, लेकिन कमिशन (आयोग) के सदर की तबियत खराब होने के कारण वह हमारे बीच में नहीं पहुंच सके, लेकिन मेम्बर लोगों के पहुंचने पर उन से हम ने निवेदन किया कि हम बिहार एरिया से बाहर नहीं जायेंगे। हम बिहार की एक इंच जमीन भी छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। लेकिन जब तक हम गरीबों की बात आप के कानों तक नहीं पहुंचती तब तक हम को कहां तक सुविधा मिल सकती है? मैं कहना चाहता हूं कि इस कारण से कमिशन को हमारी एरिया में खास तौर से जाना चाहिये और पता लगाना चाहिये कि वहां के लोग क्या चाहते हैं? अगर आप वहां जाने के लिये तैयार हैं तो हम कभी भी आप का विरोध नहीं करेंगे, हम तो आपके सामने जो हमारे हृदय में तकलीफ है उसी को रक्खेंगे। हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में इतनी तकलीफ में रहे हैं, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती थी, अब आप ने दो चार सालों के लिये सुविधा दी है, लेकिन हमारे सूबे को तोड़ने की कोशिश करके उस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब तक यह संसद इस चीज को अपने खयाल में रख कर हमारे भय को दूर नहीं करती तब तक दूसरे प्रान्तों के लोग हम को वहां से हटाने की कोशिश करेंगे। इसीलिये हम आदिवासी अपने मन में बहुत घबरा रहे हैं। पहले हमने यह आशा की थी कि आप के शासन के अन्दर जो हमारी सीमा है उस सीमा को हमें नहीं छोड़ना चाहिये क्योंकि हम लोगों को अपनी वर्तमान सीमाओं में जो सुविधायें मिली हुई हैं वह दूसरे स्थानों में नहीं मिल सकती हैं। हम लोगों को अपनी अपनी एरिया में आपने रुपया देना आरम्भ किया है जिस के कारण इस बीच में हम में बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन आप फिर अपनी नीति को बदलना चाहते हैं, इस से हमारे मन में बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं समझता हूं कि आप इस चीज को अपने ध्यान में रक्खेंगे। आज उड़ीसा की सरकार हमारे सिंहभूम जिले को अपने में लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार में जितने आदिवासी हैं उतने उड़ीसा में नहीं हैं इसलिये हम वहां क्यों जायें? मैं बतलाना चाहता हूं कि खास तौर से उड़ीसा के तीन जिले बिहार में मिलना चाहते हैं, उन को हमारे साथ आना चाहिये। और मैं आशा करता हूं कि हम लोगों के बार बार निवेदन करने के कारण आप इस पर ध्यान देंगे। उड़ीसा के लोग इसलिये बिहार में आना चाहते हैं कि बिहार में आदिवासियों की संख्या २५ लाख से कम नही है। इसलिये उड़ीसा के आदिवासियों ने बिहार में आने की इच्छा प्रकट की है। उन लोगों का यह निवेदन है कि उन को, बिहार में जो सुविधायें आदिवासियों को मिली हुई हैं, वही मिलें। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर भी ध्यान देंगे।

जितनी हमारे मध्य प्रदेश की आदिम जातियां हैं वह भी बहुत घबरा गई हैं, उनको भी आप उन की वर्तमान एरिया से इधर उधर करना चाहते हैं। इसी तरह सारे हिन्दुस्तान की आदिम जातियां घबरा उठी हैं, आसाम के लोग भी बहुत परेशानी में पड़ गये हैं। आप को उन का भी ख्याल करना चाहिये। इतने दिनों तक आपने हमें ऊपर उठाने की कोशिश की और इतनी सुविधायें दीं, लेकिन अगर आप अपनी नीति इस समय बदलते हैं तो हम लोग मुसीबत में पड़ जायेंगे। हमारे कुछ स्थानों को बंगाल को देने की भी बात चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल और बिहार की सुख सुविधाओं में बहुत अन्तर है। उन को हम जैसी सुविधायें नहीं हैं। हम लोग अपनी ब्याह शादी में तरह तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं, शराब आदि हम अपने पास ही रख सकते हैं। लेकिन अगर हम बंगाल में चले गये तो कैसे हम इन चीजों को दुकान से खरीद कर ला सकते हैं ?

मैं बंगाल के वीरभूमि इलाके में बुलाया गया। वहां के लोगों ने मुझ से कहा कि उन के चाहते हुये भी उन को बिहार में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिला। अगर आप पता लगायें तो आप के सामने भी वह लोग यही कहेंगे। मैं भी इस ओर आप का ध्यान दिलाता हूं। जब कभी उन को किसी चीज की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे यहां से चोरी वगैरह से ले जा कर शराब पीते हैं, वह लोग भी व्याह शादी में अपने मनमाने काम करना चाहते हैं क्योंकि बहुत प्राचीन काल से उन के यहां वही रीति रिवाज चले आ रहे हैं। उनका उन आदतों को जल्दी छोड़ना मुश्किल है। यदि कोई आदमी जो सिगरेट पीता हो, उस को छोड़ना चाहे तो वह तुरन्त कैसे छोड़ सकता है ? इसी तरह से उन की बात है। ऐसी हालत में मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप हमारे बिहार के टुकड़ों को इधर उधर के प्रांतों से मिलाने की कोशिश न करें, बल्कि बंगाल और बिहार के जो आदमी हमारे यहां आना चाहते हैं उन को हम में मिला दिया जाय।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जिन आदिवासियों के पास जमीन है अगर वह अपनी जमीन को छोड़ना चाहें तो उस को कोई खरीदता नहीं है, वह उस को फिर पा सकता है। बंगाल और उड़ीसा में ऐसी सुविधा नहीं है। इसलिये वहां के आदमी तड़प तड़प कर बिहार के लिये रोते हैं, लेकिन उन की सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोगों के पास जमीन छोटी या बड़ी कुछ भी हो, लेकिन बंगाल के आदिवासी अब भी मजदूरी कर के ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हमारे पास कोई पूंजी नहीं है, हम लोग मिट्टी खोद कर अपना जीवन निर्वाह करते, हैं, हमारे पास भले ही करोड़ों रुपये हों लेकिन हम उन का विश्वास नहीं करते हैं। हम लोगों को सिर्फ अपनी जमीनों पर ही विश्वास है, और उसी को सुविधा बंगाल के आदिवासी चाहते हैं।

इतना कह कर मैं यही कहता हूं कि कमिशन वहां जा कर जांच करे और हम लोगों को सुविधाय दी जायें, आदिवासियों को इधर उधर न किया जाय।

***श्री बी० महाता** (मानभूम दक्षिण व धालभूम): मैं राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा आसाम की सीमाओं के सम्बन्ध में दिये गये प्रश्न पर विचार प्रकट करना चाहता हूं। सीमा सम्बन्धी प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सम्बन्ध सीमाओं पर रहने वाले लाखों व्यक्तियों के जीवन से है।

---

* मूल बंगाली में।

[श्री बी० महाता]

ब्रिटिश शासन में जनहित की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था । परन्तु आज इस स्वतन्त्र भारत में हमें जनता की सुविधाओं तथा प्रगति और प्रशासनीय सुविधाओं की ओर पूरा ध्यान देना है । यदि आप शुद्ध रूप से भाषाओं के आधार पर ही पुनर्गठन करना चाहते हैं तो फिर इन क्षेत्रों में उसी सिद्धान्त के आधार पर पुनर्गठन करने में संकोच क्यों है ?

भाषावार प्रान्तों की मांग एक सच्ची और स्वाभाविक मांग है । कुछ एक व्यक्ति व्यर्थ में ही इसका विरोध कर रहे हैं । मैं यह चाहता हूं कि बिहार के बंगला भाषी क्षेत्र बंगाल में मिला दिये जायें । राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसका उल्लेख ही नहीं किया है । मैं पूछता हूं कि यदि बिहार के बंगला भाषी क्षेत्रों को बंगाल में मिला देना वहां की जनता के लिये हितकर है तो आप ऐसा करने में संकोच किस बात का कर रहे हैं ?

वर्तमान अवस्था में बिहार का क्षेत्रफल ७०,००० वर्ग मील है और जन संख्या ४ करोड़ है। हम केवल ११।। हज़ार वर्ग मील के क्षेत्र की मांग कर रहे हैं । यदि यह क्षेत्र बंगाल में मिला दिया जाये तो भी बिहार की अवस्था में कोई विशेष अन्तर न पड़ेगा और इससे बंगाल की स्थिति बहुत सुधर जायेगी । इससे बिहार की भी आर्थिक दशा में बड़ा सुधार होगा ।

आयोग का यह कथन है कि ये क्षेत्र द्वि-भाषी क्षेत्र है । परन्तु वास्तव में एक भाषा भाषी क्षेत्र है —केवल बंगला भाषी क्षेत्र है । आयोग का यह कथन है उन क्षेत्रों में हिन्दी भाषा की प्रधानता है । परन्तु वास्तव में यह बात ग़लत है ।

आयोग ने १९५१ की जनगणना के आधार पर काम किया है, यद्यपि वह जानता था कि यह विचाराधीन क्षेत्रों के मामलों में बिल्कुल विश्वासनीय नहीं है । १९३१ की और उस से पहले की जनगणनाओं से जीवन के अन्य सब पहलुओं से यह प्रकट है कि हिन्दी की प्रधानता बिल्कुल निराधार है । इन क्षेत्रों में केवल बंगला को ही प्रधानता है । यह कहना कि इन क्षेत्रों में हिन्दी भाषी लोगों पर बंगला थोपी गई है मिथ्या प्रचार है और इस का कोई प्रमाण नहीं । सत्य यह है कि बंगला भाषी लोगों पर हिन्दी थोपी गई है । इन क्षेत्रों में कुछ आदिवासी वर्ग केवल बंगला बोलते हैं और कुछ वर्गों, मुख्यतया सन्थालों, की अपनी बोली है किन्तु बंगला उन की दूसरी मातृ भाषा है ।

बिहार सरकार के समर्थकों का यह कहना गलत है कि आदिवासी, हरिजन कुर्मी आदि बिहारी जातियां हैं । इन सब के सामाजिक सम्बन्ध केवल बंगाल से हैं और इन की संस्कृति बंगाली नमूने की है । कुर्मी जाति की, जिस की संख्या ४ लाख है, भाषा बंगला है ।

आयोग ने कहा है कि पुरूलिया और चास थाना धनवाद से अलग है, क्योंकि इनके बीच में दामीदर नदी है । किन्तु उस ने यह भी कहा है कि चास और धनबाद संस्पर्शी है । यदि चास और धनवाद संस्पर्शी हैं, तो धनवाद और पुरूलिया क्यों संस्पर्शी नहीं हैं ?

आयोग ने मानभूम जिले की एकता को भंग किया है, वहां यद्यपि भाषा का झगड़ा नहीं था । उसने कहा है कि धनबाद और पुरूलिया को सदा पृथक रूप से प्रशासित किया जाता रहा है । यह गलत है । स्वयं बिहार सरकार ने इस का प्रतिवाद किया है । तो इस ज़िले को क्यों विभाजित किया जाये । आयोग ने धालभूम और सिंहभूम को गलत तौर पर मिला दिया है और गलत आधारों और आंकड़ों पर निर्णय किये हैं । सन्थाल

परगना और आदिवासियों के प्रश्नों पर, विचार नहीं किया गया । पूर्निया के मामले में आयोग ने बहुत गलतियां की हैं और बिना सोचे समझे निर्णय किये हैं । इन सब मामलों में निर्णय १९५१ की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, जो कि गलत है ।

बिहार सरकार का कहना है कि लोग बंगाल नहीं जाना चाहते । उस ने जनमत संग्रह का प्रश्न उठाया है । हम जानते हैं कि यदि जनमत संग्रह किसी निष्पक्ष अभिकरण द्वारा करवाया जाये, तो लोग निश्चय ही बंगाल के पक्ष में अपना निर्णय देंगे, क्योंकि वे इस शत्रुतापूर्ण सरकार से और विषैले वातावरण से तंग आ चुके हैं ।

गत ६ वर्षों में बिहार की भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यक वर्ग पर जो अत्याचार हुये हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता । किन्तु इस बात के अनेक उदाहरण हैं । संविधान के द्वारा दिये गये परित्राणों आदि से उसे कोई लाभ नहीं हो सका । अतः यदि भाषावार प्रान्तों का सिद्धान्त हमारे पक्ष में है, तो इस शत्रुतापूर्ण प्रशासन से क्यों न छुटकारा पाया जाये ?

हम गोलपाड़ा को बंगाल में मिलाने का और त्रिपुरा और कचार के लोगों की उचित मांगों का समर्थन करते हैं । हमारी मांग है कि सारा मानभूम, धालभूम उप-मंडल पाकुर उप-मंडल, राज महल उप-मंडल, डुमका और देवगढ़ उप-मंडल के बंगला भाषी क्षेत्र बिहार से लेकर बंगाल में मिलाये जायें और पूर्निया बंगला भाषी क्षेत्र भी बंगाल के साथ मिलाया जाये । त्रिपुरा और कचार के मामले में हम चाहते हैं कि भाषा के आधार पर संयुक्त परिवर्तन किये जायें ।

***श्री चेतन माझी** (मानभूम दक्षिण व धालभूम-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : मुझे बिहार के बंगला भाषी क्षेत्रों की स्थिति का पूरा ज्ञान है । मैं भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन करता हूं । यदि यह उचित प्रकार से किया जाये, तो लोगों की प्रगति की राह में बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

राज्यों के पुनर्गठन के मामले में आदिवासियों की भाषा सम्बन्धी स्थिति पर विचार नहीं किया गया, हम ने बिहार के बंगला-भाषी क्षेत्रों की मांग की है । इन क्षेत्रों में बहुत से आदिवासी वर्गों की अपनी बोली नहीं है । वे बंगला ही बोलते हैं । हम सन्थालों की अपनी बोली है, किन्तु बंगला हमारी दूसरी मातृभाषा है ।

बिहार सरकार का कहना है कि आदिवासियों के सामाजिक सम्बन्ध बिहार के साथ हैं । यह बिलकुल गलत है । हमारे सामाजिक सम्बन्ध कई युगों से बंगाल के साथ हैं । बिहार सरकार का यह कहना भी मिथ्या प्रचार है कि आदिवासी बंगाल नहीं जाना चाहते हैं । वे बिहार सरकार के कु-प्रशासन से और उस के अत्याचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं और यह भाषा सिद्धान्त का अनुसरण करने से ही हो सकता है ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी) : मैं इस बात को अच्छा समझता हूं कि राज्यों की संख्या २७ से घटा कर १६ कर दी गई है । बम्बई और पंजाब को छोड़ कर अधिकतर राज्य भाषा के आधार पर बनाये गये हैं ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने काम के लिये जो सिद्धान्त सामने रखे थे, उनका उस ने समान रूप से अनुसरण नहीं किया । इस का उदाहरण देने के लिये मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र बेल्लारी का मामला लेता हूं । आयोग के प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई है कि बेल्लारी के तीन ताल्लुके, अर्थात् हासपेट, बेल्लारी और सिरुगुप्पा, और मल्लप्पुरम उप-ताल्लुका का एक छोटा सा भाग, जिसमें तुंगभद्र हैडवर्क्स स्थित है, आन्ध्र राज्य को हस्तांतरित कर दिये जायें । इस विचित्र सिफारिश के लिये उसने क्या कारण दिये हैं ? उस

*गाली में

[श्री टी० सुब्रह्मण्यम]

का कहना है कि यह सिफारिश तीन बातों को ध्यान में रख कर की गई है अर्थात् तुंगभद्र परियोजना, प्रशासनीय सुविधा और आर्थिक सम्बन्ध । १९४७ में मद्रास की संयुक्त सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि भविष्य में राज्यों के किसी पुनर्गठन में बांध के वर्तमान स्थान पर ध्यान नहीं दिया जायेगा और इस स्थान को केवल प्रशासनीय और अन्य सुविधाओं, निर्माण पर कम लागत आने और रेलवे स्टेशन के समीप होने के कारण चुना गया है । जब मद्रास सरकार यह आश्वासन दे चुकी है, तो आयोग को पुनर्गठन के लिये यह आधार नहीं बनाना चाहिये था ।

तुंगभद्र परियोजना, भूतपूर्व संयुक्त मद्रास सरकार, जिसके स्थान पर अब आन्ध्र और मैसूर हैं, और हैदराबाद सरकार का सम्मिलित कार्य था । यह सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिये है । इस के द्वारा २।। लाख एकड़ भूमि की सिंचाई मैसूर और आन्ध्र में होती है और ५.८५ लाख एकड़ की हैदराबाद राज्य में । अब विचित्र तर्क यह है कि आन्ध्र राज्य को इस परियोजना से बहुत सम्बन्ध है, इसलिये हैडवर्क्स और बांध और इन तक पहुंचने वाला सारा क्षेत्र आन्ध्र को हस्तांतरित कर दिया जाये । यदि सही स्थिति को देखा जाये, तो मालूम होगा कि ६.७८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कर्नाटक में होगी और १.५७ लाख एकड़ की आन्ध्र में । स्पष्ट है कि जिस राज्य का इस परियोजना से सब से अधिक सम्बन्ध है, वह कर्नाटक है ।

आयोग ने कहा है कि उच्च स्तरीय नहर का काम शुरू किया जाने वाला है । मुझे यह जान कर हर्ष हुआ है । मैं भी यही चाहता हूं । किन्तु इस क्षेत्र को आन्ध्र को हस्तांतरित करने के लिये जो कारण आयोग ने दिये हैं, वे बहुत विचित्र हैं, उस का कहना है कि तुंगभद्रा बोर्ड संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रहा है । बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष ने कहा है कि पुनर्गठित होने के बाद इस का काम बहुत संतोषजनक रहा है । इस लिये मैसूर राज्य को कम दिलचस्पी लेने का दोष नहीं दिया जा सकता, और आयोग ने उस पर सहयोग न करने का जो आरोप लगाया है वह ठीक नहीं है ।

आयोग ने एक तर्क यह दिया है कि आन्ध्र सरकार का हैडवर्क्स तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है । यह एक बेहूदा बात है, क्योंकि भारत के राज्य प्रभुत्व संपन्न और स्वतन्त्र नहीं हैं । इस महान परियोजना के सम्बन्ध में आन्ध्र सरकार के प्रतिनिधि और भारत के सब नागरिक इसका निरीक्षण कर सकते हैं और अपना कर्त्तव्य पूरा कर सकते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार और इस सदन के सब सदस्य आन्ध्र के लोगों को यह आश्वासन दे सकते हैं कि पानी और बिजली का उपयुक्त अंश पाने के सम्बन्ध में उन के उचित अधिकारों की पूरी रक्षा की जायेगी ।

प्रशासनीय पहलू के सम्बन्ध में, यदि आप नकशे को देखें, तो आप देखेंगे कि जहां तक आन्ध्र को हस्तांतरित किये जाने वाले क्षेत्र का सम्बन्ध है, बेल्लारी दूर दक्षिण-पश्चिम में होगा, रायचूर उत्तर में, बम्बई राज्य के कन्नड़ जिले पश्चिम में और शेष मैसूर दक्षिण में। प्रशासनीय दृष्टि से यह वांछनीय नहीं होगा ।

आयोग का यह तर्क भी बहुत विचित्र है कि बेल्लारी और बंगलौर के बीच रेल का सीधा सम्बन्ध नहीं है और किसी व्यक्ति को बेल्लारी से बंगलौर जाने के लिये आन्ध्र के क्षेत्र से गुजरना पड़ता है । इस का उत्तर यह है कि सारा भारत एक है, रेलवे व्यवस्था भी एक है और भारत के राज्य स्वतन्त्र नहीं हैं ।

कहा गया है कि बेल्लारी रायलसीमा की गैर-सरकारी राजधानी सी बन गई है। यह सत्य नहीं है क्योंकि बेल्लारी में विश्व-विद्यालय या सरकारी कालेज या उच्च-न्यायालय स्थापित करने का कभी कोई विचार नहीं था।

आयोग की यह सिफारिश श्री केलकर के पंचाट दर आयोग, जे० वी० पी० समिति और मद्रास सरकार द्वारा १९४९ में नियुक्त की गई विभाजन समिति की सिफारिशों के प्रतिकूल है। इन सब में कहा गया था कि बेल्लारी ताल्लुका और नगर संयुक्त मद्रास राज्य में मिलाये जाने चाहियें, आन्ध्र में नहीं। मेरे विचार में सरकार को यह सिफारिश स्वीकार नहीं करनी चाहिये।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल-रक्षित अनुसूचित जातियां) : अपने प्रान्त पश्चिमी बंगाल की वकालत करने से पूर्व मैं भारत की समस्त जनता को बधाई देता हूं जिसने कि भारत को स्वतन्त्र कराने में सहयोग दिया है।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को इस बात का भी स्मरण कराना चाहता हूं कि बंगाल की समस्या केवल साधारण सी सीमा सम्बन्धी समस्या नहीं है। यह विचार केवल मेरा ही नहीं है अपितु आयोग ने भी अध्याय १५ में स्पष्ट कहा है कि यद्यपि पश्चिमी बंगाल की समस्या सीमा सम्बन्धी ही है किन्तु गोलपाड़ा तथा अन्य स्थानों में जो घटनायें हुई हैं उन से यही जान पड़ता है कि यह समस्या इतनी शीघ्र हल नहीं हो जायेगी। अतः पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करते समय इस समस्या को भी लेना ही पड़ेगा। मैं सभा का ध्यान उन कुछ बातों को ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिन पर मेरे पूर्ववक्ताओं ने प्रकाश नहीं डाला है। इस सम्बन्ध में जो आन्दोलन किया गया है, उस के कारण स्वयं आयोग ने, जैसा कि प्रतिवेदन से प्रकट होता है, पश्चिम बंगाल के साथ न्याय नहीं किया है।

सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहूंगा कि देश के विभाजन से केवल बंगाल और पंजाब को ही हानि सहनी पड़ी है। अब हमें देखना यह है कि पश्चिम बंगाल राज्य कितना है ? उसका विभाजन तो पहले ही हो चुका है और उत्तरी भाग तो प्रायः अलग हो हैं। आयोग ने कहा है कि समूचे भारत में एक यही ऐसा राज्य है जिसको काट-छांट की गई है। अब समस्या यह रह जाती है कि क्या इस राज्य को ऐसे ही रहने दिया जाये अथवा पुनर्गठन के समय इसको भी एक ठोस राज्य बनाया जाये ? आयोग ने यह सुझाव दिया है कि किशनगंज नामक उप विभाग को, जो एक छोटा सा खण्ड है, पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया जाना चाहिये जिससे कि वह एक ठोस राज्य बन सके।

२३ अगस्त, १९५१ को जब मैंने इस सभा में एक संकल्प रूप में इस मामले को उठाया था तो तत्कालीन गृह-कार्य मंत्री ने वादा किया था कि वह इस मामले की जांच करेंगे। उन्होंने कहा था कि इससे हमारे देश की सामान्य सुरक्षा और प्रशासन सम्बन्धी स्थिति में सुधार हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार को इस सम्बन्ध में यथाशक्ति कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि यह केवल बंगाल की समस्या न होकर सम्पूर्ण राष्ट्र की समस्या है। अतः पश्चिम बंगाल के उस पृथक् भाग को मिलाने और प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। इससे अधिक इस सम्बन्ध में और कुछ कहने से कोई लाभ नहीं।

इसके पश्चात् आयोग ने संस्कृति और भाषा के सम्बन्धों में उल्लेख किया है। वहां की ८० प्रतिशत जनता मुसलमान है। मैं सभा को यह सूचित कर दूं कि आज भी पश्चिम बंगाल में ५० लाख से अधिक मुसलमान हैं। मैं अपने मित्र श्री श्याम नन्दन सहाय को बताना चाहूंगा कि मुर्शिदाबाद में ६० प्रतिशत जनता मुसलमान है और उस जिले

[श्री बर्मन]

के कुछ स्थानों में तो ८० प्रतिशत जनता मुसलमान हैं । अतः मैं अपने माननीय मित्र श्री श्याम नन्दन सहाय से पूछना चाहता हूं कि जब कि पश्चिम बंगाल में ५० लाख से अधिक मुसलमान जन-संख्या होने पर भी उनकी संस्कृति को खतरा नहीं है तो फिर क्या किशनगंज को पश्चिम बंगाल में मिला देने से वहां के २।। लाख मुसलमानों की संस्कृति खतरे में पड़ जायेगी ? मैं सभा से इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिये निवेदन करता हूं ।

इस के पश्चात् मैं भाषा के प्रश्न को लेता हूं क्योंकि वह एक प्रमुख चीज़ है जिस पर कि हम विचार कर रहे हैं । आयोग ने अपने प्रतिवेदन के पैरा ६४७ में कहा है कि महानन्दा नदी के पूर्व में बोली जाने वाली बोली अथवा बोलियों के वर्गीकरण के बारे में मतभेद है । यह ऐसा भाग है जिस की हम आज से नहीं वरन् १९४७ में हुये विभाजन के समय से मांग करते रहे हैं और जिसके लिये उस समय के बिहार के प्रसिद्ध नेता तैयार भी हो गये थे । किन्तु आयोग ने किशनगंज में बोली जाने वाली बोली को उत्तर बंगाली वर्ग में रखा है । बिहार सरकार ने इस निर्णय को चुनौती दी है । मैं उत्तरी बंगाल का रहने वाला हूं और मेरा निवेदन यह है कि पछगर और तेतूलिया थाने के ८० प्रतिशत निवासी मुसलमान हैं । और यह शत प्रतिशत बंगला भाषा बोलते हैं । इनमें से कोई भी उर्दू नहीं जानता है । सभी बंगला भाषा भाषी हैं । मेरी तो समझ में नहीं आता कि मेरे माननीय मित्र श्री श्यामनन्दन सहाय ने उन्हें उर्दू भाषा बोलने वाला कैसे कह दिया ।

मुझे यह भी स्मरण होता है कि माननीय मित्र ने उपाध्यक्ष महोदय द्वारा किशनगंज के लोगों की मातृ भाषा पूछी जाने पर उन्होंने "पूर्णतः उर्दू भाषी" बताया था । बंगला तो एक ऐसी भाषा है जिसके बोले जाते ही कोई भी समझ लेगा कि बोलने वाला बंगाली है या नहीं । यदि किशनगंज के किसी भी व्यक्ति से बंगला में बोलने को कहा जाये तो मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि कोई भी उसे सुनकर यह नहीं कह सकता कि वह बंगाली नहीं है ।

इस भू-खण्ड से मिला हुआ भाग पश्चिम बंगाल या पाकिस्तान का है, जिसमें मुसलमान ही रहते हैं । मैं बिना किसी विरोध की आशंका के सभा के सम्मुख कह सकता हूं कि पाकिस्तान या पश्चिम बंगाल में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें उर्दू पढ़ाई जाती हो । स्वयं आयोग ने कहा है कि पश्चिम की ओर बढ़ने पर धीरे-धीरे मैथिली मिश्रित हिन्दी प्रारम्भ हो जाती है और अन्त में वह हिन्दी हो जाती है । जहां तक इस भू-खण्ड का सम्बन्ध है, आयोग ने इस के बारे में कहा है कि उसमें सिरपुरिया अथवा किशनगंजी भाषा बोली जाती है जो बंगाली से ही मिलती-जुलती है ।

हम सभी जानते हैं कि पश्चिम पाकिस्तान या करांची ने पूर्व बंगाल पर उर्दू भाषा लादने का जो प्रयत्न किया था उसका क्या परिणाम निकला । इस प्रकार पूर्व बंगाल में भी बंगाली भाषा को ही रखा जा रहा है । पाकिस्तान विधान सभा में एक बंगाली सदस्य ने बंगला भाषा में ही अपना भाषण दिया था । शायद वे कुछ उर्दू भी जानते हों मुझे ठीक पता नहीं है ।

यदि किशनगंज का यह भाग पश्चिम बंगाल में मिला दिया जाता है, तो इस क्षेत्र के मुसलमान पश्चिम बंगाल के अन्य मुसलमानों से मिल जायेंगे । यदि कलकत्ता में अनेक भाषायें पढ़ाई जा सकती हैं तो फिर अन्य किसी स्थान में ऐसा करने में क्या हानि हो जायेगी ?

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, डा० विधान चन्द्र राय द्वारा दिये गये आश्वासन

के आधार पर कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में शरणार्थी नहीं बसाये जायेंगे मेरे माननीय मित्र श्री श्यामनन्दन सहाय को किशनगंज के इस उप-विभाग के पश्चिमी बंगाल को हस्तांतरित किये जाने में कोई भय नहीं होना चाहिये।

मेरे माननीय मित्र श्री श्यामनन्दन सहाय यह चाहते हैं कि बंगाली मुसलमानों को अनिवार्य रूप से हस्तान्तरण के पक्ष में बोलना चाहिये। ऐसा वह शायद किसी दबाव या ज़ोर पड़ने के कारण कह रहे हों।

१९५१ में जब इस सभा में मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया था तो श्री हुसेन इमाम ने कहा था कि वह बड़ी कठिन परिस्थिति में पड़ गये थे। अर्थात् किशनगंज उप-विभाग के बारे में जिसके पश्चिम बंगाल को हस्तांतरण किये जाने के सम्बन्ध में आयोग ने सिफारिश की है, उन्होंने यह कहा था कि बंगाल की मांग ठीक और न्याय्य है।

पंडित डी० एन० तिवारी : यह तो कल्पना मात्र है।

श्री बर्मन : उन्होंने कहा था कि जिस बंगाल की इतनी जन संख्या थी और जिसने देश का इतने दिनों तक नेतृत्व किया था, उसकी अब यह दशा हो गई है कि अब वह भारत के प्रथम पांच प्रान्तों में नहीं आता है।

उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले जिनमें इस्तमरारी बन्दोबस्त है बिहार में मिला दिये जाने चाहियें।

अब मैं आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल को हस्तान्तरित किये जाने के लिये सिफारिश किये गये दूसरे, भाग अर्थात् मानभूम के पुरुलिया उपविभाग के प्रश्न की चर्चा करना चाहूंगा। आयोग ने केवल उन्हीं भागों के हस्तांतरण की सिफारिश की है जिसे उसने अनिवार्य समझा है।

आयोग ने पुरुलिया उप-विभाग के कुछ भागों के हस्तांतरण की सिफारिश किन कारणों से की है। पहला कारण तो यह है कि यह भाग मुख्यत: बंगला भाषा भाषी क्षेत्र है। आयोग ने दूसरा कारण यह बताया है कि कंसावती नदी इसी क्षेत्र से होकर बहती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस नदी के द्वारा कुछ सिंचाई कार्य आरम्भ कर दिये हैं और वह किसी उपयुक्त स्थान पर एक बांध बनाना भी चाहती है जिससे कि समस्त क्षेत्र का विकास हो सके।

समूचे भारत की दृष्टि से देखने पर यही पता लगता है कि इसके हस्तांतरण से पश्चिम बंगाल के निचले प्रदेश का विकास हो सकेगा जिससे कि सारे देश को अधिक खाद्य मिल सकेगा और अधिक उद्योग स्थापित हो सकेंगे। पश्चिम बंगाल के लिये कंसावती नदी बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु बिहार के लिये वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अत: मेरे बिहार के मित्रों का यह कहना कि यह भाग पश्चिमी बंगाल को नहीं मिलना चाहिये उस ग्रामीण बक्की के तर्क के समान होगा जो परास्त हो जाने पर भी तर्क करता रहता है।

मेरे विचार से आयोग ने पश्चिम बंगाल के साथ पूर्ण न्याय नहीं किया है। हम सम्पूर्ण मानभूम ज़िले को ही चाहते हैं। डा० विधान चन्द्र राय के इस कथन में कुछ सत्यता है कि औद्योगिक क्षेत्र और कोयले की खानों वाला क्षेत्र बिहार के पास रहे और ग्रामीण क्षेत्र, जिसमें बंगला भाषा भाषी अधिक संख्या में हैं, बंगाल को दे दिया जाये। इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि बंगाल के पश्चिमी भाग अर्थात् बर्दवान डिवीजन की भाषा को टहरी बोली कहते हैं। समस्त टहरी भू भाग की बोली वही है जो समूचे मानभूम जिले की है। जनगणना के आंकड़ों से पता लगता है कि १९३१ के जनगणना को देखें १९५१ की जनगणना में बहुत कम असमानता है फिर भी बंगला भाषा भाषियों की संख्या हिन्दी बोलने वालों से कहीं अधिक है। अत: धनबाद क्षेत्र

[श्री बर्मन]

को छोड़कर भी १९५१ की जनगणना के अनुसार बंगला बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक होगी। आयोग ने १९३१ की जनगणना को ध्यान में रखकर संथाल परगना जिला के बारे में कहा है कि पहले के जनगणना संबंधी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में बंगला भाषा भाषियों का बाहुल्य नहीं है। हम इससे सहमत हैं। हमारा दावा तो अजय नदी के जल-ग्रहण क्षेत्र के संबंध में है। इसको स्वीकार करना या न करना संसद् पर निर्भर है। जब कि आयोग ने १९३१ के जनगणना के आंकड़ों से यह सिद्ध किया है कि राजमहल क्षेत्र में बंगला भाषा भाषियों का बाहुल्य नहीं है तो मैं मानभूम जिले के संबंध में भी उसी तर्क को अपनाना चाहता हूं और मेरा निवेदन है कि आयोग को यह निष्कर्ष निकालना चाहिये था कि १९५१ के आंकड़े जाली और मिथ्या हैं। केवल इतना ही नहीं है। गोलपाड़ा के विषय में हमारे दावे पर विचार करते हुये आयोग ने कहा है कि नवीनतम जनगणना के आंकड़ों में १९३१ की अपेक्षा बड़ा परिवर्तन हो गया है। हम इसी आधार पर गोलपाड़ा के संबंध में इस दावे को मानने को तैयार नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आयोग मानभूम के विषय में भी यही तर्क लागू करता। जहां तक मानभूम जिले का संबंध है हम पश्चिम बंगाल के दावे का किसी भी प्रकार से प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं।

अब मैं धालभूम की ओर आता हूं। यह भी कोयले का क्षेत्र है किन्तु इसमें जमशेदपुर का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर भी है। यह एक बहु भाषा भाषी नगर है। कोई भी एक राज्य इस पर दावा नहीं कर सकता है। हमारे मुख्य मंत्री ने कहा है कि टाटानगर को पृथक् किया जा सकता है परन्तु शेष भाग मुख्यतः बंगाल भाषी है। वह पश्चिम बंगाल में मिलाया जाना चाहिये।

आयोग ने कहा है कि यदि सरायकेला और खरसवान के संबंध में उड़ीसा का दावा मान लिया जाता है तो धालभूम एक समावृत क्षेत्र बन जायेगा। किन्तु आयोग यह नहीं सोच सका है कि धालभूम प्रमुखतः बंगला भाषी क्षेत्र है और इसे पश्चिम बंगाल के साथ मिला दिया जाना चाहिये और सरायकेला और खरसवान को उड़ीसा के साथ, १९५१ में धालभूम के सिंहभूम जिले में १५४ राज्य से सहायता पाने वाले मिडिल और प्राईमरी स्कूल थे। इनमें १४३ बंगाली स्कूल थे। बंगला ही यहां की साधारण भाषा है। यहां इस सभा में भी उस क्षेत्र के दो माननीय सदस्यों ने बंगाली में बोलते हुये हमारे पक्ष का समर्थन किया है।

१९३१ की जनगणना रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि जमशेदपुर के बाहर धालभूम में प्रमुखतः बंगला बोली जाती है। दूसरा स्थान उड़िया का है और तीसरा हिन्दुस्तानी का। आंकड़ों से यह स्पष्ट है समस्त धालभूम बंगला भाषा भाषी क्षेत्र है। जब आयोग ने पुरुलिया के पश्चिम बंगाल में मिलाने जाने की सिफारिश की है तो धालभूम स्वतः दो ओर से बंगाल से और एक ओर से उड़ीसा से घिरा हुआ एक समावृत्त क्षेत्र मात्र रह जाता है। यदि यह सभा सरायकेला पर उड़ीसा का अधिकार मानती है तो धालभूम को बिहार में मिलाये जाने का कोई आधार ही नहीं रहता है।

जहां तक गोलपाड़ा का संबंध है मेरे माननीय मित्र श्री देवेश्वर शर्मा ने कह दिया है कि उनके मुख्य मंत्री ने इस संबंध में जो वक्तव्य दिया है उससे अधिक वह और कुछ नहीं कह सकते हैं। इसके पश्चात् उन्होंने कूच बिहार का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि "कूच बिहार बंगाल में मिलाये जाने के पश्चात् वहां की स्थानीय जनता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है?" जिस समय

वहां की जनता की यह मांग थी कि वे या तो कूच-बिहार केन्द्र द्वारा प्रशासित एक पृथक् राज्य के रूप में रहें अथवा आसाम के साथ मिला दिये जायें तो मैंने डा० राय से कहा था कि हम इतने पुराने संबंधों के कारण बंगाल के साथ ही रहना चाहते हैं आसाम में नहीं जाना चाहते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कूच-बिहार के लोग पिछड़े हुये हैं किन्तु पश्चिम बंगाल इसे लेने के पश्चात् इसके विकास के लिये बहुत कुछ कर रहा है। आज कूच-बिहारी प्रसन्न हैं। यदि मेरे माननीय मित्र को कोई अन्यथा सूचना मिली है तो वह गलत है।

श्री मोहनलाल सक्सेना (जिला लखनऊ व ज़िला बाराबांकी) : सबसे पहले मैं इस प्रतिवेदन के निर्माताओं के विषय में दो शब्द कहना चाहता हूं। वे तीनों भारत के प्रसिद्ध सत्पुत्र हैं। उन्होंने भारत की महान् सेवायें की हैं। यह कहना कि उनके निर्णय पर कोई बाह्य प्रभाव पड़ा है गलत है। ऐसा कहना अत्यन्त अशोभनीय और अनुत्तरदायित्वपूर्ण है आयोग का कार्य बड़ा दुर्वह था। उसे राज्यों के साथ साथ सारे राष्ट्र का भला देखना था। आयोग ने बड़े उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से इस कर्त्तव्य को निभाया है। किन्तु ज्योंही इस प्रतिवेदन का प्रकाशन हुआ सभी ओर से आलोचनायें होनी शुरू हो गईं। किसी ने कहा यह नहीं हुआ और किसी ने कहा वह नहीं हुआ है। कांग्रेस कार्यकारणी समिति ने बड़ी निर्भीकता से कहा कि, "यदि आप कुछ चाहते हैं तो एक सहमत योजना लाईये अन्यथा हम इसी प्रतिवेदन के प्रस्तावों को स्वीकार कर लेंगे।" क्या अभी तक एक भी सहमत हल दिया जा सका है? अतः हम असंदिग्ध रूप से आयोग के श्रम की सराहना कर सकते हैं।

आयोग के दो कार्य थे। एक कार्य तो ऐसे सिद्धांतों का उल्लेख करना था जिनके अनुसार राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिये और दूसरा कार्य इन राज्यों के पुनर्गठन की रूप रेखा प्रस्तुत करना था। सरकार के संकल्प में भी इस संबंध में कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था, और वह थे देश की रक्षा, भाषा और संस्कृति की एक रूपता, आर्थिक तथा प्रशासनिक सुविधा इत्यादि। आयोग ने इन सभी बातों की हानियों और लाभों का ध्यान रखकर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। उस ने यह कहा है कि पुनर्गठन के लिये भाषा या संस्कृति ही एकमात्र आधार नहीं हो सकती है। इस सभा को देश की रक्षा और एकता के हित में कम से कम इस एक निष्कर्ष को तो अवश्य स्वीकार करना ही चाहिये। यही सरदार पटेल की भी आवाज़ थी। जब मैंने इस सभा में दिये गये कुछ भाषणों को सुना तो मुझे पाकिस्तान के पक्षपातियों की याद हो आई। उन्होंने आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर भाषा, संस्कृति, जाति आदि न जाने क्या क्या बात कही थीं। यद्यपि कई लोगों ने अपने दावों को सिद्ध करने के लिये सरदार पटेल का नाम लिया है तथापि मैं समझता हूं उनके दावे सरदार पटेल की भावना के अनुकूल नहीं हैं।

दूसरी बात जो आयोग ने कही है कि ये क्षेत्र पर्याप्त बड़े होने चाहियें ताकि उनके संसाधन पर्याप्त हों और वहां आर्थिक विकास किया जा सके तथा प्रशासनिक कार्यक्षमता भी अधिक रहे। तीसरी बात यह है कि किसी क्षेत्र के लोगों की इच्छा पर राष्ट्र के व्यापक हितों के अनुसार ही विचार किया जाये। आयोग के इन तीनों सिद्धांतों को हमें पहले स्वीकार करना चाहिये तब उसके दूसरे भाग को लेना चाहिये। बड़े सुन्दर ढंग से तर्कों पर तर्क दिये गये हैं कि लोग यह चाहते हैं वह चाहते हैं। मैं जानता हूं लोगों की समस्या भूख, निर्धनता, रोग और बेरोजगारी है। उनकी समस्या भाषावार राज्य नहीं है। यह राजनीतिज्ञों के द्वारा उत्पन्न की गई समस्या है और लोग उनके हाथ का खिलौना बनाये जा रहे हैं।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सभा के प्रस्ताव में समुचित संशोधन किया जाना चाहिये और सभा आयोग के भिन्न भिन्न

[श्री मोहनलाल सक्सेना]

राज्यों संबंधी निर्णयों पर मत प्रकट करने के अतिरिक्त उसकी अन्य सिफारिशों और निर्णयों के संबंध में भी मत प्रकट करे।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि किसी भी राज्य का नामकरण किसी भाषा विशेष के कारण नहीं होना चाहिये। इसी आधार पर एक बार उत्तर प्रदेश ने अपने आपको 'हिन्दी प्रांत' नाम देने से इंकार कर दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार मैं बंगाल का नाम 'पूर्वी राज्य' अथवा 'पूर्वी भारत' रखना चाहूंगा। मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे दूरदर्शी बनें। यदि राज्य बनाने ही हैं तो उन्हें प्रादेशिक नाम ही दिये जाने चाहियें उनका संबंध किसी भाषा अथवा जाति से नहीं होना चाहिये।

उत्तर प्रदेश के बारे में मुझे कहना है कि यद्यपि हमारी इस सभा में बहुसंख्या है तथापि क्या हमने कभी इस अधिक संख्या के बलपर सभा के निश्चयों पर प्रभाव डालने का प्रयत्न किया है ? कभी नहीं। उत्तर प्रदेश के नेता अखिल भारतीय नेता हैं। यहां तक दावा किया जाता है कि पन्त जी भी महाराष्ट्र के हैं। जितना शीघ्र हम प्रांतीयता अथवा भाषा-वादिता से छटकारा पा सकें उतना ही अच्छा है। हमारा प्रांत निस्सन्देह बड़ा है। आप दूसरों को भी इतना बड़ा बना सकते हैं। मेरा सुझाव है कि १६ के स्थान पर आप ९ राज्य ही बनायें। वर्तमान राज्य वैज्ञानिक आधार पर नहीं बनाये गये हैं।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

यह बात आयोजन के लिये लाभदायक नहीं सिद्ध हो सकती है। इस सभा में प्रायः यह कहा जाता रहा है कि हमारे देश में समाजवाद स्थापित नहीं हो सकता है क्योंकि हम निर्धनता को नहीं बांट सकते हैं। बंटवारे से पहले हमें धन का उत्पादन करना होगा। भारत का प्रत्येक छोटे से छोटे टुकड़े का एक निम्नतम स्तर तक विकास हो जाना चाहिये। आप १६ राज्य भी रख सकते हैं किन्तु मैं उन सबका सम्मिलित प्रशासन चाहता हूं। उदाहरणस्वरूप मैं बंगाल और आसाम के लिये एक सम्मिलित प्रशासन चाहता हूं जिसका प्रधान स्थान कलकत्ता होना चाहिये और जिसकी दो राजधानियां कलकत्ता और शिलांग में होनी चाहियें। इसे हम पूर्वी राज्य कह सकते हैं। इसी प्रकार बिहार और उड़ीसा के लिये एक ही प्रशासन व्यवस्था हो सकती है। आप सुरक्षाय निश्चित कर सकते हैं और देखभाल कर सकते हैं कि केन्द्रीय सहायता का समान रूप से बंटवारा किया जाता है। इसी प्रकार मद्रास, केरल और कर्नाटक को मिलाकर एक दक्षिणी राज्य बनाया जा सकता है। हैदराबाद, तेलंगाना और विदर्भ के लिये भी एक राज्य होना चाहिये। इसी प्रकार मध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल का एक राज्य होना चाहिये तथा बम्बई और गुजरात तथा महाराष्ट्र और विदर्भ का एक एक राज्य होना चाहिये।

संस्कृति और भाषा की एकरूपता से भी अधिक महत्वपूर्ण देश की रक्षा और एकता पंचवर्षीय योजना की सफलता और प्रशासनिक सुविधा हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि राजप्रमुखों की प्रथा समाप्त कर दी गई है। मैं राज्यपालों की संख्या घटाये जाने के लिये भी अनुरोध करता हूं। हम इनके कर्मचारी-वर्ग पर बहुत सा रुपया व्यय कर रहे हैं वह विकास के लिये उपलब्ध हो सकेगा। आप प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय और लोक-सेवा-आयोग तथा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रखने जा रहे हैं। किन्तु यह बात हमारे श्रद्धेय सरदार पटेल की आकांक्षाओं के विरुद्ध है। क्या यह बात भेद भाव और पृथक्ता की भावना नहीं प्रगट करती है ?

अब मैं भाग 'ग' में के राज्यों के विषय में कुछ सुझाव देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आयोग ने उनके विलयन का सुझाव रखा है।

केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों तथा दिल्ली के कार्यों संबंधी एक मंत्री केन्द्रीय मंत्रिमंडल में होना चाहिये।

अन्त में मैं सदस्यों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या इस पुनर्गठन का आगामी योजना की कार्यन्विति पर कोई प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं ? मेरे विचार में अवश्य पड़ेगा। अगर हम लोगों में परस्पर कटुता रही, वैमनस्य रहा तो इसका देश की एकता और शक्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा। अतः हमें जो कुछ भी निश्चय करना है वह आपस में ही निश्चित कर लेना चाहिये क्योंकि यदि हम इस समय कुछ न कर सके तो इस मनमुटाव का देश की पंचवर्षीय योजना पर भी कुप्रभाव पड़ने की संभावना है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (ज़िला प्रतापगढ़-पूर्व) : सभापति महोदय, कई रोज से मैं बराबर सुनता आ रहा था कि तीन, चार पांच मुकाम ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने सुना कि यह इस स्टेट में, इस हिस्से में जायें, या उस हिस्से में या उस स्टेट में। यह हैं देवीकुलम, बिलारी, बस्तर, लोहारू, और चासथाना। यद्यपि आज और इसके पहले भी हमारे माननीय साथियों ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें भी कहीं हैं, तथापि उद्देश्य जो हमारा इस समय इस रिपोर्ट पर विचार करने का है, उसमें हमें, सबको सहायता करनी है, उन झगड़ों को तय करना है जो कि कहीं कहीं उठते हैं। वरना आमतौर पर तो कमिशन ने जहां तक उसूलों का संबंध है, उनको निर्धारित कर दिये हैं और उन उसूलों के आधार पर ही वह चाहती है कि हमारे देश में जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन हो जाये। वह यह भी चाहती है कि राज्यों का पुनर्गठन ऐसा हो जिससे कि हमारे देश के जितने भी छोटे बड़े अंग हैं उन सब का बहुमुखी विकास हो सके। इसके अतिरिक्त हमारे देश की सफलतापूर्वक रक्षा हो सके, यह विचार भी उनके सामने था। इस उद्देश्य को सामने रखकर के हमारे सामने यह पुनर्गठन की योजना आई है। लेकिन इस उद्देश्य से हम तब दूर हो जाते हैं जब ज्यादातर अपना समय इसी में दे देते हैं कि यह ताल्लुका इधर आवे, यह थाना इस स्टेट में रहे और यह हिस्सा या यह थाना दूसरी स्टेट में चला जाये। मेरी समझ में यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं है और प्रायः मैंने देखा है कि जहां पर ऐसी बातें पेश हो रही हैं प्रायः भाषा के आधार पर कही जा रही हैं, तो प्रारम्भ में यह आयोग भाषा को आधार बना कर स्थापित किया गया था, परन्तु अब वही केवल एक आधार हमारे सामने नहीं रह गया है। यह अकेला आधार, मेरे विचार में, हमारे सामने रह भी नहीं सकता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिये, जो उद्देश्य कि हमारे सामने है, कमीशन ने कुछ उसूल अपने कायम किये हैं और उन उसूलों के आधार पर उन्होंने राज्यों के पुनर्गठन की रिपोर्ट हमारे सामने रखी है। तो अगर उन उद्देश्यों को अपने सामने हम रखें तो जैसे अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने फरमाया हम को देखना यह है कि कैसे हम उस उद्देश्य को वह रूप दे सकते हैं, वह शक्ल दे सकते हैं, जिस से कि हमारा बहुमुखी विकास हो सके और एक सुदृढ़ और समृद्धशाली राष्ट्र बन सके। इस योजना को ले कर बातें करते करते हमारे बहुत से माननीय सदस्य, बहुत से नहीं बहुत थोड़े से माननीय सदस्य कभी कभी एक राज्य पर और कभी दूसरे राज्य पर छींटाकशी करते गये जिस का कोई प्रयोजन नहीं, कोई अवसर नहीं, ऐसा जब हम करते हैं तो हम अपने उद्देश्य से दूर होते जाते हैं :

मैं विशेषकर इस रिपोर्ट का स्वागत करता हूं। यदि आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें तो ग्यौरे में जा कर हर एक चीज़ पर विचार कर के जैसे उन्होंने समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है, वह सराहनीय है। परन्तु तो भी त्रुटियां कुछ रह जाती हैं, बातें कुछ ऐसी रह जाती हैं जो कि आप की सलाह, आप की सहायता और आपके मश्विरे के बिना पूरी नहीं हो सकेंगी। हमारे सामने जो व्याख्यान हुए उन में मैंने देखा है कि वह

[पंडित मुनीश्वर दत उपाध्याय]

लोग, वह माननीय सदस्य, जिन्होंने बड़े राज्य बनाने की योजना रखी है जैसे विशाल आंध्र, संयुक्त महाराष्ट्र के लिये विरोध किया है साथ ही हमारे एक आध ऐसी ही चीज हम ने भी रखी है । हमारे एक आध राज्य पर जो बड़े हैं , जहां की आबादी बड़ी है, या जिस का क्षेत्रफल बड़ा है, उस पर छींटाकशी की गई है । मैं नहीं जानता कि वह जिस योजना को ले कर चलें हैं, जिस उद्देश्य से वह बोले हैं, जो उद्देश्य वह पूरा कराना चाहते हैं, क्या यह बात जो वह कहते हैं, उसी के खिलाफ नहीं जाती है । हमारे लंका सुन्दरम् साहब ने कहा कि यू० पी० बहुत बड़ा है । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विशाल आंध्र बनना चाहिये, एक बड़ा प्रदेश बनाना चाहिये । उन्होंने यह भी कहा कि वह लिंग्विस्टिक कांफ्रेंस के कई वर्षों तक सभापति रहे हैं और वह लिंग्विस्टिक (भाषा के आधार) बेसिस पर राज्यों का पुनर्गठन कराना चाहते हैं । लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों का पुनर्गठन करने का मतलब तो यह है कि हिन्दी भाषी राज्यों का यदि आप पुनर्गठन करना चाहें तो लगभग १४ करोड़ का एक राज्य बनना चाहिये था । लेकिन यह मेरी मांगे नहीं हैं, और न इसका कोई प्रश्न है । लेकिन अगर भाषा को ही आधार मानते हैं तो यह बात यहां तक पहुंच जाती है कि हिन्दी भाषियों का १४ करोड़ का राज्य बने ।

उन्होंने बैलेंस आफ पावर (शक्ति संतुलन) की भी बात कही । इस विषय में मैं आप से क्या निवेदन करूं ? मेरी समझ में नहीं आता कि उत्तर और दक्षिण का बैलेंस आफ पावर (शक्ति संतुलन) यू० पी० के कायम रहने से कैसे बिगड़ता है । यदि दक्षिण में सब राज्य एक साथ चल सकते और उन का एक बड़ा राज्य होता, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती और हम उस का स्वागत करते । लेकिन अगर उत्तर में कुछ राज्य एक साथ मिल कर रह सकते हैं और एक बड़ा राज्य बना सकते हैं, तो उस का भी स्वागत होना चाहिये ।

मेरी दिक्कत यह है कि यह कह कर कि यू० पी० बहुत बड़ा है, यू० पी० बहुत बड़ा है, एक ऐसा वायु-मंडल बना दिया गया है कि हम अपने बचाव की चिन्ता में पड़ गये हैं और अपनी जरुरतों और तकलीफों की बात कह ही नहीं पाते । पणिकर साहब ने एक नोट लिख डाला और उस नोट का आधार ले कर लोग कहने लग गये हैं कि यू० पी० बहुत बड़ा है, इस को बांट देना चाहिये । पणिकर साहब कहते हैं कि हम यहां पर एक डामिनेंटिंग पोजीशन (प्रभुता सम्पन्न स्थिति) में है लेकिन मैं यह बत ना चाहता हूं कि उस डामिनेंटिंग पोजीशन (प्रभुता सम्पन्न स्थिति) का असर यह है कि न हमारे यहां कोई इंडस्ट्री (उद्योग) खोली जा रही है, न कोई रिवर वेली प्राजैक्ट (नदी घाटी योजना) बनाई जा रही है । हमारी आबादी के हिसाब से जो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये, वह भी नहीं मिल रही है । इस के बावजूद कहा जाता है कि हम लोग डामिनेंटिंग पोजीशन में हैं ।

हमारी स्थिति क्या है, इस विषय में मैं एक बात बता दूं । यहां पर स्टेट ग्रुप बने हुए हैं । इत्तिफाक से मैं अपने स्टेट ग्रुप का कनवीनर (संयोजक) हूं । मैं प्रायः उस की कोई मीटिंग करना बचाता रहा और इसलिये मैं ने कोई रिपोर्ट भी नहीं भेजी है । मैं ने एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया तो उन्होंने कहा कि "यह स्टेट ग्रुप वगैरह क्या हैं ?" उन्होंने फौरन यह रिमार्क कर दिया । मेरे कहने का आशय यह है कि हम लोग इस प्रकार की विचारधारा में कभी पड़े ही नहीं हैं । हालांकि दूसरे स्टेट ग्रुप्स की मिटिंग्ज होती हैं, लेकिन हमारी मीटिंग बहुत कम हुई । यह है हमारी डामिनेंटिंग पोजीशन ! हमारी हालत यह है कि हमारी आवश्यकतायें भी पूरी नहीं हो रही हैं, जो हमें मिलना चाहिये, वह भी नहीं मिल

रहा है,। इस का नतीजा यह है कि देश चाहे कितना भी विकास करे हमारे यहां की गरीबी दूर नहीं हो सकती है और हमारे लोगों का किसी भी तरह से विकास नहीं हो सकता है। इस प्रकार की लम्बी ऊंची बातें उत्तर प्रदेश के लिये कही जाती रहेंगी, हमारी डामिनेंटिंग पोजीशन का हवाला दिया जाता रहेगा, परन्तु हमारी सन्तान इसी तरह गरीबी में पड़ी रह जायेगी जो इस समय है।

अपनी आवश्यकताओं के बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता था और हमारे और साथी भी कहना चाहते थे, लेकिन हम लोग कहें क्या ? हम क्या निवेदन करें और क्या मांगें, हम तो अपने बचाव में ही पड़े हुए हैं, हमें तो यही चिन्ता है कि हम रह जायें सही। यहां पर कहा गया कि चूंकि आप का डिविजन नहीं हो रहा है, इसलिये आप का बोलने का हक भी नहीं है। आप के जरिये से, श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी प्रकार हमारी हालत सुधर सकती है, तो उस को सुधारने का प्रयत्न किया जाये। इस विषय में यहां पर सदन ही में सुझाव भी आते हैं। हमारी स्थिति को देख कर—यह देख कर कि हमारे साथ मिलने से भविष्य में उन का हित होगा—कुछ लोगों ने यू० पी० में मिलने की इच्छा प्रकट की है। एक माननीय सदस्य ने यहां पर बड़े जोर से कहा कि हम को यू० पी० में ही मिलाइये, हम और कहीं नहीं जाना चाहते हैं, हमारे यहां बहुत खनिज पदार्थ हैं, वह एक्सप्लायट (उपयोग) की जा सकती है। यह सब होते हुए भी हम लोग कुछ कहनें में संकोच करते रहे हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं सारे हिन्दुस्तान को शक्तिशाली और समृद्धिशाली बनाने के लिये और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिये, जिसमें इस देश के सब हिस्सों का विकास हो—यहां पर किसी प्रदेश की बात नहीं है। हम को यह देखना है कि हमारी जो स्टेट बन रही है, उसकी क्या हैसियत होगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सब इंडस्ट्रीज और सब रिवर वेली प्राजेक्ट्स (नदी घाटी योजना) यू० पी० के अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों में जा रही हैं। कहा जाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर यू० पी० के हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर तो हमारे सम्पूर्ण देश के नेता हैं, जिन को दूसरे देश भी मान रहे हैं। वह केवल हमारे प्रदेश के नहीं हैं हमारी स्थिति बड़ी नाजुक है, लेकिन हम को अपनी बातें कहने का भी अवसर नहीं मिला है। मुझे जो समय दिया गया है, वह तो अभी खत्म हो जायेगा। मुमकिन है कि मैं सब कुछ न कह सकूं। इस लिये यह उचित है कि हमारे दूसरे साथियों को कुछ कहने का अवसर दिया जाये।

पणिकर साहब ने यू० पी० को बहुत बड़ा बताया है और यह भी कह डाला है कि वह डामिनेंटिंग पोजीशन (प्रभुता सम्पन्न स्थिति) में है। इस विषय में मैं एक दो बातें पेश करना चाहता हूं।

रूस में आर० एस० एफ० एस० आर० राज्य की आबादी वहां की कुल आवादी का ५७ प्रतिशत है। जर्मनी में प्रशिया की यही पोजीशन है—उस की ५० प्रतिशत आबादी है। अगर हमारी आबादी सम्पूर्ण हिन्दी भाषी १४ करोड़ का एक प्रदेश भी हो, तो उस हालत में भी ५७ प्रतिशत नहीं हो सकती थी केवल ३५ प्रतिशत होगी। यू० पी० की आबादी तो १६ फीसदी होती है।

श्री सी० डी० पांडे (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण—पश्चिम व जिला बरेली-उत्तर) : यू० पी० की नहीं, सब हिन्दी स्पीकिंग एरियाज (हिन्दी भाषी क्षेत्रों की) की आबादी इतनी होती है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : हां, मैं हिन्दी-स्पीकिंग एरियाज की बात ही कर रहा हूं। उन की आबादी ३५ परसेंट होती है। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी तो बहुत ही कम है केवल १६ प्रतिशत होगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : वह तो छटा हिस्सा है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यह कहा तो जाता है कि यू० पी० बहुत बड़ा है, लेकिन हमें यह बात भी याद रखनी चाहिये कि जब भी पंजाब में या हैदराबाद में, भोपाल में या किसी और जगह जरुरत पड़ती है, तो हमारे यहां के एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे यहां के आफिसर और हमारे यहां की पुलिस वहां भेजी गई है । इसकी वजह यह नहीं है कि हम में कोई बहुत बड़ी खूबी है । इसकी वजह यह है कि हर एक बड़ी स्टेट (राज्य) में ऐसी स्थिति होती है कि वह जरूरत पड़ने पर दूसरों को भी मदद दे सकती है, दूसरों को भी आदमी दे सकती है, आफिसर दे सकती है, और अपना काम भी चला सकती है, लेकिन एक छोटी सी स्टेट में जहां ९० आफिसर हों, तो वह दूसरों को क्या देगी और अपना काम कैसे चलायेगी । अगर वह अपने ५ आफिसर कहीं भेज दे, तो उस का अपना काम चलना मुश्किल हो जाये । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की स्टेबिलिटी (स्थायित्व) के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि यहां पर इस तरह की बड़ी स्टेट्स रहें । उत्तर प्रदेश पहले से ही है और अब मध्य प्रदेश और बम्बई की बड़ी बड़ी स्टेट बन रही हैं । यू० पी० की आबादी बड़ी है । यह ठीक है कि वे एरिया में बड़ी हैं, आबादी में नहीं । इसलिये मैं चाहता हूं कि जहां आबादी कम है, लेकिन मिनरल वेल्थ वगैरह है, अगर वह इलाका हमारे साथ मिला दिया जाये, तो हम को भी सहारा हो जाये । इस विषय में एक प्रस्ताव द्वारा हमारी विधान सभा में मांग की गई है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में पार्लियामेंटरी (संसदीय) राज पद्धति चल रही है, जैसा कि यूनाइटिड किंगडम (ब्रिटेन) में है । यहां पर यू० एस० ए० (अमरीका) का सिस्टम नहीं है । युनाइटिड किंगडम में हाउस आफ लार्डज में ८५० मैम्बर हैं और हाउस आफ कामन्स में ६२५ । सारी पावर तो हाउस आफ कामन्स के पास है, इसलिये हाउस आफ लार्ड्ज के ८५० मैम्बर तो बेकार हैं । लगभग यही हालत यहां पर राज्य सभा की है । इसलिये यह कहना गलत है कि राज्य सभा में बहुत रिप्रेजेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) होने के कारण उत्तर प्रदेश की यहां पर डामिनेटिंग पोजीशन है । अगर हम रिप्रेजेन्टेशन को देखें, तो हमें ज्ञात होगा कि राज्य सभा में 'सी' स्टेट्स ('ग' श्रेणी के राज्यों) का रिप्रेजेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) दस लाख पर एक मैम्बर है, 'बी' स्टेट ('ख' श्रेणी के राज्य) का चौदह लाख पर एक मैम्बर है और 'ए' स्टेट ('क' श्रेणी के राज्य) में अठारह लाख पर एक मैम्बर है, लेकिन यू० पी० को तो बीस लाख पर एक मैम्बर भेजने का अधिकार दिया गया है । उस को न पार्ट 'ए' स्टेट्स में रखा गया है, न पार्ट 'बी' स्टेट्स में और न पार्ट 'सी' स्टेट्स में । उस के खिलाफ इतना बड़ा वेटेज (भार) रखा गया है । हमारी तादाद कुछ भी रहे, मगर उस का कोई एडवर्स इफेक्ट, (विपरीत प्रभाव) उस का कोई बेजा इस्तेमाल पाया गया हो, तो मैं समझूं ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पणिकर साहब ने जो बात छेड़ दी है, उस ने एक ऐसा वायुमंडल पैदा कर दिया है कि हम अपनी बुनियादी जरूरतों के बारे में भी कुछ नहीं कह सके हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि भाषावार प्रान्त बनना ठीक नहीं होगा । अगर भाषा के आधार पर सही ढंग से और ठीक ठीक प्रान्त बनाये जायें, तो हमारा राज्य और भी बडा बन सकता था । लेकिन हम उसके समर्थन के लिये खड़े हैं । अगर अन्य बातें और सिद्धान्त जो आवश्यक हैं, हितकर हैं हम उन को छोड़कर भाषा के उसूल पर जुट जायें, तो यह उचित नहीं है । भाषावार प्रान्तों के बनाने में कुछ दिक्कतें हैं । जैसा कि हमारे एक मित्र ने बताया है, आसाम में इतना बड़ा मैदान पड़ा हुआ है,

लेकिन पड़ोस में बंगाल का क्षेत्रफल बिल्कुल छोटा सा है । उसको फैलाव करने की जरूरत है, उन लोगों को और जगह चाहिये, लेकिन वह उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है । मैं आप से निवेदन करूं कि आप देखें कि केरल में प्रति वर्ग मील आबादी का बोझा ६०७ इन्सान का है, और कर्नाटक में जो कि उसके बगल ही में है यह बोझा प्रति वर्गमील २६२ का है, वेस्ट बंगाल में यह बोझा प्रति वर्ग मील ७५७ है तो आसाम में १०६ है, उड़ीसा में यह बोझा प्रति वर्गमील २४३ है और जो मध्य प्रदेश अब बनने जा रहा है उसमें १५३ होगा, और उत्तर प्रदेश में यही बोझा प्रति वर्ग मील पर ५५६ है । यह हमारी हालत है । इस तरह से अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि कुछ प्रान्तों में प्रति वर्ग मील आबादी का बोझा जहां ८०० और ६०० व्यक्ति है वहां अगल बगल के प्रदेशों में वह सौ या डेढ़ सौ ही है। अगर आप भाषावार प्रदेश बनाना चाहेंगे तो इसके सिवा और कोई शक्ल सम्भव नहीं हो सकती जैसे कि भाषावार प्रान्त अब बन रहे हैं उनमें तो यही हालत रहेगी। तो मैं यह आपके सामने रखना चाहता हूं कि केवल भाषा के आधार पर प्रान्त बनाना ठीक नहीं है । प्रान्त तो आर्थिक आधार पर बनाने चाहियें । अगर आर्थिक आधार पर प्रदेश बनाये जायें तो यह दिक्कत नहीं रह जाती है और आर्थिक यूनिट को स्वावलम्बी बनाने के लिये ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश के साथ कुछ ऐसे भाग और भी लगाने चाहिये जिनके कारण इस प्रदेश की इकानमी ठीक हो सके। मैं चाहता हूं कि जो कुछ देश के लिये आपको हितकारी मालूम दे और इस दृष्टि से जो आप मुनासिब समझें वह करें । अगर आप ऐसा समझ कर हिन्दुस्तान का पुनर्गठन करें तो वह वास्तविक पुनर्गठन होगा । यह नहीं होना चाहिये कि अगर मैं इस राज्य का हूं तो मैं अपनी तरफ को खींचूं और अगर कोई दूसरे राज्य का है तो वह अपनी तरफ को खींचें । न मैं इसको मुनासिब समझता हूं, न कमीशन ने ही इसको मुनासिब समझा है, न हमारा हाई कमांड ही इसको मुनासिब समझता है । मैं आशा करता हूं कि हमारा हाई कमांड और हमारे नेताजी जो कुछ मुनासिब समझेंगे वही करेंगे । इसलिये मैं समझता हूं कि अगर यह सारा मामला उन्हीं पर छोड़ दिया जाये तो ये त्रुटियां दूर हो जायें । लेकिन इस प्रश्न को लेकर कहीं कहीं जो उद्दंडता पैदा हो गयी है उसकी वजह से हमारे नेताओं को चिन्ता हो गयी है और वे सोच विचार में पड़ गये हैं ।

मैं एक चीज और आपसे निवेदन करूं । जैसी हमारी हालत है और जैसा आबादी से लदा हुआ हमारा प्रदेश है, उसमें लोग भूखों मर रहे हैं, और दूसरी ओर दूसरे प्रदेशों में मैदान के मैदान खाली पड़े हुए हैं । यह जो आप पुनर्गठन कर रहे हैं वह तो (हंगरी पीपुल्स एण्ड एम्पटी लेंड) भूखी जनता और निर्जन भूमि वाला पुनर्गठन देश में हो रहा है । यह मुनासिब नहीं है । मेरी समझ में इस पर गौर करना आवश्यक है, और अगर हमारे नेता इस पर विचार करें तो शायद कोई सही शक्ल बन सके ।

एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा क्योंकि समय कम है । पणिकर साहब ने डाइलेक्ट, बोली, को भी भाषा का दर्जा दिया है और उसके आधार पर भी उन्होंने बटवारा करने की बात सोची है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डाइलेक्ट तो बीस बीस मील पर बदलती जाती है, उसमें बीस या पच्चीस मील के बाद कुछ अन्तर पड़ जाता है । अगर उसके आधार पर आप प्रदेश बनाने लगेंगे तब तो प्रदेशों का कोई अन्त ही नहीं होगा ।

पणिकर साहब ने विशेष कर यू० पी० की एफीशेंसी (कुशलता) के बारे में भी अपने नोट में लिखा है । वे आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं । उन्होंने जो आंकड़े बताये हैं उनसे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिये मैं उस बात को आप के सामने साफ कर देना चाहता हूं ।

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

उन्होंने उत्तर प्रदेश को बम्बई से कम्पेअर (तुलना) किया है। एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) के बारे में उन्होंने लिखा है कि बम्बई में कुल खर्चे का २४.२ प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है जब कि यू० पी० में कुल खर्च का २४.६ प्रतिशत होता है। इस कारण वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश मे एफीशंसी कम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह हिसाब लगाने में उन्होंने और बहुत सी बातों को नजरन्दाज कर दिया है। अब आप देखें कि हमारे प्रदेश में ५१ जिले हैं जब कि बम्बई प्रदेश में कोई २५ जिले हैं। जहां हमको उत्तर प्रदेश में ५१ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रखने होंगे, ५१ सुपरिटेंडेंट पुलिस रखने होंगे, हर जिले में हर मुकदमे का हैड रखना होगा, अर्थात् हमको ज़िला अफसरों के ५१ सैट रखने होंगे जब कि बम्बई राज्य को केवल २५ ऐसे सेट रखने होंगे। फिर आप आबादी के हिसाब से देखें कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति प्रशासन का कितना खर्चा होता है और बम्बई में कितना होता है। बम्बई में प्रति व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ४.५६ रुपया है जब कि उत्तर प्रदेश में २.५६ रुपया है। फिर भी कहा जाता है कि हमारे यहां प्रशासनिक व्यय ज्यादा होता है; मैं नहीं जानता कि कहां से पणिकर साहब ने ये फिगर्स निकाले हैं और कैसे यह हिसाब लगाया है। वास्तव में उनका हिसाब गलत है। इससे आपको मालूम होगा कि हम बम्बई के मुकाबले ज्यादा एफीशेंसी से अपना काम चला रहे हैं और इतने ही खर्चे में दूसरे प्रदेशों का भी कुछ काम कर देते हैं। मैं यह नहीं कहता कि बम्बई का काम इनएफीशेंटली चलाया जा रहा है, पर चूंकि उत्तर प्रदेश का बम्बई से मुकाबला किया गया था इसलिये मैं ने यह व्याख्या की है।

शिक्षा के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर बहुत कम खर्चा होता है। मैं आपसे निवदन करूं कि सन् १९४६-४७ में उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर २.५७ करोड़ रुपया खर्च होता था। मैं बीच के वर्षों के अंक नहीं दूंगा क्योंकि समय कम है। सन् १९५४-५५ में यह खर्चा ९.४७ करोड़ है और इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में एग्रीकल्चरल एजूकेशन (कृषि सम्बन्धी शिक्षा) आदि पर अलग खर्चा होता है। हमारे यहां शिक्षा पर लगातार खर्चा बढ़ता जा रहा है और कई गुना बढ़ गया है अगर आप सन् १९४७ के आंकड़े देखें। मैं ज्यादा समय न ले कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम अपनी परेशानी और दिक्कत की ज्यादा चर्चा नहीं करते तो यह न समझा जाय कि हम स्वावलम्बी हैं। वास्तविकता यह है कि हमारा भविष्य अन्धकारमय है न हमारे प्रदेश में कोई इडस्ट्रीज कायम की जा रही हैं, न हमारे यहां कोई नदी घाटी परियोजना हैं जिसके द्वारा कि हम विकसित हो सकें। कहा जाता है कि हमारे तो प्राइम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर हैं। लेकिन इससे हमारी स्टेट की स्थिति तो नहीं सुधर सकती। हम यह देख रहे हैं कि कुछ दिनों में हमारे प्रदेश की आर्थिक दशा बहुत खराब होने वाली है। इसलिये हमारी स्थिति को बनाने के लिये उन्हीं सिद्धान्तों पर अमल करना चाहिये जिन पर कि यह रिपोर्ट आधारित है ताकि हम भी सुखी हो सकें, हम भी समृद्धशाली हो सकें और जैसा और जगह विकास हो रहा है वैसा हमारे प्रदेश में भी हो सके।

श्री सी० डी० पांडे (ज़िला नैनीताल व ज़िला अल्मोड़ा—दक्षिण—पश्चिम व ज़िला बरेली—उत्तर) : वास्तव में हमारे देश के इतिहास में यह क्षण महान् और अद्वितीय है। पिछले तीन हजार वर्षों में भारत का नक्शा अनेकों बार बनाया गया है। किन्तु उसके साथ सदा संघर्ष और विजय संबद्ध रहे हैं। नक्शा बनाने में देश की जनता का कोई हाथ नहीं था। आज इतिहास में यह प्रथम अवसर है जब कि जनता द्वारा चुने गये संसद् सदस्य राज्यों के पुनर्गठन पर शांतिपूर्वक विचार कर रहे हैं।

धीरे-धीरे भाषावार राज्य अस्तित्व में आये और हम उनका विरोध नहीं करते हैं। हमारे देश में विभिन्नता और समानता दोनों ही हैं और ये दोनों हमारे राष्ट्रीय आस्तियां हैं। इन्हीं पर हमें देश का भविष्य आधारित करना है। लोग कहेंगे कि विभिन्नता आस्तियां कैसे हैं। मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि ज्योंही हम भाषावार राज्य बनाते हैं लोग राज्य के प्रति बहुत अपनत्व का अनुभव करेंगे। उस से जनसम्पर्क स्थापित होगा और वहां की सरकार का जनता से अधिक सम्पर्क होगा। राज्य की समग्र कार्यवाही ऐसी भाषा में की जा सकती है जो सभी व्यक्तियों द्वारा समझी जाती है। हम भाषा और उसके साहित्य का विकास कर सकते हैं और हम उस स्थान की कला और संस्कृति का भी विकास कर सकते हैं। विभिन्नता का यह पक्ष अत्यधिक उपयोगी है और हमें उसका पूर्ण विकास करना चाहिये। हमें उस प्रदेश की प्रतिभाओं की खोज करनी चाहिये ताकि आगे चल कर देश को लाभ हो सके।

साथ ही राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की महानता पर अधिक ज़ोर दिया जाना चाहिये। पिछले तीन-चार दिनों में जो कुछ हमने सुना उससे प्रतीत होता है कि भाषावार राज्यों पर ही अधिक जोर दिया जा रहा है। हमें आवश्यकता है उचित समन्वय की। हमें एकता और इस भूमि की सुरक्षा की परम आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिये।

इसलिये प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि राज्य का वांछनीय आकार क्या हो। यह कठिनाई इसलिये है क्योंकि हमारे देश में १४ प्रादेशिक भाषायें बोली जाती हैं। आसामी एक ऐसी भाषा है जिसे सबसे कम लोग बोलते हैं। विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों की संख्या भिन्न-भिन्न है और इस कारण किसी राज्य का वांछनीय आकार निर्धारित करना कठिन हो जाता है।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री मोहन-लाल सक्सेना ने सुझाव दिया है कि पूरे देश को छै या सात भागों में विभाजित किया जाये और मैं इसका समर्थन करता हूं। किन्तु भाषा के आधार पर राज्यों के परिसीमन के सम्बन्ध में हम पर्याप्त कार्य कर चुके हैं और भाषावार राज्यों की कल्पना का त्याग करना इस समय असंभव है। किन्तु मैं उन से अपील करूंगा कि वे अपनी मांगों को सीमित रखें और समस्या को सही दृष्टिकोण से देखें। बम्बई के बारे में जो विवाद है वह हमें अत्यन्त अरुचिकर लगता है। पहले हम ने यह कल्पना नहीं की थी कि विवाद इस सीमा तक पहुंच जायेगा। जब काका साहब गाडगील ने संयुक्त महाराष्ट्र के लिये आन्दोलन प्रारम्भ किया तब हमें उसमें कोई अवांछनीय बात दिखाई नहीं दी थी किन्तु बाद में जिस ढंग से वह बोले वह हमें पसंद नहीं आया। हम कोई हल खोज निकालना चाहते थे किन्तु हम इसमें सफल नहीं हुए। उनका कथन है कि यदि प्रश्न अनिर्णीत रहा तो उसे बम्बई की गलियों में हल किया जायेगा। मांग की पूर्ति न किये जाने पर प्रश्न को बम्बई की गलियों में हल किया जायेगा इस तरह की धमकी देना एक ऐसी बात है जिसमें हमारे बुरे भविष्य की चेतावनी निहित है।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने केवल यही कहा कि यदि नेतागण प्रश्न को हल करने में असफल रहे तो उसे जनता द्वारा हल किया जायेगा।

श्री सी० डी० पांडे : इसका अर्थ यही है।

श्री रघुनाथ सिंह (ज़िला बनारस-मध्य) : किन्तु वह जनता के प्रतिनिधि हैं।

श्री सी० डी० पांडे : कोई भी संसदज्ञ इस तरह की स्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। वह केवल यही कहेगा कि यदि आप ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे कि लोग अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने पर बाध्य हों तो मैं उस समय कुछ कर नहीं सकूंगा।

श्री एच० जॉ० वैष्णव (अम्बड) : आप जो कुछ कहना चाहते हों कहिये ; आप दूसरों के भाषणों की आलोचना क्यों करते हैं ?

श्री मी० डी० पांडे : बम्बई का उल्लेख मैं ने केवल एक उदाहरण के रूप में किया । श्री गाडगील या किसी अन्य सदस्य के भाषण की मैं ने कोई आलोचना नहीं की है ।

यदि राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में किसी बात का किया जाना संभव न हो तो हमें निर्णय को सिर से झुका कर स्वीकार कर लेना चाहिये । यदि हमने ऐसा न किया तो हम राष्ट्रीय सुरक्षा के अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकेंगे ।

माननीय सदस्यों ने बंधुत्व के बारे में भी कहा है । बंधुत्व का विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है । लोग इस बात को भूल जाते हैं कि बंधुत्व , एकरूपता, हितों का सादृश्य ये बातें ऐसी हैं जो मानव समाज के साथ ही विकसित होती हैं । नये बंधुत्व का एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं । नवीन बंधुत्व किस प्रकार विकसित हो सकता है । इसका सर्वोत्तम उदाहरण श्री एम० ए० अय्यंगार हैं । आप विशुद्ध तामिल ब्राह्मण थे और रेड्डी की भूमि पर कुछ ही शताब्दियों तक रहने के कारण उनमें बंधुत्व की भावना विकसित हुई है । इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि हमारे बीच कितने अंतर हैं इस बात को खोज न कर के हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिये कि हम कहां एक हैं ।

उदाहरण के लिये हमारे देश को भाषा के आधार पर या भौगोलिक आधार पर विभाजित किया जा सकता है, एक राज्य के किसी श्रमिक को अन्य राज्यों में रहने वाले अन्य श्रमिकों के प्रति बंधुत्व की अनुभूति हो सकती है । उसी प्रकार यह भी संभव है कि एक राज्य के हरिजन, जो अत्यधिक त्रस्त हों, अन्य राज्यों में रहने वाले हरिजनों के प्रति अधिक बंधुत्व अनुभूत करें । क्या आप बंधुत्व के आधार पर देश का विभाजन करने जा रहे हैं ? क्या आप ब्राह्मण और अब्राह्मण के आधार पर देश का विभाजन करने जा रहे हैं ? या कि आप अपने आस-पास की भाषा या संस्कृति के आधार पर देश का विभाजन करने जा रहे हैं । मैं कहता हूं कि हमें ऐसे व्यापक आधार अधिक ढूंढ़ने चाहियें जो हमें देश से सम्बद्ध करते हैं । ऐसा एक सिद्धांत एकता है, और यह सबको ज्ञात है, अतएव उस के बारे में मैं विस्तार-पूर्वक नहीं कहूंगा ।

इस देश में जीवन के प्रति दृष्टिकोण में एक बुनियादी एकता है और यही भारत-वासियों का दार्शनिक दृष्टिकोण है । हमें उक्त दृष्टिकोण के पुनः अपनाये जाने के लिये प्रयास करना चाहिये । अन्यथा हम इससे वंचित रहेंगे । यदि हम इस सिद्धांत या दृष्टिकोण से डिग गये तो देश में संगठित नेतृत्व कैसे हो सकता है और हमारी एक सुयोग्य केन्द्रीय सरकार कैसे हो सकती है ?

केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त हम एक केन्द्रीय नेतृत्व भी चाहते हैं । किन्तु यदि जनता की भावना यह हो कि किसी अन्य राज्य के अपने एक बन्धु को चूंकि हम विदेशी समझते हैं या हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसके हितों की देखभाल उसके अपने राज्य में रहने देने से ही हो सकेगी, और हम उसे अपने में शामिल नहीं कर सकते हैं तो मैं पूछता हूं कि क्या यही मनोवृत्ति है जिससे हम केन्द्रीय नेतृत्व का निर्माण कर सकते हैं ?

अगले १५ या २० वर्षों के बाद देश के नेता कौन होंगे ? अगली पीढ़ी के लिये हमें एक ऐसे वातावरण का सृजन करना है जिस में कि गुजरात का व्यक्ति महाराष्ट्र का या देश के किसी अन्य भाग का नेतृत्व कर सके । यदि ये विग्रहवादी प्रवृत्तियां और एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच मौजूदा मतभेदों को पनपने दिया गया तो देश की क्या स्थिति होगी ? हमें महात्मा गांधी जैसे अखिल

भारतीय नेता कैसे प्राप्त होंगे ? क्या आप जानते हैं कि सभा में हुई चर्चा का अखिल भारतीय सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ? हमारे अभियानों से उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही हैं । संसद् सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के विचारों को व्यक्त करना चाहिये और साथ ही साथ उनका देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य है । संसद् सदस्यों पर दोहरा दायित्व है और इस नाते उनकी जिम्मेवारी भी अधिक है । लोग कहते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष एक कठिन और विशाल कार्य है । मेरा ख्याल है कि चूंकि हम संसद सदस्य जनता की सामुहिक बुद्धि के प्रतिनिधि हैं इसलिये हमें और भी कठिन कार्य करना है । यह हमारी परीक्षा का समय है और हम अपनी जिम्मेवारी किस प्रकार निबाहते हैं इस बात की ओर सारे देश की आंखें लगी हुई हैं । मैं देखता हूं कि स्वयं हम में मतभेद है । इसलिये हमें अपने विचारों में वांछनीय परिवर्तन लाना होगा । मुझे विश्वास है कि हम अपनी जिम्मेवारियां उचित रूप से निबाह सकेंगे ।

बार-बार यह आलोचना की जाती है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है । मैं उत्तर प्रदेश की ओर से नहीं बोल रहा हूं । हम यहां न केवल अपने चुनाव क्षेत्र का वरन् सारे देश के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं । मैं आप से अनुरोध करूंगा कि कृपा कर के समूचे प्रश्न को उक्त दृष्टिकोण से देखिये । उत्तरप्रदेश को आप चाहें जैसा विभाजित करें या देश में ३६ राज्य बनायें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । देश में ३६ राज्य भी हो सकते हैं किन्तु उनमें एकता की भावना होनी चाहिये । आज जो प्रश्न हमारे समक्ष है वह यह नहीं है कि राज्यों का विभाजन किस प्रकार किया जाये अपितु प्रश्न यह है कि देश को किस प्रकार महान बनाया जा सकता है । यदि देश के हित में उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में विभाजित किया जाना वांछनीय हो तो अवश्य कीजिये । यदि आप समझते हैं कि दक्षिण भारत का एक संयुक्त राज्य बनाया जाना ही देश हित के लिये सर्वोत्तम है तो ऐसा हर हालत में कीजिये । उत्तरी भारत के अपने मित्रों की ओर से मैं बिना किसी हिचक के यह कह सकता हूं कि किसी भी समय उत्तर प्रदेश से बड़े दक्षिण प्रदेश का हम स्वागत करेंगे ।

मैं यह पूर्ण प्रामणिकता के साथ कहता हूं कि भाषावार राज्यों की भावना को आप आवश्यकता से अधिक महत्व दे रहे हैं । अपने माननीय मित्रों से मेरी अपील है कि वे इस प्रश्न को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें और संगठित भारत में भाषावार राज्यों के सिद्धांत और कार्यकरण पर उचित जोर दें ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ—मध्य) : सभापति महोदय, यह बात तो सभी को मालूम है कि यह जो राज्य पुनर्गठन की रिपोर्ट है वह एक बहुत ही योग्यता से तैयार की गई रिपोर्ट है और जिस पर हमारे देश के तीन महान व्यक्तियों के, बड़े बड़े विद्वान व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं । यह ऐसे व्यक्ति हैं जिन की राय और धारणाओं को हम को बड़े सम्मान के साथ देखना है । इस कमीशन ने राज्य पुनर्गठन की समस्या का हर पहलू से देख कर हर दृष्टिकोण से इस कठिन समस्या पर विचार कर के अपने प्रस्तावों की रिपोर्ट दी है । इस से मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि यदि इस में अब कोई भी संशोधन की गुजाइश नहीं । मेरा तो यह विचार है कि यदि देश के हित में कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो उस को अवश्य किया जाये, परन्तु जब हमारे सदन के कुछ भाई देश के हित के अतिरिक्त दूसरी बातों को लेकर उस कमीशन की सिफारिशों का विरोध करते हैं तो मुझे दुःख होता है ।

इस कमीशन ने यू० पी० के सम्बन्ध में यह राय दी है कि उस को जैसा वह है वैसा ही रक्खा जाये, उस का विभाजित न किया जाये। केवल उसके एक सदस्य ने यह कहा है कि उस को छोटा कर दिया जाये । यहां

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

पर हमारे अध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि चूंकि इस रिपोर्ट में यू० पी० का विभाजन करने का या टुकड़े करने का कोई जिक्र नहीं है इसलिये यू० पी० के सदस्यों को भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस से बड़ा सन्तोष हुआ था, जितने भी यू० पी० के सदस्य हैं सभी को इस से सन्तोष हुआ था, परन्तु यहां पर सदन के कुछ मैम्बरों ने जब छिपे छिपे कई बार यू० पी० पर छींटाकसी की और इस किस्म की बातें खुल्लम खुल्ला न कह कर दरपर्दा कहा कि यू० पी० बहुत बड़ा है और उस के टुकड़े कर देने चाहियें तो यह नहीं मालूम होता था कि यू० पी० का कोई दोष है। बल्कि इस मांग का कारण यह था कि यह बहुत बड़ा है। इस से मन में सन्देह पैदा हुआ है कि आखिर इस पर्दे में क्या रहस्य छिपा हुआ है? इस से मुझे को कुछ डर लगा कि आखिर क्यों यह बात बार बार कही जाती है। केवल इसीलिये में यह प्रमाणित करना चाहती हूं कि जो लोग इस उत्तर प्रदेश के, दो या दो से, अधिक भागों में बांटने की बात करते हैं वह एक अति अनुचित व अनावश्यक बात कहते हैं।

यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बहुत बड़ा है। यही उस का कसूर है जिस के कारण यह मांग की जा रही है कि उस को विभाजित कर दिया जाये। परन्तु, सभापति महोदय, जब संसार में इस प्रकार की विचार धारायें चल रही हैं कि जितने भी संसार के देश हैं वह अपनी छोटी छोटी इकाइयों को संगठित करें और बड़े बड़े राज्य बनायें जिस में कि वह संगठित हो कर शक्तिशाली हो सकें और एकानमिकि दृष्टि से सुचारु रूप से अपना शासन चला सकें, उस समय जो हमारा सुसंगठित प्रदेश है उस को बड़ा देख कर छोटा करने की बात सुन कर दुःख होता है। मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर कोई भी ऐसा देश आज संसार जैसे, अमरीका में, रूस में, आस्ट्रेलिया में, कहीं भी क्या राष्ट्र की सभी इकाइयां एक समान हैं कोई भी राष्ट्र है जिस की सारी इकाइयां एक समान हों? देशों में कोई इकाई छोटी रहती है और कोई बड़ी रहती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि चूंकि यू० पी० बहुत बड़ा प्रदेश है इसलिये देश में बैलेंस नहीं है। लेकिन आज जैसी कि कमीशन ने रिपोर्ट दी है यदि वह इसी तरह से मान ली जाये तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो मध्य प्रदेश बनने जा रहा है यह उत्तर प्रदेश से भी बड़ा बनने जा रहा है। लिहाजा संतुलन और बैलेंस की जो बात की जाती है वह भी बराबर हो जायेगी। इसके साथ ही यह शिकायत भी दूर हो जायेगी कि यू० पी० बहुत बड़ा है।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि यदि छोटे-छोटे राज्य इस देश में रहे तो हमारे देश की जो एकता है वह छिन्नभिन्न हो जायेगी। केन्द्र में व्यय भी अधिक होगा और वह रुपया बचाकर इसको निर्माण कार्यों में लगाया जाये तो कितना ही अच्छा हो। कमिशन ने तो १६ प्रान्तों के बनाये जाने का सुझाव दिया है लेकिन मैं चाहती हूं कि १६ के बजाय यदि १४ प्रान्त ही बनाये जायें तो ज्यादा अच्छा होगा। पिछले पांच छः वर्षों में यू० पी० में जितना विकास हुआ है जितनी प्रगति यू० पी० ने की है और जिस से हमारे देश के जो बाकी राज्य हैं वह प्रभावित हुए हैं, मैं कहती हूं वह सम्भव नहीं हो सकता था यदि इसको छोटी कर दिया जाता। साथ ही साथ जो उसकी एकोनोमी है वह भी खराब हो जाती और जो योजनायें वहां पर चालू हैं उनमें भी बहुत खलल पड़ता। अब भी मैं समझती हूं कि कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता यू० पी० का विभाजन किये जाने के पक्ष में। सारा यू० पी० एक अंग के समान है। यदि इसके अंग का कोई भी भाग, हाथ या पैर, अलग कर दिया गया तो सारा अंग बेकार हो जाएगा और यू० पी०

अंगहीन और दुर्बल बन जायेगा । ऐसा करने से न सिर्फ हमारा यू० पी० अंगहीन बनेगा। बल्कि सारा देश कमजोर हो जायेगा । इस वास्ते यह देश के हित में ही है कि उसको बनाये रखा जाये और उसका कोई भी हिस्सा उससे अलग न किया जाये । यदि ऐसा नहीं किया गया और उसका विभाजन ही किया गया तो उसका नतीजा यह होगा कि दो मुख्य मंत्री बन जायेंगे, दो मंत्रीमंडल बन जायेंगे और जो सदस्य मंत्रीमंडल में शामिल होंगे उनके अपने निजी स्वार्थ अपश्य पूरे होंगे परन्तु इससे न उत्तर प्रदेश का हित होगा न देश का । इसलिये यू० पी० का विभाजन करने से कोई लाभ नहीं होगा और इसके बजाये हानि ही होगी ।

श्री आर० एस० दीवान (उस्मानाबाद): कौन कहता है कि विभाजन हो ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : इधर से आप नहीं कहते तो उधर से तो वह लोग कहते हैं कि विभाजन हो । इसका मैं घोर विरोध करती हूं । जो लोग उत्तर प्रदेश का खंडन चाहते हैं उन्होंने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा । बजाय एकता उत्पन्न करने, देश के बड़े क्षेत्र में मित्रता का भाव उत्पन्न करने, वह देश के एक बड़े प्रान्त में फूट व विभाजन चाहते हैं। वह बड़े बड़े अवतारों की जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश ने बड़े बड़े नेताओं को जन्म भी दिया है। हमारे प्रदेश की संस्कृति एक है, भाषा एक है, यू० पी० हमारे देश का हृदय है । यदि हमने इस हृदय के टुकड़े किये तो सारा देश कमजोर हो जायेगा और यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी ।

कहा जाता है कि यू० पी० की आबादी बहुत ज्यादा है और यह कोई ६ करोड़ के करीब है । इनका रिप्रिजेंटेशन सेंटर में ज्यादा रहता है और इस कारण से उनको भय है कि यह दूसरे प्रान्तों के ऊपर हावी हो जायेगा और यह दबाने का प्रयत्न करेगा । परन्तु सभापति महोदय, मैंने देखा है कि पिछले आठ वर्षों में हमारे प्रान्त के सदस्यों ने यह कोशिश नहीं की और न ही उनके हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई कि वह सेंटर में अपना प्रभाव जमायें या अपने बहुमत से बेजा फायदा उठायें । उनकी हमेशा यह भावना रही है कि देश एक है और इसके सारे प्रान्त हमको प्रिय व मूल्यवान हैं। जैसा कि अभी एक भाई साहब ने कहा उत्तर प्रदेश के लोगों में प्रान्तीयता नहीं है । हम तो समस्त देश का भला चाहते हैं और हमारा किसी भी प्रदेश से द्वेष नहीं है। हम तो सब प्रान्तों का कल्याण चाहते हैं ।

जिस प्रकार के मैं ने इस सदन में भाषण सुने हैं उनसे तो मुझे ऐसा भास होता है कि यह जो हमारा सदन है यह कोई दानशाला है या कोई धर्मशाला है या यहां पर कोई सदाव्रत लगा हुआ है । हर प्रान्त अपनी मांग लिये हुए हैं और झोली फैलायें खड़ा है। कोई हिमाचल मांगता है, कोई महाराष्ट्र मांगता है, कोई विशाल आंध्र मांगता है और कोई पंजाबी सूबा मांगता है। सभी अपने अपने स्वार्थों में रत हैं। किसी का भी भारत की तरफ ध्यान नहीं है जिस को कि वह छिन्न-भिन्न करते जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि लोकल पैट्रियोटिज्म (स्थानीय निष्ठा) बहुत अच्छी चीज है यदि वह देश के हित के विरुद्ध न हो । हमें समस्त भारत की भलाई को देखना चाहिये न कि अपने अपने प्रान्तों को । इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहती हूं जिसे सुन कर मुझे बड़ा अचम्भा हुआ । इस सदन के सभी सदस्य किसी न किसी चीज की मांग कर रहे हैं लेकिन हमारे पूज्य हुक्म सिंह जी ने जो स्पीच दी उसमें उन्होंने महान त्याग दिखलाया। उन्होंने कहा कि हम को और कुछ नहीं चाहिये केवल पंजाबी सूबा चाहिये, और अगर आप चाहते हैं तो एक आध ज़िला आप ले सकते हैं। यह बात सुन कर मुझे बड़ी हैरानी हुई । मुझे यह बात समझ नहीं आई कि यह महान त्याग किस लिये किया जा रहा है । क्या यह त्याग विशाल दिल्ली बनाने के लिये किया गया

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

है या किसी और कारण से किया गया है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई ।

हमारे राधा रमण साहब ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली हम चाहते हैं और चाहते हैं कि दिल्ली सेपेरेट स्टेट रहे । और यदि इसको केन्द्र द्वारा शासित किया गया तो हम इसको सहन नहीं करेंगे । यह भी उन्होंने कहा कि यदि यह सेपेरेट स्टेट न भी रही तो भी मैं सरकार का विरोध नहीं करूंगा । साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली को ए० क्लास की स्टेट बना दिया जाना चाहिये । उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली बड़ा राज्य बनाया जाये लेकिन मैं किसी दूसरे राज्य के इलाके की मांग नहीं करता यह केन्द्र स्वयम् सोच कर कोई निर्णय करे अब सोचने की बात यह है कि यह किस तरह से बड़ा प्रान्त बने और किस तरह से यह ए० श्रेणी का राज्य बनाया जाये । सभापति महोदय, आप तो जानते ही हैं कि यह पूर्व से निश्चित था कि 'ग' श्रेणी के राज्य, नहीं रखे जायेंगे । उनको चाहिये था कि वह निश्चय करके एक ही चीज़ मांगते । फिर यह तो वही बात हुई उंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ना । जब दिल्ली को 'क' श्रेणी का स्टेट बनाया गया तो वह एक गलती थी । परन्तु जैसा कहा जाता है कि एक गलती को छिपाने के लिये मनुष्य दूसरी गलती करता है । यदि हम जैसा कि राधा रमण साहब कहते हैं करें तो यह एक दूसरी गलती होगी । हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी ने लोगों को यह बताया कि व्यक्ति की महानता इसी में है कि वह अपनी गलती को मंजूर कर ले और कहे कि मुझ से गलती हो गई है । इसी से उसकी ग्रेटनेस (महानता) जाहिर होती है । यदि इसको सी० क्लास स्टेट बने रहने दिया जाये या इसको ए० क्लास स्टेट बना दिया जाये तो क्या कारण है दूसरी स्टेटस के साथ भी ऐसा ही व्यवहार न किया जाये ।

सभापति महोदय : अब आपका टाइम खत्म हो गया है, अब आप बैठ जाइये ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : सिर्फ दो मिनट और दीजिये, मैं जल्दी-जल्दी खत्म किये देती हूं ।

मैं यह कह रही थी कि उन्होंने जो यह कहा कि इसको ए० क्लास स्टेट बना दिया जाये और साथ ही यह कहा कि यदि इसको न भी बनाया गया तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, यह कहना बेकार है । यह सभी मैम्बर जानते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है और होगा वही जो होना तय पाया है । "हुई हैं सोई हैं जो राम रच रखा ।" यह मेरा कहना है ।

सभापति महोदय : अब आप बन्द करें, आपने सिर्फ पांच मिनट ही मांगे थे ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : सिर्फ एक बात कह कर मैं समाप्त किये देती हूं ।

इस सदन में, सभापति महोदय, बड़े-बड़े ओजस्वी व महान व्यक्ति हैं । वह अपने-अपने प्वाइंट्स (तर्कों) को ले कर और अपनी-अपनी मांगों को ले कर जब भाषण देते हैं तो सुनने वाला चकित रह जाता है । सभापति महोदय, जिसका भाषण इस सदन में मैं सुनती हूं वही मुझे न्याययुक्त व सही जंचता है । जब मैं ने पाटिल साहब का भाषण सुना तो ऐसा भास हुआ कि जो कुछ वह कह रहे थे उसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं हो सकती थी । सब बातें सच्ची ही मालूम पड़ती थीं । सार उनका सब दलीलों में जंचता था । फिर जब गाडगिल साहब का भाषण मैंने सुना तो सारा सार उसी में जचने लगा । इन सब भाषणों को सुन कर मुझे ऐसा लगा कि जितने व्यक्ति हैं उतनी ही राय हैं और अपनी अपनी जगह पर सब दुरुस्त और ठीक कहते हैं । पेशतर इसके कि यह सदन कोई निर्णय करे मैं यह उचित समझती

हूं कि इन सब बातों का फैसला करने की जिम्मेवारी हमें अपने तपे हुये नेताओं पर छोड़ देनी चाहिये और उनके चरणों में सब मामले डाल दें और जो वह फैसला दें उसको हम स्वीकार कर लें । कांग्रेस हाई कमांड ढबर भाई, पन्त जी और नेहरु जो देश की हर बीमारी के मसीहा हैं और जो वह फैसला करेंगे वह ठीक ही होगा।

सभापति महोदय : बस समाप्त कीजिये । अब मैं और अधिक समय नहीं दूंगा । श्री दीवान ।

श्री आर० एस० दीवान : महाराष्ट्र के सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो सिफारिशें की हैं वे मुझे स्वीकार नहीं हैं । राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार मराठवाड़ा बम्बई-महाराष्ट्र के साथ जोड़ दिया गया है, किन्तु हम चाहते हैं कि विदर्भ मराठवाड़ा और बम्बई-महाराष्ट्र की मराठी भाषी जनता के लिये एक राज्य बनाया जाये तथा इस राज्य की राजधानी बम्बई हो । कुछ सदस्यों ने अपने भाषणों में हम पर यह आरोप लगाया है कि हम राष्ट्र की एकता की ओर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं । भाषा एक ऐसी चीज है जिस से मनुष्य का सदा सम्बन्ध रहता है । इतिहास यह बताता है कि हजार वर्षों की परतंत्रता के बावजूद हम अपनी प्रान्तीय भाषाओं को भूले नहीं हैं । कोई एक हजार वर्ष पूर्व इस देश में फारसी और उर्दू भाषायें आईं और १५० वर्ष पूर्व अंग्रेजी आई । किन्तु इन भाषाओं के बावजूद भी हमारी प्रान्तीय भाषाओं का विकास हुआ है । यदि एक भाषा को समझने वाले सभी व्यक्ति एक साथ रहना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में यह कोई अपराध नहीं है । इसके अतिरिक्त राज्य पुनर्गठन आयोग के निर्देशपदों में भाषा भी एक थी और केवल भाषा के लिये हम नहीं लड़ रहे हैं । यदि हमें प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय स्वावलंबित्व राष्ट्र का हित और एकता इन बातों का ध्यान न होता तो हम संयुक्त महाराष्ट्र की मांग ही न करते । किन्तु उक्त सभी बातों को देखते हुए हम चाहते हैं कि सभी मराठी-भाषी व्यक्ति एक राज्य के अन्तर्गत लाये जायें । जहां तक राष्ट्रीय एकता का सवाल है मेरी समझ में नहीं आता कि यदि एक भाषा को समझने वाले व्यक्ति एक राज्य के अन्तर्गत आना चाहें तो उसमें राष्ट्रहित-विरोधी कौन सी बात है । जब हम बम्बई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाये जाने के बारे में कुछ कहते हैं तब राष्ट्रहित, सर्व-देशीयता और अन्य बातों की दुहाई दी जाती है, किन्तु किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि संयुक्त महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई बनाये जाने से राष्ट्रहित का क्या अनिष्ट होगा । धर्म निरपेक्षता के बारे में भी कहा गया है और जो इस तरह की बातें करते हों क्या मैं उन से पूछ सकता हूं कि अंग्रजों के भारत से चले जाने के बाद बम्बई में या महाराष्ट्र में कोई हिन्दु-मुस्लिम दंगा हुआ ? कोई दंगा नहीं हुआ और इसलिये धर्म निरपेक्षता के बारे में हमें सीख देना कोई मानी नहीं रखता है ।

उद्योगपतियों के मन में भय और आशंकायें हैं और वे कहते हैं कि उन्हें भय है । किन्तु भय किस बात का है ? क्या संयुक्त महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई बनते ही हम सभी उद्योगों को नष्ट कर देंगे ? यदि उन्हें भय ही था तो उन्होंने उसे अब तक व्यक्त क्यों नहीं किया ? यदि उनकी आशंकायें सत्य हों तो निश्चय ही उन पर हम विचार कर सकते हैं । इस तरह के प्रचार से गलतफहमी पैदा की गई है और बम्बई के बारे में जो हमारा दावा है उसे अस्वीकार किया गया है ।

एक माननीय सदस्य : संभव है कि नेताओं ने उसे अस्वीकार किया हो किन्तु राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या राय है ?

श्री आर० एस० दीवान : हैदराबाद राज्य के मरा वाड़ा भाग का मैं निवासी हूं । राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों

[श्री आर० एस० दीवान]

के अनुसोर पूरे मराठवाड़े को महाराष्ट्र में मिला दिया गया है किन्तु बीदर जिले को, जो कि एक बहुभाषी जिला है, आंध्र में रखा गया है । यदि बीदर की बहुसंख्यक मराठी-भाषी जनता का विचार किया गया होता तो पूरा बीदर जिला महाराष्ट्र में मिलाया जाना चाहिये था । उसके बदले उसे तेलंग ना में मिलाया गया है । मेरे विचार से महाराष्ट्र के प्रति यह एक अन्याय है इसलिये मेरी इच्छा है कि इस क्षेत्र का ग्रामवार वितरण किया जाये और ऐसे प्रत्येक ग्राम को मराठवाड़े में मिलाया जाये जहां ५० से ले कर ६० प्रतिशत व्यक्ति मराठी भाषी हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य और कितना समय लेंगे ?

श्री आर० एस० दीवान : लगभग दस मिनट और लगगे ।

सभापति महोदय : तब आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

***सदस्यों के लिखित वक्तव्य**

पंडित लिंगराज मिश्र (खुर्दा) : मैं आयोग की केवल उड़ीसा सम्बन्धी सिफारिशों तक ही अपने को सीमित रखूंगा । उड़ीसा और अन्य राज्यों के उड़ीसा भाषा भाषी लोगों को आयोग की इस सिफारिश से बड़ी निराशा हुई है कि वर्तमान उड़ीसा राज्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये । जिन मंत्रियों ने प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद उक्त क्षेत्र का दौरा किया है, उन्होंने समस्त राज्य में जनता की निराशा और क्रोध का भली भांति अनुभव किया होगा । वहां के लोग इसलिये सिफारिश का विरोध करते हैं ।

आयोग ने उड़ीसा सरकार और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा सिंहभूम के सदर और सरायकेला सब डिवीजनों को उड़ीसा में मिलाये जाने के लिये दिये गये ज्ञापनों के तर्कों और प्रक्रियों पर कोई ध्यान नहीं दिया है । आयोग ने ओडोनल समिति की सिफारिशों का उल्लेख कर के वर्तमान परिस्थितियों की सर्वथा अवहेलना की है । उड़ीसा में मयूरभंज, क्योंझर और सुन्दरबाग क्षेत्रों के विलय ने सिद्ध कर दिया है कि भौगोलिक दृष्टि सिंहभूम की उड़ीसा के साथ भौगोलिक अखण्डता है । अब उड़ीसा के साथ इस प्रदेश की सड़क परिवहन व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई है । अब हाऊस भी इस प्रदेश के उड़ीसा में मिलाये जाने के पक्ष में हैं और उनके प्रतिनिधियों ने आयोग पर इस विलय के लिये ज़ोर दिया था । सिंहभूम के आदिम जातियों के बहुत से प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के समक्ष आयोग की सिफारिशों का विरोध किया है । उड़ीसा सरकार ने अनुसूचित आदिमजातियों की अवस्था को सुधारने के लिये बहुत धन खर्च किया है और अनेक योजनायें बनाई हैं, जिससे सिंहभूम जिले के होस और सन्थाल उड़ीसा की ओर आकर्षित हो गये हैं, और फिर होस अधिकतर उड़ीसा में ही रहते हैं, इसलिये अब वे अनुभव करते हैं कि उड़ीसा में उनके हितों की सर्वोत्तम रक्षा हो सकती है ।

ज़िले में उड़िया भाषा भाषी जनता अन्य भाषा बोलने वाली जनता से कहीं अधिक हैं । अपितु धलभूम सब डिवीजन में बंगला भाषा भाषी लोगों की बहुसंख्या है । इसलिये धलभूम को पश्चिम बंगाल में मिलाकर शेष सिंहभूम जिले को उड़ीसा में मिलाना ही न्यायोचित है ।

रायपुर जिले के फुलझार और बिन्दरानवागढ़ जमींदारियों के बारे में मैं श्री सी० डी० देशमुख के इस कथन का उल्लेख करूंगा कि फुलझर के अधिकतर निवासी उड़ियां हैं और उन्होंने ही उद्योग तथा उपक्रमों के

---

*लोकसभा समाचार भाग-२ दिनांक २० दिसम्बर, १९५५ के परा २७१० के अनुसार राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सदस्यों के दृष्टिकोणों को प्रकट करने वाले लिखित वक्तव्य ।

द्वारा इस क्षेत्र को समृद्ध बनाया है । महासमुंद तहसील और छत्तीसगढ़ में भी उड़िया लोगों की बहुसंख्या है । बस्तार राज्य की चार पूर्वी तहसीलों में भी अधिकतर उड़िया बोलने वाले लोग रहते हैं और इस क्षेत्र के दूसरे आदिमजाति के लोगों का उड़ीसा के कोरापुत जिले के आदिम जाति के लोगों से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । यहां का व्यापार भी कोरापुत जिले के रास्ते से होता है । अतः मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों पर उड़ीसा का दावा बिल्कुल उचित है । आयोग ने इस दावे को छुआ तक नहीं है जिस का प्रमाण यह है कि संबलपुर जिले के पांच गावों के उड़ीसा में मिलाये जाने की कोई सिफारिश नहीं की गई है, जिनकी आबकारी सम्बन्धी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उड़ीसा के अधिकारियों द्वारा की जाती है । अब जब कि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य बनने जा रहा है, उसे इन उड़िया भाषी छोटे इलाकों को उड़ीसा में मिलाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, इसके विपरीत उसे इन अविकसित इलाकों के वित्तीय भार से मुक्ति मिल जायगी ।

आंध्र और उड़िसा इतने मिले जुले हैं कि आंध्र के बहुत से उड़िया भाषा भाषी इलाकों पर उड़ीसा का दावा है । और उड़ीसा के कुछ इलाकों पर आन्ध्र का दावा है । इस मामले को तो एक सीमा समिति नियुक्त करके अधिक संतोषजनकपूर्वक हल किया जाना चाहिये, जिससे कि दोनों राज्यों को संतोष प्राप्त हो सके ।

अन्त में मैं संसद और भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आयोग के प्रतिवेदन में उड़ीसा और उड़िया भाषा-भाषी इलाकों के प्रति जो अन्याय किया गया है, उसे दूर करके उन के प्रति न्याय किया जाना चाहिये ।

श्री रघुवीर सहाय (एटा जिला—उत्तर पूर्व व जिला बुदायूं-पूर्व) : आयोग की नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प में राज्य पुनर्गठन के बारे में, किसी क्षेत्र की भाषा और संस्कृति का महत्व स्वीकार करते हुए, देश की सुरक्षा और एकता को बनाने और आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक उद्देश्यों का ध्यान रखने का अनुदेश दिया गया था, जो राष्ट्रीय हितों के लिये बनाई गई विकास योजना की सफलता में सहायक हों ।

प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इस पर विचार कर के यह निर्णय किया कि प्रत्येक राज्य की पृथक समस्याओं का विचार करने के साथ साथ समूचे प्रतिवेदन पर विचार किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि समूचे देश की प्रगति समूचे राष्ट्र की एकता पर अवलंबित है और पृथक पृथक राज्यों का विचार करते समय राष्ट्रीय एकता को नहीं भुला देना चाहिये ।

आयोग ने वर्तमान २७ राज्यों के स्थान पर १६ राज्यों की सिफारिश की है और 'क' 'ख' 'ग' राज्यों का भेद मिटा दिया है और राजप्रमुखों का पद समाप्त करने का सुझाव दिया है और साथ ही एक भाषा के आधार पर एक राज्य के बनाये जाने का सिद्धान्त अस्वीकार कर दिया है ।

यद्यपि आयोग ने एक भाषा के आधार पर एक राज्य बनाये जाने के सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया है तथापि यथाशक्ति भाषा के आधार पर राज्य बनाने का प्रयत्न किया गया है ।

बम्बई के बारे में मराठी और गुजराती दोनों भाषा बोलने वाले इलाकों के मिलाये जाने का सुझाव दिया गया है और विदर्भ को पृथक करने का विचार प्रकट किया गया है । किन्तु कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर पृथक पृथक राज्य और बम्बई को बहु भाषा भाषी नगर राज्य बनाये जाने का विचार प्रकट किया है । किन्तु बहुत से लोगों को यह भी स्वीकार नहीं है ।

[श्री रघुवीर सहाय]

मुझे एक बात का खेद है कि वाद-विवाद के चक्र में पड़कर बुद्धिमान देशभक्त "भारत की सुरक्षा और एकता को शक्तिशाली बनाने" के संकल्प को भूल गये हैं ।

उत्तर प्रदेश इस सम्बन्ध में बिल्कुल शांत रहा है, यद्यपि यह भारत का सब से बड़ा राज्य है । उत्तर प्रदेश ने सभी जातियों और सभी भाषा के बोलने वालों को आश्रय दिया है । यहां बंगाली, मराठे, गुजराती, पंजाबी और काश्मीरियों ने खूब समृद्धि प्राप्त की है । यहां सरकारी सेनाओं आदि में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, और इस राज्य ने सदा देश की सुरक्षा और एकता को बनाये रखा है । यदि यह सब से बड़ा है तो इसका कोई दोष नहीं है । परन्तु इसके बड़े प्रतिनिधित्व ने कभी भी किसी का अहित नहीं किया है ।

इसकी विशालता के कारण इस को बड़ा महत्व मिला है क्योंकि प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश से ही सम्बन्ध रखते हैं । पण्डित नेहरु अपनी असाधारण सेवा, योग्यता और प्रतिभा के आधार पर ही देश के सेनानी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके हैं ।

किन्तु कई बार हमारी अवस्था बड़ी चिन्तनीय हो जाती है और हम अपने दावे के लिये जोर भी नहीं दे सकते हैं । योजना आयोग ने प्रथम योजना में उत्तर प्रदेश के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया और इस दूसरी योजना में भी कोई विशेष आशा नहीं है । तो भी हम देश की अखण्डता और सुरक्षा को बनाये रखना चाहते हैं ।

परन्तु यदि कोई प्रदेश अन्य राज्य में न मिलकर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहता है तो उस पर कोई बाधा नहीं होनी चाहिये । विंध्य प्रदेश का बघलेखंड मध्यप्रदेश में न मिल कर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

हमें राज्य पुनर्गठन के मामले में पृथक पृथक राज्यों की दृष्टि से नहीं, बल्कि समस्त राष्ट्र की दृष्टि से, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिये ।

उत्तर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अपना पूर्ण विकास करने का अवसर न देना देश के व्यापक हितों में नहीं होगा ।

आशा है कि सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जब बघेलखंड के लोग उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं. तो उनकी इच्छाओं का आदर किया जाये ।

सरदार लाल सिंह (फीरोजपुर–लुधियाना) : बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोगों ने राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी चर्चा में साम्प्रदायिकता को ला खड़ा किया है और अनेक समस्यायें उत्पन्न कर दी हैं । यदि पंजाबी सूबा बन भी गया तो सिखों को न तो स्वर्ग मिल जायेगा और न ही हिन्दुओं के लिये नरक बन जायेगा । अतः हिन्दुओं और सिखों में से इस जिद् और भय की भावना को निकालना अत्यधिक आवश्यक है । देश की सुरक्षा के लिये भी साम्प्रदायिक भावना घातक है ।

विभाजन से हमें पाठ सीखना चाहिये । वास्तव में हिन्दुओं और सिखों के सम्बन्ध इतने अधिक खराब कभी भी नहीं हुए थे । दोनों के दिलों में इतना अधिक विद्वेष एक दूसरे के प्रति भर गया है कि इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं । ऐसी अवस्था में देश-भक्ति की भावना रखने वाले लोगों को साम्प्रदायिकता से ऊपर उठ कर वास्तविकता को प्रकाश में लाना चाहिये, ताकि देश में शान्ति और व्यवस्था बनी रहे ।

नगरों में रहने वाले हिन्दुओं का पंजाबी सूबों को "सिखराज" कहना सर्वथा गलत है । यदि सिखों की केवल कुछ प्रतिशत संख्या बढ़ जाने से सिख राज बन जाता है, तो क्या उन अन्य राज्यों में हिन्दूराज स्थापित हो गया है,

जहां हिन्दू बहुसंख्या में ह ? जहां तक देश की रक्षा का प्रश्न है, मैं कहूंगा, कि सिखों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक त्याग और बलिदान किया है। देश की रक्षा और देश भक्ति पर बहुसंख्यक वर्ग का एकाधिकार नहीं होता है। फिर बहुसंख्यक वर्ग का यह कर्तव्य होता है कि वह अल्पसंख्यक वर्ग में रक्षा और सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिये उसे समुचित आश्वासन दे। पंजाब के हिन्दुओं की कट्टरता भी मुस्लिम लीग से कम नहीं है। अब उसकी पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिये। देश भक्त वीर सिखों को प्रेम और सद्भावना से जीता जा सकता है, हिन्दु साम्प्रदायिकता के दबाव से नहीं। वीर सिख देश की रक्षा के लिये अपने रक्त का अन्तिम बिन्दु तक न्योछावर कर सकते हैं।

यद्यपि मैं भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के पक्ष में हूं, परन्तु मास्टर तारा सिंह का यह कहना कि पंजाबी सूबे का न बनना सिखों की मृत्यु है, सर्वथा हेय और हानिकारक है। इससे दूसरे पक्ष के लोगों में सन्देह उत्पन्न होता है। मास्टर तारासिंह की समस्त राजनीति साम्प्रदायिकता पर आधारित होने के कारण हानिकारक है। सिखों का भविष्य उनकी जन शक्ति पर अवलम्बित नहीं, बल्कि उनके चरित्र और परिश्रम पर अवलंबित है। भारत के प्रायः सभी राज्यों में व्यापारिक क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में और सरकारी क्षेत्रों में सिखों ने बड़ी उन्नति की हुई है और वे सुख का जीवन बिता रहे हैं। विदेशों में भी सिख अच्छे सम्मानीय पदों पर आनन्द का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि उनकी देश भक्ति और आत्म बलिदान की भावना और चरित्र बल ही उनकी रक्षा कर सकता है, जन संख्या की शक्ति उनकी रक्षा नहीं कर सकती है।

अल्पसंख्यक वर्ग का साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देना और बहु संख्यक वर्ग से तथा देश की राष्ट्रीय सरकार से विरोध और विद्वेष करना समझदारी और राजनीति की बात नहीं है।

अकालियों का यह कथन कि पंजाबी सूबे के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था किये जाने से सिख धर्म नष्ट हो जायेगा, मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हो सकता है कुछ व्यक्तियों की लीडरी समाप्त हो जाये। परन्तु सिख धर्म जो सब धर्मों के लिये शान्ति और एकता का प्रचार करता है और जिसके लिये वेद और कुरान, मन्दिर और मस्जिद समान हैं, जो हिन्दु और मुसलमान सन्तों की वाणी को अपने ग्रन्थ साहिब में स्थान देता है, वह शान्ति और प्रेम का सिख धर्म राज्य की सीमाओं से नष्ट नहीं हो सकता है। उस विश्व प्रेम की भित्ति पर खड़े हुए सिख धर्म को कभी भी किसी से भय नहीं हो सकता है। इसको हानि पहुंच सकती है तो अन्दर से पहुंच सकती है। बाहर से कोई हानि नहीं पहुंच सकती।

पंजाबी सूबे की माँग करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि सिखों के साथ न्याय नहीं किया गया है। पंजाब में उनकी दशा बहुत बिगड़ी हुई है। अनुसूचित जातियों और पंजाबी भाषा की समस्या भी वहाँ विद्यमान है। चाहे सिख किसी दल के सदस्य हों, वे अपनी दुर्दशा से पूर्णरूपेण परिचित हैं।

जिस प्रकार अकाली लोग सारे सिख सम्प्रदाय का ठेका लेकर बोलते रहते हैं उसी प्रकार कांग्रेसी सिख सरकार की ओर से उत्तर देते रहते हैं। अमृतसर में सिखों की जो जीत हुई है उसी से पता चलता है कि वहाँ कांग्रेस के प्रति कितना असन्तोष फैला हुआ है। पंजाब की राजनीति को सुधारने के लिये केन्द्रीय सरकार को यह विषय स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिये। जब तक वहाँ हिन्दुओं और सिखों में पूर्णतया मेलजोल न हो और जातीय समस्याओं का निबटारा न हो जाय तबतक पंजाब पर पूरी निगरानी रखी जाना चाहिये।

[सरदार लाल सिंह]

जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, यदि वह पंजाब में नहीं मिलना चाहता तो उसे बाध्य नहीं किया जाना चाहिये। इसी प्रकार यदि महेन्द्रगढ़ और गुड़गाँव क्षेत्रों को पंजाब से निकालना हो तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मैं इस बात से सर्वथा असहमत हुं कि मास्टर तारासिंह की माँग के अनुसार हरियाना क्षेत्र को लेकर एक पृथक् सूबा बनाया जाय। ऐसा करने से साम्प्रदायिक समस्या के अतिरिक्त वहाँ आर्थिक प्रश्न भी पैदा होंगे। हरियाना को पंजाब से अलग करना उतना ही घातक सिद्ध होगा जितना कि किसी व्यक्ति का दाहिना भाग काट देना। सरकार को इस विषय में पूर्ण रूप से सतर्क रहना चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २१ दिसम्बर १९५५ के ग्यारह बज तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

(मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५)

स्तम्भ

सदन-पटल पर रखे गये पत्र ७९४५-४६

(१) उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक १९५३ की चर्चा के दौरान में दिये गये आश्वासन के अनुसरण में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २०५८--आई० डी० आर० ए/१५/३ दिनांक १९ सितम्बर, १९५५ की एक प्रति।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ उपधारा (६) के अधीन कुछ आदेश बताने वाले खाद्य और कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति।

(क) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४०६ दिनांक १ नवम्बर, १९५५।

(ख) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० दिनांक १ नवम्बर, १९५५।

राज्य सभा से संदेश ७९४६

सचिव ने राज्य सभा से निम्नलिखित तीन संदेशों की सूचना दी :]

(१) कि राज्य सभा अपनी १७ दिसम्बर, १९५५ की बैठक में लोक सभा द्वारा ९ दिसम्बर, १९५५ को पारित किये गये दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक, १९५५ से बिना किसी संशोधन सहमत हो गई है।

(२) कि लोक सभा द्वारा १० दिसम्बर, १९५५ को पारित किये गये भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ के बारे में राज्य सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(३) कि लोक सभा द्वारा १० दिसम्बर, १९५५ को पारित किये गये भारतीय प्रशुल्क तृतीय संशोधन विधेयक, १९५५ के बारे में राज्य सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव. . . ७९४७-८०४३

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा असमाप्त रही।

GMGIPND—DME—487LSD—17-12-57—160